भारत रूरल लाइवलिहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

BRLF

भारत रूरल लाइवलिहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2016–17

सरकार के साझेदारी में सिविल सोसायटी के कार्यों को विकसित करने के लिए
भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था

एसआरआई पद्धति में वीडर का प्रयोग, दिगंबुर अंगिकार, प. बंगाल

अणुक्रमणिका

अध्यक्ष का संदेश i

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशनः एक परिचय 1

- पृष्ठभूमि 1
- हमारा दृष्टिकोण 2
- सुशासन/नियमन व्यवस्था 4
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही 5
- बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार 6

बीआरएलएफ के कार्य का विस्तार 7

- ज़मीनी संस्थाओं के साथ साझेदारी 7
- बीआरएलएफ परियोजनाओं में सह–वित्त व लिवरेज 8
- बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव 10
- ज़मीनी संगठनों का निर्माण 10
- क्षमता निर्माण 11
- कृषि विकास 12
- पशुधन विकास 16
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 18
- अधिकार एवं पात्रता 21
- लोक संगठन साझेदारों को सहयोग 24
  - सीएसओ साझेदारों को तकनीकी सहायता 24
  - एआईडी 360 पर सहायता 24

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी 25

- पश्चिम बंगाल 25
- ओड़ीशा 27
- महाराष्ट्र 27
- झारखण्ड 27
- राजस्थान 27

क्षमता निर्माणः ग्रामीण प्रोफेशनल कार्यक्रम 28

- सीपीआरएल पाठ्यक्रम 29
- सीपीआरएल के प्रमुख उद्देश्य 31
- संकाय/संसाधन व्यक्ति 31
- चयन प्रक्रिया 32
- पात्रता 32
  - प्रतिभागियों के लिए 32
  - नामांकन करने वाली संस्थाओं के लिए 32
- पहले बैच का प्रोफाइल 33
- प्रशिक्षण के परिणाम 33
- एक यादगार सफ़र 35

मुख्य विषय क्षेत्र 38

- सहभागी भू–जल प्रबंधन 38
  - पायलट कार्यक्षेत्र 39
  - संस्थाओं एवं स्थानीय स्रोत व्यक्तियों का प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण 39
  - निगरानी तंत्र 39
  - संवाद, साझेदारी व वकालत 40

ठोस व तरल कचरा प्रबंधन....41
गैर–रासायनिक कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि....41
गैर–अधिसूचित एवं घुमंतू जनजातियां....42
शोध एवं ज्ञान प्रबंधन....45
राजस्थान सरकार के लिए मनरेगा के संकुल सहयोग दल पर अध्ययन....45
अध्ययन का दायरा....45
शोध प्रश्न....45
क्रियाविधि....46
मुख्य निष्कर्ष....46
प्रमुख सिफारिशें....47
अनुसंधान हेतु भावी कार्य....47
आदिवासी विकास रिपोर्ट....47
सांख्यिकी केंद्र....48
सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री गिरीश प्रभुणे व पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पर रिपोर्ट...48
आजीविका एवं सामाजिक संगठनों पर अनुसंधान....48
संसाधन जुटाना....49
बीआरएलएफ के साझेदार संगठन....51
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (इंडिया) (एकेआरएसपीआई)....51
बाएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन....52
कलेक्टिव्स फॉर दी इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स (सीनी)....55
दिगंबरपुर अंगिकार....57
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस)....59
लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन....61
कंसोर्टियम परियोजनाः परहित समाज सेवी संस्थान (मुख्य साझेदार)....63
प्रोफेशनल एसिसटेंस फॉर डेवलपमेंट ऍक्शन (प्रदान)....66
राजारहाट प्रसारी (प्रसारी)....68
सोशल एडुकेशन फॉर विमेन्ज़ अवेयरनेस (सेवा)....70
सेल्फ–रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट ऍक्शन (सृजन)....72
विकास सहयोग केंद्र (वीएसके)....75
प्रमुख साझेदार – लोकदृष्टि (पश्चिम ओडीशा एनआरईजीएस कंसोर्टियम)....77
यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स....80
परिशिष्ट....83
1. बीआरएलएफ का पंजीयन प्रमाण पत्र
2. भारत सरकार, के साथ सहमति पत्र....85
3. 12–ए प्रमाण पत्र....91
4. 80–जी प्रमाण पत्र....92
5. अंकेक्षित लेखा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2016–2017....93

अध्यक्ष का संदेश

अपने तीन साल की अल्प अवधि में बी.आर.एल.एफ ने साझेदारी की शक्ति को प्रदर्शित किया है। इसने यह भी दर्शाया है कि, कैसे सरकार और गैर–सरकारी संगठनों की साझेदारी हमारे देश की सर्वाधिक पिछड़ी आबादी – मध्य भारत के आदिवासियों– के जीवन में नाटकीय परिवर्तन ला सकती है। वर्ष 2016–17 में अनुदान के रूप में बी.आर.एल.एफ द्वारा साझेदार संस्थाओं को रु.15.16 करोड़ जारी किए गए। उसी वर्ष, हमारे सिविल सोसायटी साझेदारों ने अन्य दाताओं से रु. 72 करोड़ का सह–वित्त सुनिश्चित किया और विभिन्न प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों से 148 करोड़ रुपये जोड़े हैं। बी.आर.एल.एफ के साझेदारों ने अब तक भारत के सबसे गरीब, उपेक्षित क्षेत्रों में आदिवासियों के 3,65,000 परिवारों को लाभान्वित किया है। इन परिवारों के साथ, बी.आर.एल.एफ साझेदार मध्य भारत आदिवासी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करने, महिला–नेतृत्व वाले शक्तिशाली जनसंगठनों का निर्माण करने और प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के लाभों को सर्वाधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए टिकाऊ आजीविका समाधानों को जमीन पर उतार रहे हैं। बी.आर.एल.एफ सिविल सोसायटी संगठनों, सरकार और पंचायत राज संस्थाओं के बीच साझेदारी के माध्यम से परिवर्तन के प्रति कृतसंकल्पित है।

बी.आर.एल.एफ के सहयोगियों ने माननीय प्रधानमंत्री की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जैसे प्रधान मंत्री स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना और आवास योजना – के फैलाव का सिलसिला जारी रखा है।

राज्य सरकारों और बी.आर.एल.एफ के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, और राज्य की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बी.आर.एल.एफ ने झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ सहमति–पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले – दार्जिलिंग, कालीम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार – में 457 झरनों को पुनर्जीवित करने के लिए पश्चिम बंगाल शासन के साथ करार एक नई और संभापनाओं से ओतप्रोत दिशा है। इन ज़िलों में बी.आर.एल.एफ साझेदार, झरनों के जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए मनरेगा के अग्रणी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं या धारा सेवकों का क्षमतावर्द्धन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने, बी.आर.एल.एफ की साझेदारी में, राज्य के पश्चिमांचल हिस्से के छह जिलों – पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, बर्धमान, पश्चिम मिदनापुर और बीरभूम – में विशेष योजना बनाकर इस अवधारणा को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। बी.आर.एल.एफ साझेदार संगठन इन 6 जिलों के 54 ब्लॉकों में वाटरशेड प्रबंधन कार्यों को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और सहयोग देंगे।

ग्रामीण आजीविका पर सर्टिफिकेट कार्यक्रम (सीपीआरएल) का पहला बैच शुरू कर दिया गया है। यह बैच एक सफल परिणति की ओर अग्रसर है। 29 आदिवासी युवक और युवतियो की टिकाऊ आजीविका,

जल प्रबंधन, स्वयं सहायता समूह और आजीविका, साझा संपत्ति संसाधन, ग़ैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन और टिकाऊ कृषि, पेयजल व स्वच्छता, सहभागी भूजल प्रबंधन, जेंडर, मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम व शासन संबंधी मुद्दों, समुदाय आधारित संस्थानों व उत्पादक संगठनों इत्यादि पर व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से तैयारी हो रही हैं। प्रशिक्षणार्थी में से अधिकांश ने कभी अपने गांव से बाहर क़दम नहीं रखा है या कंप्यूटर पर पहले कभी काम नहीं किया है। पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि व्यावहारिक ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षक संस्थाओं के कार्यक्षेत्रों में खुद को पूरी तरह से तल्लीन कर अधिक से अधिक समय बिताया। उन्होंने जल प्रबंधन, की जानकारी के लिए आगा खॉ रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, गुजरात, स्वच्छता के लिए उत्थान, गुजरात, कृषि–आधारित आजीविका के लिए बायफ; वन अधिकार अधिनियम, पेसा के लिए मेंढा लेखा ग्राम सभा व एफईएस और स्वयं सहायता समूह के लिए चैतन्य महाराष्ट्र; ग़ैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन तथा टिकाऊ कृषि को समझने के लिए प्राण, बिहार; घरेलू मुर्गीपालन तथा अक्षय कृषि सीखने के लिए वासन एवं सीएसए, आंध्र प्रदेश की यात्राएं कीं। यह संतुष्टि की बात है कि ग्रामीण पेशेवरों को निर्मित करने के लिए इस तरह के एक गहन, छःमासिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बी.आर.एल.एफ ने प्रारम्भ किया और उसे सफलता पूर्वक निष्पादित भी कर रहा है। जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण क्षमतावर्द्धन की दिशा में यह एक अत्यावश्यक क़दम है। इस प्रयास में आई.आई.एच.एम.आर विश्वविद्यालय, जयपुर ने प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसने बी.आर.एल.एफ के साथ सहयोग किया है तथा उम्मीदवारों का संयुक्त प्रमाणीकरण किया है।

ग़ैर–अधिसूचित जनजातियां (डीएनटी) और घुमंतू जनजातियां हमारे समाज के हाशिये पर आधारित एक हिस्से का गठन करती हैं। सामाजिक व आर्थिक रूप से भेदभाव का शिकार होने के अलावा विकास के लिए संसाधनों तक उनकी बहुत कम पहुंच हैं। बी.आर.एल.एफ ने महाराष्ट्र में सेवा वर्धनी के साथ मिलकर इन जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका निर्मित करने के लिए एक नई परियोजना शुरू की है। सेवा वर्धनी के पास इन आदिवासियों के साथ मिलकर काम करने का दीर्घकालिक अनुभव है। यह समस्त प्रयास हमारी कार्यकारिणी के सदस्य श्री गिरीश प्रभुणे के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं, जिन्होने स्वयं ग़ैर–अधिसूचित जनजातियों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

रफ़्तार को अधिक तेज़ करने के एक और पहिए के रूप में बी.आर.एल.एफ का शोध विभाग है। अगले वित्त–वर्ष के अंत तक, बी.आर.एल.एफ एक आदिवासी विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसमें मध्य भारत के आदिवासियों की आजीविका, शासन, मानव विकास और कला व शिल्प पर अध्याय शामिल होंगे। इस पूरे प्रयास का एक हिस्सा यह है कि भारत में जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों का एक विशाल ऑनलाइन बैंक भी विकसित होगा। सुप्रसिद्ध आदिवासी विशेषज्ञ और भाषाविद् श्री गणेश देवी के मार्गदर्शन में इस रिपोर्ट में आदिवासी भाषाओं पर भी एक खंड शामिल होगा। श्री देवी द्वारा आयोजित विशेष कार्यशालाओं में इन खंडों को आदिवासियों स्वयं विकसित करेंगे।

इतनी अल्प अवधि में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति के लिए मैं बी.आर.एल.एफ टीम को बधाई देता हूं। मैं प्रत्येक बिंदु पर बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए बी.आर.एल.एफ की आमसभा और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। अंत में, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को बी.आर.एल.एफ द्वारा संचालित नवाचारी कार्यों को लगातार प्रोत्साहन और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

डॉ. मिहिर शाह

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन: एक परिचय

पृष्ठभूमि

बीआरएलएफ की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर की गई है जिससे कि सरकार एवं सिविल सोसायटी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। बीआरएलएफ का पंजीकरण, संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के तौर पर किया गया है। बीआरएलएफ की अवधारणा वर्ष 2012 में केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के खंड 111 में प्रस्तुत की गई थी। उक्त खंड में कहा गया है कि "आजीविका के माध्यम से भारत रूरल लाइवलीहुडस फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यह फाउंडेशन आदिवासी बाहुल्य के 170 जिलों में विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा उत्कृष्ट कार्यों एवं कार्यक्रमों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करेगी। निजी न्यासों और परोपकारी संस्थाओं को इस स्वायत्त इकाई के साथ भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और इसका प्रबंधन पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा"। इस घोषणा के पश्चात् 3 सितम्बर 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के साथ सिविल सोसायटी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संस्था के रुप में बी.आर.एल.एफ के गठन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने इस बात को गंभीरता से लिया कि मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में विकास और सुशासन के प्रयास कारगर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही मंत्रिमंडल ने ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन, आदिवसी क्षेत्रों में सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्वक संचालित करना, और आदिवासी समुदायों के बीच पैदा हो रहे अलगाव के भाव को समाप्त करके भारतीय लोकतंत्र और सुशासन के ढांचे पर पुनर्विश्वास निर्माण के मुद्दों पर कार्य करने को भी आवश्यक समझा।

13 जनवरी 2014 को बी.आर.एल.एफ और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। सहमति पत्र के अनुसार इस नयी संस्था के कॉर्पस निधि के लिए भारत सरकार की वित्त कमेटी द्वारा निर्धारित शर्तों पर दो किश्तों में 500 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराना तय किया गया। इसके अतिरिक्त सम्बंधित राज्य सरकारों एवं परोपकारी संस्थाओं से भी राशि जुटाने की बात कही गई।

बीआरएलएफ का गठन मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों, जो कि फाउंडेशन की प्रथम प्राथमिकता वाले भौगोलिक क्षेत्र है, के निवासियों की आजीविका व जीवन में सकरात्मक बदलाव लाने के लिए, सरकार के साथ भागीदारी में सिविल सोसायटी संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने व सहजीकृत करने की दृष्टि से

किया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण से जुड़े जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों को सहयोग करना, तथा उन विधाओं को बढ़ावा देना है जो कि कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों व उसको करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति, दोनों ही स्तरों पर नवीनता लिए हों। यह नवीनता किसी भी दिशा में हो सकती है जैसे; प्रोद्योगिकी, सामाजिक जुड़ाव (मोबिलाइजेशन) की विधियाँ, संस्था निर्माण, साझेदारी का ढांचा, या फिर प्रबंधन की विधियाँ इत्यादि।

रणनीतिक तौर पर, बीआरएलएफ द्वारा सहयोग प्रदत्त हर परियोजना की विशेषता यही रहेगी कि वह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास और आजीविका कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए बैंकों व सरकार द्वारा मुहैया कराये जा रहे विस्तृत वित्तीय संसाधनों को प्रयोग में लायें। बीआरएलएफ की कार्यनीति में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इसके जरिये उन परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जायेगा जो कि आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्रदात वित्तीय सहायता का उपयोग करती हैं।

हमारा दृष्टिकोण

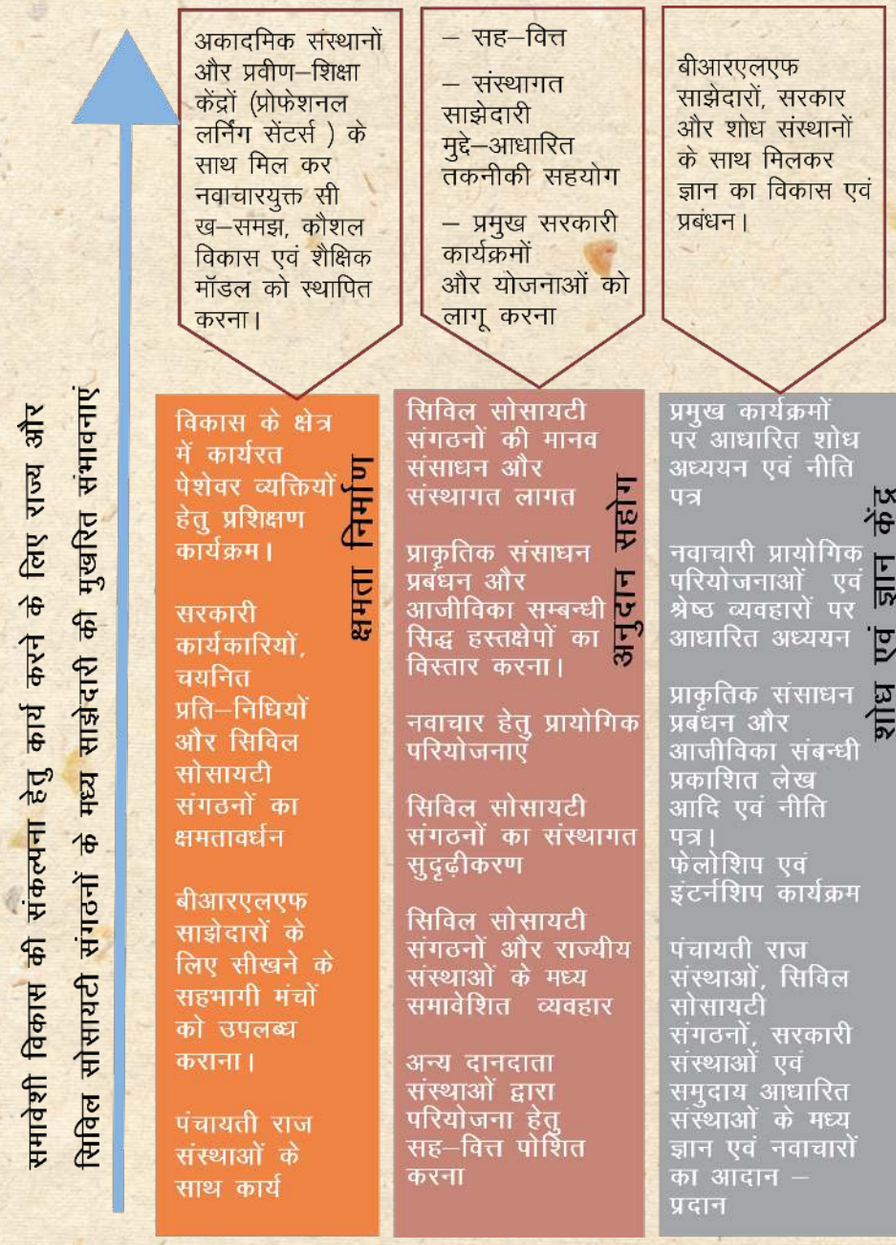

अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीआरएलएफ 3 प्रमुख विभागों द्वारा कार्य करता है

बीआरएलएफ के उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य गरिमापूर्ण व स्थायी आजीविका के अवसरों को प्रोन्नत करना, महिलाओं के लिए विविध अवसरों का सृजन करना, जनजातीय समुदायों (विशेषकर महिलाओं) के लिये संसाधनों तक उनकी पहुँच को और उनपर नियंत्रण को बढ़ाना, उपलब्ध संसाधनों को उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाना, और जिम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासनिक एवं स्व–शासित संस्थाओं को खड़ा करना, मांग–आधारित सेवा आपूर्ति और मानकपूर्ण सेवाओं वाली मजबूत और प्रभावी व्यवस्था का निर्माण, व युवाओं के लिए नवीन अवसर पैदा करना इत्यादि हैं।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर मौजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूतीकरण करते हुए कार्यक्रम परिव्यय और परिणामों के मध्य अंतर को कम किया

जाए; साथ ही, कार्यक्रमों को लागू करने में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए, संसाधनों की अपव्ययता को कम किया जाए, अशांत एवं असुरक्षित क्षेत्रों में विकास और शांति के लिए नवाचार युक्त रणनीति को अपनाने की दिशा में काम किया जाए। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि राज्यों और सिविल सोसायटी संगठनों की असरदार साझेदारी को प्रोन्नत करना एक ऐसा प्रभावी तरीका है जिससे राज्यों के समावेशित विकास के दृढ़ संकल्प को पुख्ता परिणामों में परिवर्तित किया जा सकता है।

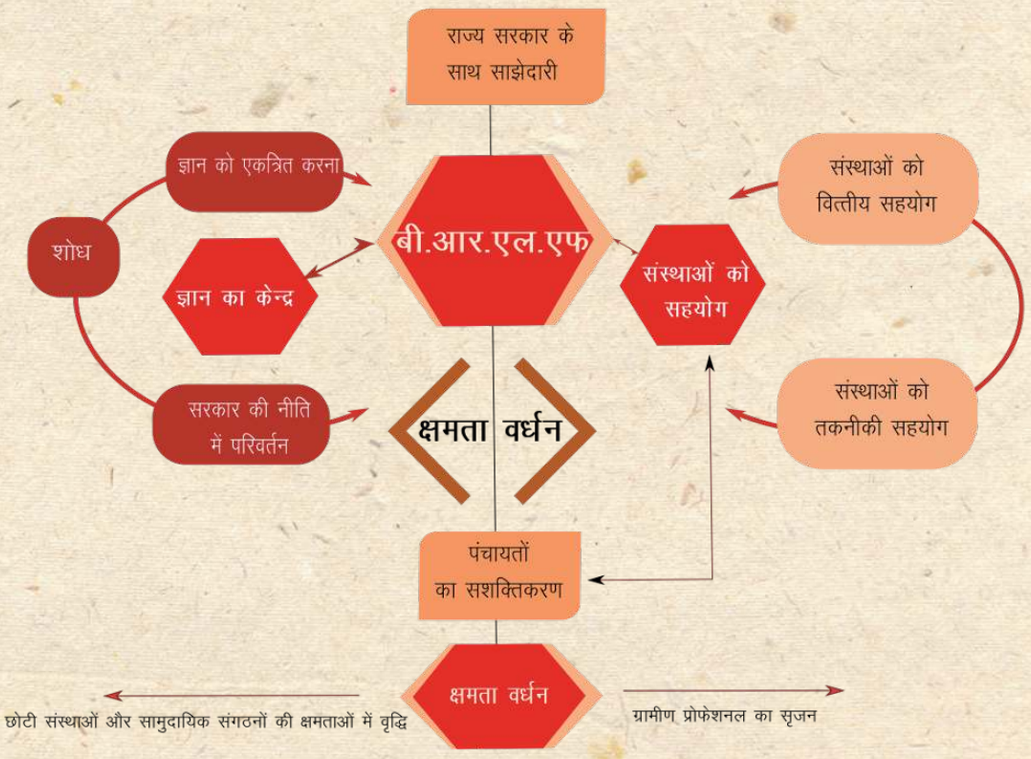

ध्येय यही है कि, लोगों, विशेषकर आदिवासियों के सशक्तिकरण हेतु जमीनी स्तर पर संचालित गतिविधियों को सहयोग किया जाये व उन विधाओं को बढ़ावा दिया जाये जो कि कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों व उसको करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति, दोनों ही स्तरों पर नवीनता लिए हों। रणनीतिक तौर पर, बीआरएलएफ द्वारा अनुदानित हर परियोजना की समान विशेषता यही होगी कि वह विकास कार्यक्रमों/योजनाओं जैसे; मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, एकीकृत कार्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वर्षा–आधारित क्षेत्र विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि के लिए बैंकों व सरकार द्वारा मुहैया कराये जा रहे विशाल वित्तीय संसाधनों का लाभ उठायें। सोच यही है कि, बीआरएलएफ उन परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करे जो सरकारी कार्यक्रमों और उनके तहत उपलब्ध निधि का लाभ लेती हों। निसंदेह, बीआरएलएफ अपने सिविल सोसायटी संगठन साझेदारों के माध्यम से न केवल इस प्रकार के विभिन्न अवसरों को सहज व सुगम करेगा, बल्कि इसका लक्ष्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम के दौरान उत्पन्न होने वाली विवादस्पद परिस्थितियों से निपटने के लिए साथी संस्थाओं को आवश्यक वैधता भी प्रदान करेगा। बीआरएलएफ अपनी साझेदार संस्थाओं को इस बात के लिए खासतौर पर मदद करेगा कि वे अपनी परियोजना रूपरेखा में सरकार, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक प्रारूप में कार्य करना सुनिश्चित करें।

बीआरएलएफ की मूल्य संकल्पना

- आजीविका सुरक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री के पहल–प्रयासों को सहयोग करना
- प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में सुधार लाना
- ग्रामीण आजीविका की स्थितियों में सुधार हेतु नवाचार प्रेरित करना
- सहभागी भू–जल प्रबंधन
- गैर–रासायनिक आधारित कृषि प्रबंधन पद्धति को आगे लाना
- लघु वनोपज एवं फसलों हेतु मूल्य–श्रृंखला विकसित करना
- सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रों में और विशेष रूप से अति कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कार्य करना
- ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन
- लघु सामुदायिक संगठनों का क्षमतावर्धन
- राज्यों को सिविल सोसायटी संगठनओं के साथ साझेदारी हेतु माध्यम देना
- सिविल सोसायटी संगठनओं को वित्तीय सहयोग में पारदर्शिता का पालन करना

बीआरएलएफ से अनुदान प्राप्त करने वाली सिविल सोसायटी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि परियोजना लागत में एक हिस्सा वे स्वयं अपने स्रोतों से या अन्य दूसरे स्रोतों

वांछित परिणाम

लोगों के लिए

- गरिमामय स्थायी आजीविका
- संसाधनों तक बढ़ी पहुँच और उनपर नियंत्रण
- संसाधनों की बढ़ती क्षमताएं
- जिम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासनिक एवं स्व–शासित संस्थायें
- सरकारी कार्यक्रमों का बेहतर निष्पादन
- उत्पादों और बाजारों तक बढ़ती पहुँच और प्रभाव्यता
- सूचनाओं तक बढ़ती पहुँच और गतिशीलता
- मजबूत और प्रभावी मांग–आधारित सेवा और सेवाओं के मानक
- युवाओं के लिए नवीन अवसर

गैर सरकारी संस्थाओं के लिए

- नवाचारों और विस्तार के लिए पर्याप्त और समयबद्ध सहयोग
- सरकार और बैंकों से फण्ड प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रबंध
- राज्य और बाजार–आधारित संस्थाओं के साथ टिकाऊ साझेदारी
- स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद करने और समुदाय के अधिकारों व हकों तक उनकी पहुँच को सुगम करने हेतु विधि–संगत मंच
- निर्दिष्ट क्षेत्रों में सिविल सोसायटी संगठनों की सुदृढ़ मौजूदगी
- ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम हेतु पेशेवर मानव–संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता

शासन के लिए

- कार्यक्रम परिव्यय और परिणामों के मध्य घटता अंतर
- समावेशी आर्थिक वृद्धि
- सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में बेहतर गुणवत्ता
- संसाधनों की अपव्ययता में कमी
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्षमताओं, व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं के संदर्भ में जमीनी स्तर पर मजबूत मौजूदगी
- अशांत व असुरक्षित क्षेत्रों में शांति

परोपकारी कार्यों में जुटी निजी–क्षेत्र की संस्थाएं

- कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं का बेहतर सामर्थ्य एवं क्रियान्वयन
- निवेश का वृहत्तर उपयोग। सरकारी कार्यक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों के साथ समावेश
- विश्वसनीय सिविल सोसायटी संगठनों के साथ साझेदारी से बढ़ती आउटरीच

से जुटाएंगे। अनुदानित संस्था द्वारा कितनी आनुपातिक राशि प्रशासनिक कार्यों के लिए खर्च की जाएगी, इसके लिए सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, बीआरएलएफ के क्षमता–संवर्धन कार्यक्रम के तहत संदर्भ व्यक्तियों के समूह का गठन किया जायेगा जिनके जरिये सरकार के विकास कार्यक्रमों, सिविल सोसायटी संगठनों और समुदाय जनित विकासात्मक हस्तक्षेपों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

बीआरएलएफ उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त, प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को गुणवत्ता–पूर्वक लागू करना, सबंधित नीति–पत्र तैयार करना व शोध अध्ययन परिणामों को प्रस्तुत करना, राज्य और केंद्र सरकारों के साथ कार्यक्रमों को लागू करने से सम्बंधित चुनौतियों व सफल प्रकरणों को रेखांकित करना आदि पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस हेतु, सभी बीआरएलएफ परियोजनाएं आवश्यक रूप से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, प्रधानमंत्री मृदा–स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन और सहभागी भू–जल प्रबंधन आदि पर अपना कार्य संकेंद्रित करती है।

सुशासन/नियमन व्यवस्था

बीआरएलएफ की साधारण सभा और कार्यकारिणी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, अकादमिक संस्थाओं, सिविल सोसायटी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों और परोपकारी संगठनों के चुनिन्दा प्रतिनिधि जो अपने–अपने क्षेत्रों में सफल रहे हैं व जिनकी बीआरएलएफ के उद्देश्यों के प्रति समझ और निष्ठा है, शामिल किये गए हैं।

बीआरएलएफ के शासकीय ढांचे को इस प्रकार बनाया गया है जिससे कि पूरे देश में राज्य सरकारों के

बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति की बैठक, मार्च 27, 2017

साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। परियोजनाओं के लिए अनुदानित संस्था के चयन के स्तर पर राज्य सरकार की निर्णायक भागीदारी रहती है। सभी सम्बंधित राज्य सरकारें परियोजना अनुदानित संस्था चयन समिति (पीजीएससी) की सदस्य हैं व अभी तक इस समिति की दो बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। राज्यों के साथ विशेष साझेदारी विकसित करने के लिए बीआरएलएफ द्वारा झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओड़िसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये गए हैं, व अन्य राज्यों के साथ इस विषय में संवाद की प्रक्रिया चालू है। बीआरएलएफ द्वारा अपनी नियमावली के अनुसार अपेक्षित वार्षिक साधारण सभा व कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित करायी जा चुकी हैं। दो वार्षिक साधारण सभा बैठकें क्रमशः 4 अप्रैल 2014 और 15 जून 2015 को तथा छह कार्यकारिणी बैठकें, तीन 2014–15 में तथा तीन 2015–16 में (15 जून 2015, 9 सितम्बर 2015 तथा 17 मार्च 2016) विधिवत् सम्पन्न हो चुकी हैं।

शासन प्रक्रिया को सुगम बनाने की दृष्टि से बीआरएलएफ में विभिन्न कमेटियों को गठित किया गया है जैसे कि; वित्त और अंकेक्षण कमेटी, कोष (कार्पस) प्रबंधन समिति, क्षमता–निर्माण समिति, संसाधन जुटाने हेतु समिति, अधिसूचित/विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां संबंधी समिति तथा मानव संसाधन समिति।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से बीआरएलएफ ने अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्टों और अंकेक्षित लेखों का विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने लेखों और गतिविधियों को पूर्णतया सर्व–सुलभ किया है। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बीआरएलएफ ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस के साथ मिलकर AID–360 नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। AID 360 अनुदान प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से सम्बंधित साझेदार संगठन बीआरएलएफ को प्रस्तुत किये गए परियोजना प्रस्तावों की प्रगति पर नजर रख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से बीआरएलएफ साझेदार अपने प्रस्तावों का शुरू से लेकर अंत तक अवलोकन कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर बीआरएलएफ को भी हर परियोजना के परिणामों पर बराबर नजर रखने में मदद देता है। परियोजना में किसी भी प्रकार की देरी होने पर यह सॉफ्टवेयर स्वतः ही परियोजना गतिविधि को समय पर और प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की चेतावनी जारी कर देता है।

बीआरएलएफ द्वारा अपनी समस्त सूचनाओं को 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत उपलब्ध कराया गया है। बीआरएलएफ के लेखों एवं व्ययों का अंकेक्षण भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) द्वारा किया जाना तय किया गया है।

बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार

बीआरएलएफ का लक्ष्य सम्पूर्ण भारत है परन्तु, प्रारंभिक चरण में मध्य भारत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, विशेषकर ओड़िसा, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों के 190 जिलों के ऐसे 1077 ब्लाकजहाँ 20% से ज्यादा (2011 जनगणना के अनुसार) आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। उप–जिला स्तर पर ध्यान इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत में (उत्तर–पूर्वी इलाकों के अलावा) मुख्यता आदिवासी जनसंख्या, जिलों की अपेक्षा उप–जिलास्तर पर संकेंद्रित रहती है। अतः आदिवासी विकास के लिए उप–जिला स्तर पर ही प्रयास केन्द्रित करना उचित होगा।

बीआरएलएफ के कार्य का भौगोलिक विस्तार

साझेदारसंगठनः बायफ, विकास सहयोग केंद्र, एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, नव भारत जाग्रति केंद्र, नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज एनहांसमेंट एंड डेवलप में टसपोर्ट (NEEDS), प्रवाह, रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (RDA), टेगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट (TSRD)
एसपोर्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल विथ पीपल्स आर्गेनाइजेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (SUPPORT)
जिलेः खूंटी, गोड्डा, दुमका, हजारीबाघ, लातेहर, पलामू, पूर्वी सिंह भूम, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंह भूम, देवगढ़

साझेदारसंगठनः आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत), बायफ, परहित, सृजन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी, लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
जिलेः बरवानी, धार, खारगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बेतूल, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, मंडला, छिंदवाडा, अनूपपुर, रायसेन.

साझेदारसंगठनः बायफ, सृजन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES) कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवली हुड इनिशिएटिव्स (CInI) लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
जिलेः गडचिरोलि, नंदुरबार, यवतमाल, धुले, पुणे

साझेदार संगठनः सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस (SEWA), सृजन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES), यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (YCDA), वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कन्सोर्टियम (WONC), सृष्टि, प्रदान
जिलेः झारसुगड़ा, संबलपुर, अंगुल, कोरापुट, बोलांगीर, बौध, नुआपाड़ा, कोंजिहर

साझेदार संगठनः प्रदान बायफ, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES), सृजन
जिलेः सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक

साझेदार संगठनः प्रदान, दिगम्बरपुर अंगीकार, प्रसारी
जिलेः बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, उत्तरी 24 परगना

साझेदार संगठनः आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत), बायफ, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES), एनएम सदगुरु फाउंडेशन, विकसत
जिलेः डांग, व्यारा/तापी, नवसारी, वलसाड़, महिसागर, दाहोद, साबरकांठा, सूरत

साझेदार संगठनः सृजन **जिलाः** कोरिया

बीआरएलएफ के कार्य का विस्तार

ज़मीनी संस्थाओं के साथ साझेदारी

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) का गठन भारत सरकार के द्वारा एक स्वतंत्र सोसायटी के रूप में सरकार के साथ मिलकर नागरिक समाज कार्य को सक्रिय करने के लिए हुआ था। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत यह एक स्वयायत्त निकाय है। बीआरएलएफ ने 15 अप्रैल 2014 को मध्य भारत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों को बल देने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों से परियोजना प्रस्ताव को खुली प्रक्रिया से आमंत्रित किया। 127 प्राप्त प्रस्तावों में से 34 परियोजनाओं का योग्यता के आधार पर चयन किया गया, जिनकी अनुशंसा बीआरएलएफ की पीजीएससी द्वारा की गई।

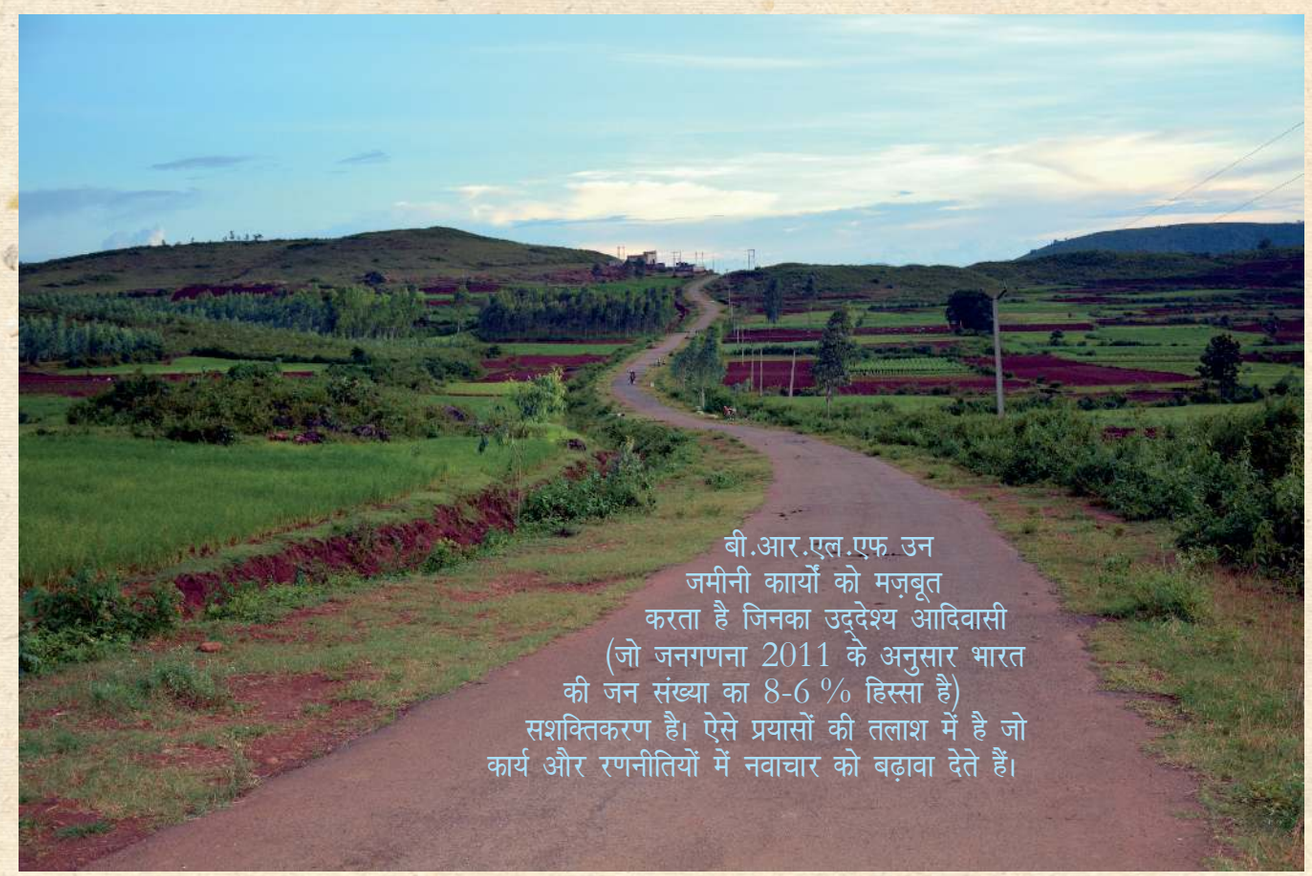

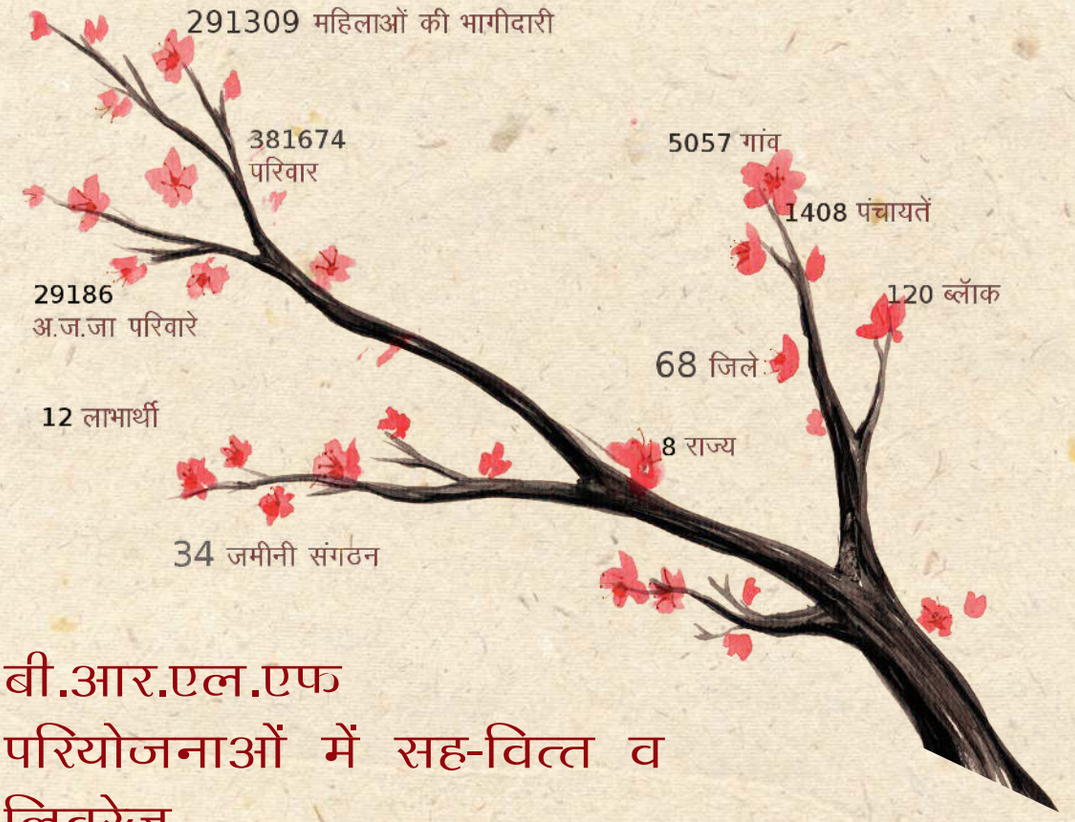

बी.आर.एल.एफ परियोजनाओं में सह-वित्त व लिवरेज

इन परियोजनाओं हेतु बीआरएलएफ द्वारा पांच वर्षों के लिए कुल अनुमोदित राशि रु.68.64 करोड़ हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में बीआरएलएफ के साझेदारों ने कुल रु. 72 करोड़ सह–वित्त संरक्षित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (2015–16) से 25 करोड़ रुपये अधिक है। सह–वित्त वह निधि है, जो बीआरएलएफ साझेदारों को अन्य दानदाताओं, निजी–व्यक्तिगत सहयोग, परोपकारी संस्थाओं, विदेशी सहयोगकर्ताओं, उद्योग, सरकारी कार्यक्रमों से वित्त पोषण और बैंक (उदाहरण नाबार्ड) के रूप में मिलती है। यह निधि साझेदारों के व्यय खाते में जमा होती है और इसका उपयोग उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और परियोजना अवधि बीआरएलएफ अनुमोदित परियोजना के कुछ हद तक समान होता है। अनुदेयी संस्था को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि मानव संसाधन, प्रशासनिक व्यय, क्षमता वर्द्धन तथा नवीन गतिविधि परियोजना के कुल व्यय का कम–से–कम 20 प्रतिशत हिस्सा सह–वित्त के माध्यम से प्राप्त हो जाए। अनुदेयी संस्था को इन खर्चों का ब्यौरा दो सिरों में बीआरएलएफ को प्रस्तुत करना होगाः

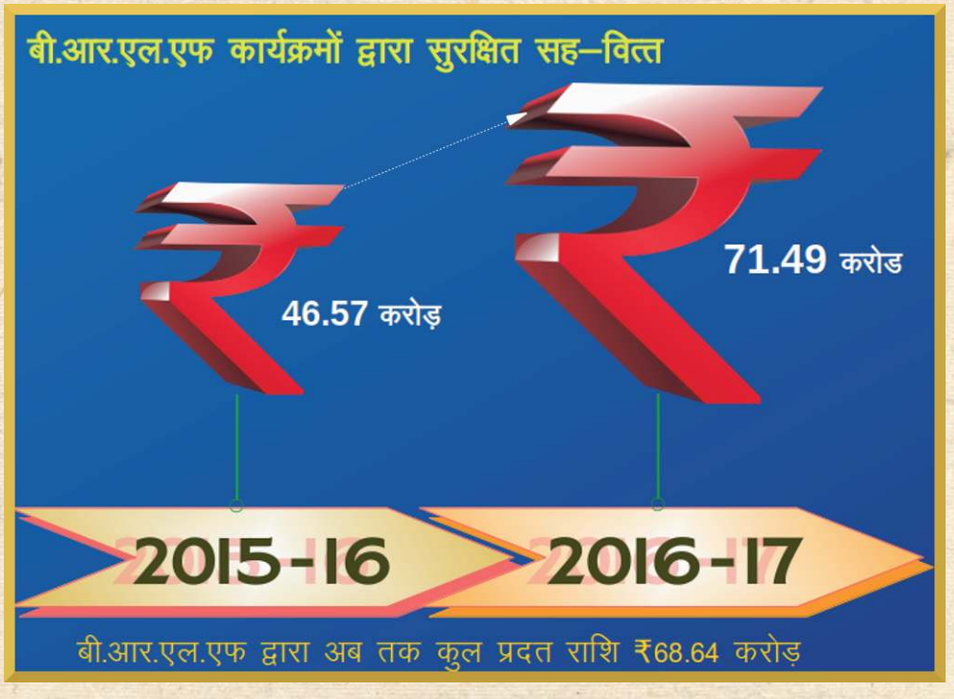

(1) मानव संसाधन, प्रशासनिक व्यय, क्षमता वर्द्धन

(2) राशि जो सीधे तौर पर विकासात्मक कार्यक्रमों में खर्च की गई हो।

परियोजना के उपरोक्त मद पर व्यय में बीआरएलएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। प्रशासन में बीआरएलएफ द्वारा प्रदत्त सहयोग 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

''लिवरेज'' अनुदेयी संगठनों द्वारा वृहद वित्तीय संसाधनों को सामुदायिक लाभ हेतु जुटाने से संबंध रखता है। लीवरेज संसाधनों में शामिल होंगेः

– विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे एमजीएनआरईजीए, एनआरएलएम, आईडब्ल्यूएमपी, आरकेवीवाई, स्वच्छ भारत, आदि से जुटाया गया धन।
– स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बैंकों व एनबीएफसी से जुटाया गया धन।
– बैंकों व एनबीएफसी से अथवा शेयर के माध्यम से सीएसओ द्वारा प्रोत्साहित उत्पादक कंपनियों, सहकारी समितियों द्वारा जुटाया गया धन।
– ग्राम पंचायतों द्वारा जुटाया गया धन, जो अनुदेयी द्वारा प्रोत्साहित सीबीओ के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम होता है।
– समुदाय योगदान

यह धनराशि अनुदेयी के हिसाब खाते में दर्ज नहीं की जाती है।

विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रमुख सरकारी योजनाओं से 148 करोड़ रुपये प्राप्त किए। यह धनराशि पिछले वित्त–वर्ष 2015–16 से 63 करोड़ रुपये अतिरिक्त है।

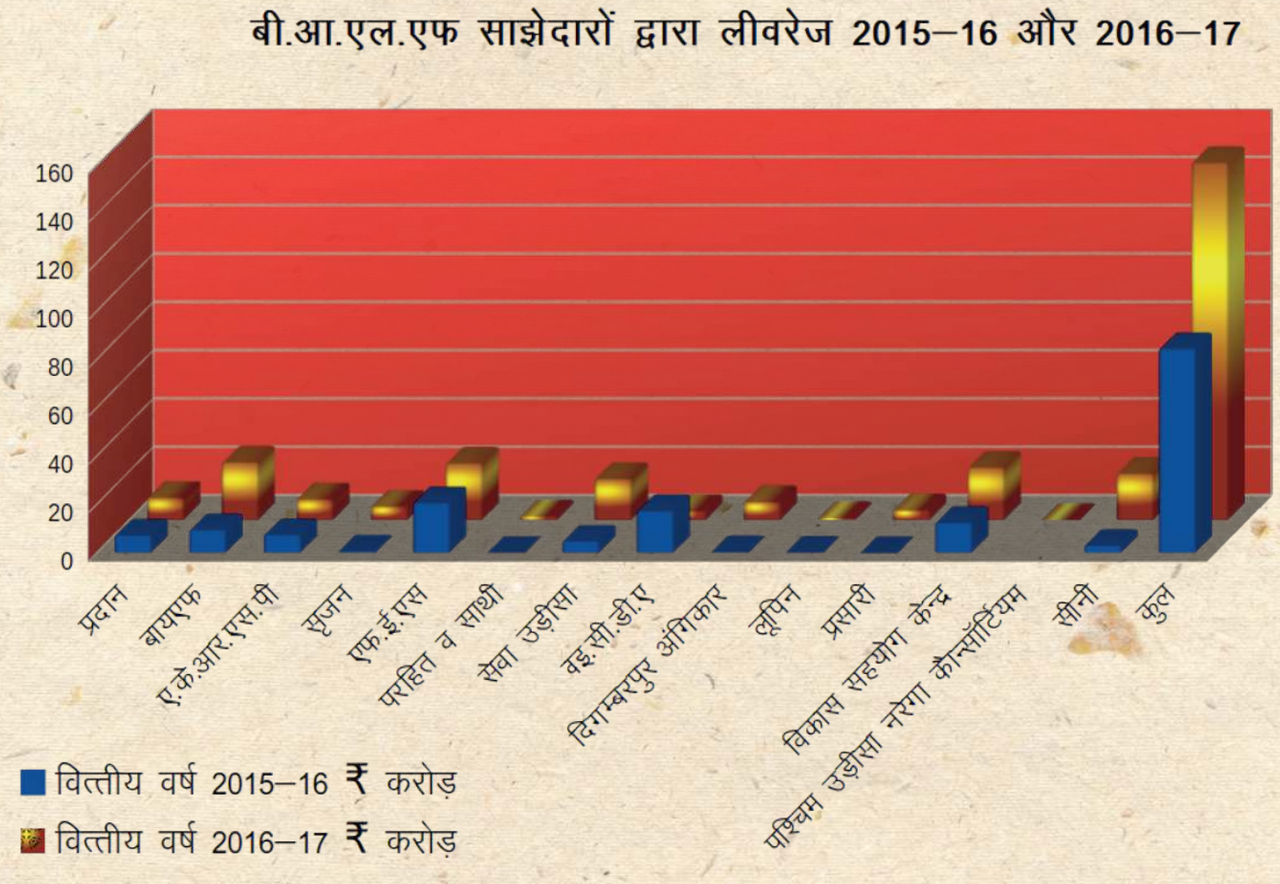

बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव

बीआरएलएफ सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेषकर आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु अपने साझेदारों की मदद करता है। इनमें संगठन व क्षमता निर्माण, अधिकारों की सुरक्षा तथा कृषि संबंधी गतिविधियों, पशुधन व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जीविकोपार्जन के अवसर मुहैया कराना शामिल है।

ज़मीनी संगठनों का निर्माण

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेषकर आदिवासियों पर केंद्रित संस्था व क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियों के बतौर, बीआरएलएफ साझेदार, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तरीय संगठन/किसान उत्पादक संघ जैसे संस्थान बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। इन संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परस्पर सहयोग व स्वयं–सहायता पर आधारित सामूहिक कार्यों के लिए मंच उपलब्ध कराएंगे।

समूह निर्मित – 24128
सदस्य – 273458
आदिवासी सदस्य – 184902
लिश गया ऋण – रु 39.5 करोड़
बचत . रु25 करोड़

2947 परिवारों नें स्वयं के उद्यम शुरु किए

3496 मलिाओं के नेत्त्व वाले ज़मीनी संगठन सृजित किए गए जनमें 143606 सदस्य है।

क्षमता निर्माण

बीआरएलएफ अपने सीएसओ साझेदारों के माध्यम से विभिन्न क्षमता वर्द्धन गतिविधियों का संचालन करता है। क्षमता वर्द्धन के अंतर्गत साझेदारों द्वारा मुख्य तौर पर प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण आयोजित किए गए। प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण कृषि, पशुपालन, फलोद्यान, स्वयं सहायता समूह एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे विषयों पर आयोजित किए गए। इस तरह के कार्य समुदाय स्रोत व्यक्तियों (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) को सामुदायिक संघटन में मदद करते हैं।

शिवपुरी में पीआरए प्रशिक्षण, परहित कंसोर्टियम

झारखंड में बायफ द्वारा वाड़ी पर संचालित प्रशिक्षण

कृषि विकास

बीआरएलएफ द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में आजीविका संबंधी कामकाज का पहला कदम कृषि विकास के रूप मे सामने आता है। मध्य भारत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर बीआरएलएफ ने कृषि आधारित आजीविका के लिए गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की हैं। इसमें उन्नत कृषि कार्यप्रणाली को अपनाना शामिल है, जैसे उन्नत बीज तथा बीज प्रबंधन। इसके अलावा बाग़वानी व धान की पंक्तिबद्ध खेती को प्रोत्साहित करना, किचेन गार्डेन स्थापित करना, उन्नत दालों, तिलहन व मोटे अनाज उत्पादन के दायरे में परिवारों को लाना, ग़ैर–रासायनिक कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आदि भी इस कार्यक्रम के हिस्से हैं।

एकेआरएसपी (भारत) द्वारा प्रोत्साहित गुजरात के डांग में खेत में एसआरआई कार्य

कृषक के चेहरे पर मुस्कान बताती है कि वह कम लागत वाले एसआरआई विधि अपनाने से खुश है। वघाई ब्लॉक, डांग, एकेआरएसपी (भारत)

वाईसीडीए द्वारा प्रोत्साहित खरीफ फसल की पंक्तिबद्ध बुआई, कांतामाल, अंबागांव, देहेड़माल, बोलांगीर जिला, ओडीशा

शिव रतन सिंह अपने अनार के बाग़ में, गांव–थोड़ा, ब्लॉक–कोतमा, जिला–अनूपपुर, मध्य प्रदश। फल (दायां चित्र)। सृजन द्वारा सहायता प्राप्त

जब सृजन द्वारा प्रोत्साहित आम के पेड़ फले, मुस्कान ही मुस्कान! मल्हारी, मोहखेद ब्लॉक, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

लूपिन द्वारा आलू खेती का प्रदर्शन, गांव–तलेरन, ब्लॉक–जुन्नर, जिला–पुणे, महाराष्ट्र

बाएफ द्वारा विकसित सब्जी नर्सरी,
गांव–चुनोगोसाईं, मध्य प्रदेश

कृशि बागवानी और सब्जी खेतीः श्रीमती लक्ष्मी रानी गाएन (कोरकाती संसद नं.8, एसडीके–2, पश्चिम बंगाल) प्रसारी द्वारा प्रोत्साहित वर्षा आश्रय 'रेन शेल्टर' के अंतर्गत ली गई अपनी पहल के परिणाम को दर्शाती हुई।

विकास सहयोग केन्द्र द्वारा समर्थित कार्य के तहत छतरपुर के हुलसुम गांव में चलित छिड़क यंत्र की स्थापना

प्रसारी द्वारा प्रोत्साहित वर्मी कम्पोस्ट की तैयारी, अप्पर कालाबाड़ी, अंग्रभासा–1, नागराकाटा

पशुधन विकास

परिवारों तक पहुंच

31 मार्च 2017 तक

दुग्ध कार्यक्रम
9334

बकरीपालन
26849

मुर्गीपालन
8121

घरेलू मुर्गीपालन
10442

मछलीपालन
6638

34274 परिवारों को टीकाकरण, चारा, जानवरों के रहने की जगह और नस्ल सुधार में सहयोग . . .

पशुपालन में कुल परिवार (उन परिवारों को छोड़ कर जो और कार्यों में भी शामिल हैं)
56915

आजीविका के अन्य पहलों के बतौर, बीआरएलएफ ने गैर–कृषि आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत की है। पशुधन विकास के तहत मुर्गी पालन इकाई, मत्स्य पालन, बकरी पालन, दुग्ध–उत्पाद आदि में लक्षित परिवारों की सहायता की जा रही है। पशुधन विकास में टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास व उन्नत नस्ल विकसित करने में बीआरएलएफ साझेदार लक्षित परिवारों की मदद कर रहे हैं।

परहित कंसोर्टियम के काम के तहत मुर्गी पालन इकाई, गांव– कालोथारा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश

दिगंबरपुर अंगिकार द्वारा आयोजित एक शिविर में बकरी का टीकाकरण, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल

एकेआरएसपी (भारत) द्वारा आयोजित पशु स्वास्थ्य शिविर। गांव– अमसारपाड़ा, ब्लॉक–सुबीर, डांग, गुजरात

बाएफ के कार्यक्षेत्र में मत्स्यपालन प्रशिक्षण। एटापाली, गढ़चिरोली जिला, महाराष्ट्र

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

आजीविका कार्यों के रूप में, बीआरएलएफ की सहयोगी संस्थाओं ने जमीन और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन पर केंद्रित गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की। इनमें प्रमुख हैं – जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, (जैसे चेक बांध, नहर, कृषि तालाब इत्यादि), बंजरभूमि विकास, कुओं की खुदाई, लघु वन उत्पाद संकलन केंद्रों की स्थापना, लघु वन उपज मूल्य श्रृंखला में परिवारों को ले आना, आदि।

मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत मरम्मत किया गया चेक बांध, बाएफ

शिवपुरी में मनरेगा के अंतर्गत भूमि समतलीकरण कार्य (परहित कंसोर्टियम)

प्रसारी द्वारा भूमि संसाधन विकास पर कार्य। पंचवर्गीय मॉडल संरचना, सम्सद नं. 2, कोराकाती ग्राम पंचायत, एसडीके 2, पश्चिम बंगाल।

खेत में पाल का निर्माण, कंधमाल, उड़ीशा (सेवा)

झाड़–लकड़ी चेक बांध का निर्माण, गांवः कलसपुर, पंचायतः बालिकुमा, ब्लॉकः कंकड़ाहाड़, जिलाः धेनकानाल, उड़ीशा (एफईएस)

मनरेगा के अंतर्गत निर्मित कुआं, सिलवानी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश (ल्यूपिन)

पत्थर चेक बांध, शिवपुरी (परहित कंसोर्टियम)

अधिकार एवं पात्रता

सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों, विशेषकर आदिवासी समाज के सशक्तीकरण, विकास, सुरक्षा व कल्याण हेतु सहायता करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक परिवारों को प्रमुख सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। जैसे, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) व अन्य। बीआरएलएफ का यह मानना है कि मानव विकास भी आजीविका जितना ही महत्वपूर्ण है।

प्रगति मार्च 2017 तक

वन अधिकार अधिनियम
परिवार लाभान्वित 2786
दावे जिनका निराकरण हुआ 1191

महात्मा गांधी नरेगा
परिवार लाभान्वित 55096

स्वच्छ भारत मिशन
परिवार लाभान्वित 45671

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
परिवार लाभान्वित 24114

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
परिवार जिनको लाभ मिला 16313

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
परिवार जिनको लाभ मिला 85982

प्रधानमंत्री आवास योजना
परिवार लाभान्वित 2354

पेयजल/स्वच्छता
परिवार लाभान्वित 14397

अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
परिवार लाभान्वित 114037

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जागरुकता के लिए दीवार–चित्र, गांव– चिचिनागवाथा, ब्लॉक– वघायी, डांग – एकेआरएसपी

एकेआरएसपी–आई, स्वास्थ्य–स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न गांवों में शौचालयों का निर्माण, डांग, गुजरात

पीएम आवास योजना (शिवपुरी, परहित कंसोर्टियम) के अंतर्गत सहारिया परिवार को एक नया घर मिला

विभिन्न अधिकारों के प्रति जागरुकता हेतु ग्रामीण बैठक, शिवपुरी (परहित कंसोर्टियम)

वीएसके द्वारा आदर्श शौचालय का प्रदर्शन, गांवः नवाढ़, मनिका

राशन कार्ड वितरण, गांव–वंशखेड़ी, ब्लॉक–शिवपुरी, जिला– शिवपुरी, मध्य प्रदेश (परहित कंसोर्टियम)

लघुवन उत्पाद संग्रह, गांव रानीपुरा, कराहल, जिला– शिवपुर (परहित कंसोर्टियम)

लोक संगठन साझेदारों को सहयोग

सीएसओ साझेदारों को तकनीकी सहायता

श्री विधि, बकरी पालन, घरेलू मुर्गीपालन व अन्य गतिविधियों के लिए बीआरएलएफ अपने साझेदारों की तकनीकी समझ को विकसित करने हेतु सहयोग प्रदान कराता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि साझेदार, कार्यक्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट कार्यों से सीख सकें तथा आजीविका के क्षेत्र में बेहतर प्रभाव छोड़ सकें, बीआरएलएफ ने परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध किया है।

एआईडी 360 पर सहायता

परियोजना प्रस्ताव चयन प्रक्रिया में आरम्भ से लेकर अंत तक पूर्ण पारदर्शिता बरतने हेतु बीआरएलएफ द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की मदद से एक सॉफ्टवेयर एआईडी 360 तैयार किया गया जिसकी मदद से प्रस्तावों के ऑनलाइन आवेदन और आगामी प्रगति की प्रक्रिया अवलोकन को संभव किया गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिये साझेदार संगठनों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने, उनकी सामयिक पड़ताल करते रहने और इसके माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। वस्तुतः, यह अपने आप में पहला ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ई–निविदा और भारतीय शासन व्यवस्था में पारदर्शिता के स्वप्न की राह में एक मील का पत्थर साबित होगा।

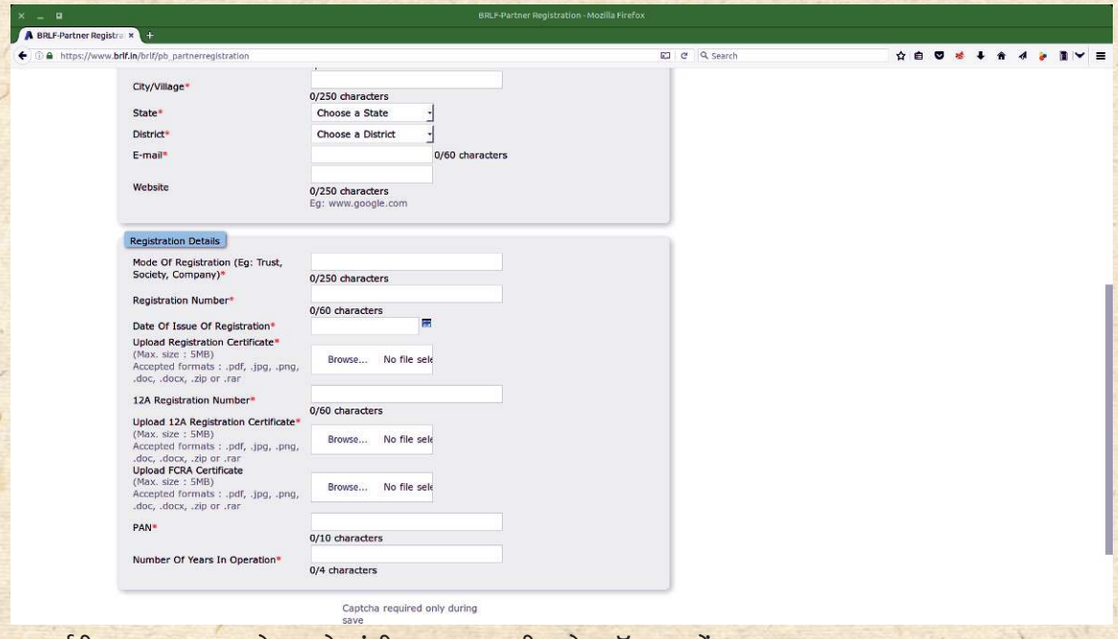

एआईडी 360: नए साझेदार के पंजीकरण का स्क्रीन वेब ब्रॉउज़र में खुला हुआ

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी

बीआरएलएफ समर्थित परियोजनाओं की सफलता के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः, बीआरएलएफ ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडीशा की सरकारों के साथ सहमति–पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित किए हैं।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के उत्तर में पहाड़ी जिलों में झरने (धाराएं) बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर पीने के पानी के प्रावधान के लिए। हालांकि, उनके जलागम क्षेत्र के अनाच्छादन होने से वे समय के साथ सूख गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा आयुक्त ने दार्जीलिंग, कालीम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के जिलों में झरना जीर्णाद्धार कार्यक्रम शुरू किया। बीआरएलएफ पार्टनर सीएसओ (प्रसारी) और ज्ञान साझेदार (एक्वाडैम) झरना उपचार योजनाओं की तैयारी और निष्पादन के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। चार जिलों में 456 धाराओं के उपचार के लिए काम हो रहा है। मनरेगा कोष के लगभग 27 करोड़ रूपए के उपचार की लागत मिल रही है।

बीएलआरएफ की भूमिका हैः

– धारा सेवकों का जल–विज्ञान पर क्षमता निर्माण, और भूजल भण्डार मानचित्रण

– डीपीआर की तैयारी में सहायता

– निष्पादन के दौरान फील्ड समर्थन

– मनरेगा सेल के साथ समन्वय

पारमपरिक धारा (झरना) व्यवस्था के जीर्णोद्धार के लिए बीआरएलएफ ने लोक संगठनों के साथ मिलकर, परियोजना का सह–वित्तपोषण, तकनीकी जानकारियों को साझा करने तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। ज्ञान प्रबंधन के तहत बीआरएलएफ इस कार्य के अल्पकालीन, मध्य एवं पूरी अवधि के प्रभाव का अध्ययन करेगा। इसके अलावा व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए दस्तावेज़ीकरण तथा धारा विकास के कार्य पर वीडियो डॉक्युमेंटरी का निर्माण किया जायेगा।

धारा विकास की सफलता को देखते हुए राज्य

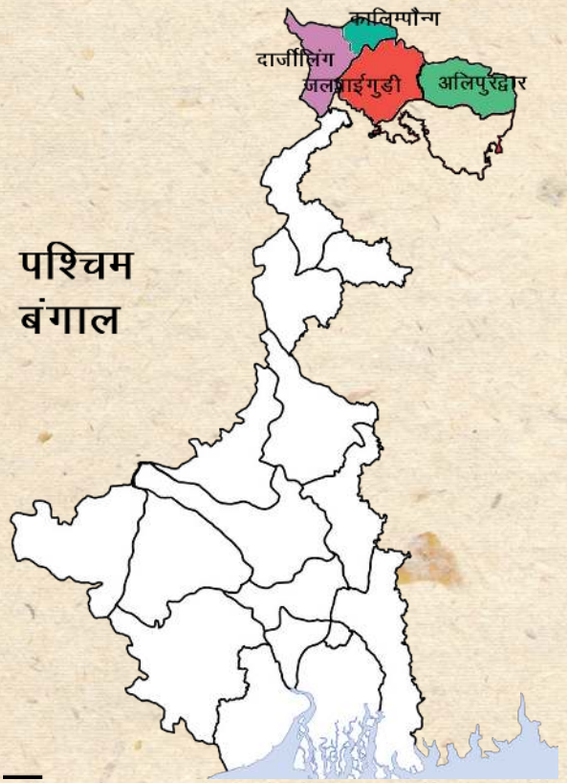

प.बंगाल के 4 पहाड़ी जिलों में धारा जीर्णोद्धार कार्य में बीआरएलएफ राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है

सरकार ने इस सिद्धान्त को और बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला लिया। ऊशरमुक्ति परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बीआरएलएफ तथा प्रदान संस्था के साथ एक सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल के पश्चिमांचल क्षेत्र के 6 ज़िलों के 54 ब्लॉक में रहनेवाले आदिवासियों तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए ठोस आजीविका का सृजन करेगी। परियोजना अंतर्गत आजीविका का सृजन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम से वित्तपोषण का लाभ उठाते हुए वॉटरशेड आधारित जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति एक खंदक में... उपचारित कार्यक्षेत्र का एक छोटा हिस्सा, आले धारा, नागरकाटा, पंचायत

प्रसारी टीम द्वारा समर्थन दौरा, आले स्प्रिंगशेड, चंपागुड़ी ग्राम पंचायत, नागराकाता, जलपाईगुड़ी

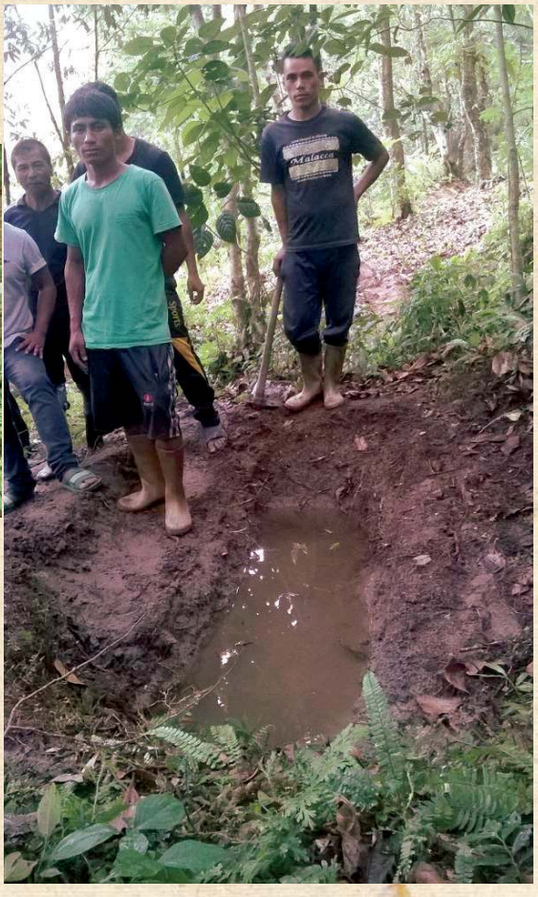

थोड़ी बारिश के बाद रिचार्ज खंदक पानी से भर गया, सिटॉंग–2, करसिआंग ब्लॉक

देओपानी स्प्रिंगशेड विकास कार्य, मटियाली, बतवारी नं.1 ग्राम पंचायत, मतियाली ब्लॉक, जलपाईगुड़ी

ओड़ीशा

बीआरएलएफ, कार्य योजनाओं को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी कर रहा है। ये कार्य योजनाएं एसआरएलएम की वार्षिक योजनाओं में अब सम्मिलित हैं। पूरे राज्य में बीआरएलएफ साझेदारों के द्वारा पशुधन संबंधी प्रमाणित गतिविधियों को एसआरएलएम बढ़ावा देता है। (घरेलू मुर्गीपालन, बकरी पालन आदि)।

महाराष्ट्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत छोटे किसानों के लिए संरक्षित सिंचाई को सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रस्तावित है। जिन ग्राम सभाओं को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक वन अधिकार प्राप्त हैं उनके साथ वन–आधारित आजीविका कार्य करने की संभावनाओं पर बीआरएलएफ राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहा है।

झारखण्ड

बीआरएलएफ संस्था निर्माण (जैसे, कृषक समूह, एफपीओ तथा स्व–सहायता समूह संघ) को सशक्त करने के लिए काम करेगा जिनका गठन जेएसएलपीएस कर रही है।

राजस्थान

ज़मीनी स्तर के परिणाम में सुधार के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन– महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम–क्लस्टर फसीलिटेशन टीम्स (सीएफटी) कार्यक्रम का अध्ययन संचालित किया गया। यह अध्ययन राज्य सरकार की ''अपना खेत अपना काम'' स्कीम पर किया गया। इसकी विस्तृत जानकारी शोध व ज्ञान संवर्धन के अध्याय में दी गई है।

क्षमता निर्माण: ग्रामीण प्रोफेशनल कार्यक्रम

बीआरएलएफ का एक मुख्य ध्येय है जमीनी स्तर पर मानव संसाधनों की कमी को पूरा करना। इस हेतु बीआरएलएफ ऐसे प्रोफेशनल तैयार करने में प्रयासरत है जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ग्राम पंचायत या उप–ज़िला स्तर पर कार्य कर सकें। यह कार्य गैर–सरकारी संस्थाओं या सरकारी संस्थानों के माध्यम से अथवा पीआरआई और/या क्लस्टर स्तरीय संघ नेताओं के चयनित प्रतिनिधि के रूप में कर सकते हैं।

इस जनादेश की दिशा में पहला कदम लेते हुए बीआरएलएफ ने 18 से 40 साल के आयु वर्ग के आदिवासी युवाओं के लिए बहु–केंद्र, बहु–विषय पाठ्यक्रम विकसित किया है। ग्रामीण आजीविका में यह सर्टिफिकेट कार्यक्रम (सीपीआरएल) ग्रामीण आजीविका के विभिन्न आयामों को शामिल करता है। क्षेत्र के कुछ प्रमुख संगठनों द्वारा इन पाठ्यक्रमों के ज्ञान और कौशल घटकों को पढ़ाया जाता है। क्षमता निर्माण की इस प्रमुख पहल में, बीआरएलएफ उन उम्मीदवारों को लक्षित करता है जो अनाधिसूचित जनजातियां और आदिवासी हों और जो केंद्रीय भारतीय आदिवासी बेल्ट के 1077 उप–जिलों से हैं, जहां बीआरएलएफ वर्तमान में परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है।

सीपीआरएल की विशेषताएं

- सीखने का कार्यक्षेत्र मध्य भारत आदिवासी क्षेत्र के सात राज्यों में स्थित है, जहां इन क्षेत्रों की प्रमुख संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम संचालित।
- किसी भी प्रकार की न्यूनतम औपचारिक शिक्षा की पूर्वशर्त के बग़ैर विश्वविद्यालय सर्टिफिकेशन प्रणाली में प्रवेश
- क्षेत्र भ्रमण एवं अभ्यास, कक्षा सत्रों, दृश्य–श्रव्य सामग्रियों के उपयोग, रोल प्ले, खेल एवं संवाद सत्रों, केस अध्ययन प्रणाली व सामूहिक अभ्यास पर आधारित शिक्षा
- देश भर के प्रमुख विद्वानों के साथ मुखर होने का अवसर
- ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में प्रकट हो रही चुनौतियों तथा फील्ड प्रैक्टिस में समकालीन विषयों पर केंद्रित शिक्षा

फलस्वरूप, बीआरएलएफ एवं इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी, जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण के तहत एक कोर्स की रूपरेखा बनाई गई है। मध्य भारत के आदिवासी युवाओं के लिए 'सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुड्स' (सीपीआरएल) के छःमासिक पहले बैच की शुरुआत 15 नवंबर 2016 को हुई।

सीपीआरएल उद्घाटन

डॉ. मिहिर शाह, अध्यक्ष, बीआरएलएफ (बाएं) और डॉ. एस डी गुप्ता, अध्यक्ष, आईआईएचएमआरयू (दाएं) उद्घाटन के मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए

सीपीआरएल पाठ्यक्रम

कार्यक्रम दो भागों में बंटा हुआ है:

Kmn{ 4 – ग्रामीण रोज़गार, कार्यक्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों एवं कार्यक्षमता के बारे में प्रतिभागियों की संपूर्ण समझ निर्मित करने के लिए परिप्रेक्ष्य निर्माण मॉड्यूल आयोजित किया जाता है। भाग 1 मॉड्यूल का मुख्य फोकस, प्रतिभागियों के समक्ष संपूर्ण संदर्भ को स्थापित करने पर होता है। ये प्रतिभागी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के साथ–साथ तकनीकी (अंग्रेज़ी एवं आईटी कौशल) एवं लाइफ स्किल्स सीखते हैं। देश भर से आए विद्वानों, विषय–विशेषज्ञों तथा पेशेवर व्यक्ति जयपुर के आईआईएचएमआरयू परिसर में प्रारंभिक मॉड्यूल्स को प्रस्तुत करते हैं।

कोर्स के Kmn{ 5 के लिए, सीपीआरएल शिक्षार्थियों ने बीआरएलएफ सीएसओ साझेदारों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मध्य भारत आदिवासी बहुल क्षेत्र के सात राज्यों में यात्राएं कीं। सीएसओ साझेदार

(जैसे, प्राण, प्रदान, आगा खॉ रूरल सपोर्ट, एफईएस, बाएफ, उत्थान, मेंडालेखा ग्राम सभा, वासन, चैतन्य, आनंदी, उद्योगिनी, पानी संस्थान, सेतु व एसीटी) जिन्होंने ग्रामीण एवं वन आधारित आजीविका पर अनुकरणीय कार्य किया है, द्वारा इस मॉड्यूल को पढ़ाया गया। नीचे दी गई तालिका पूरे कार्यक्रम और उसमें प्रशिक्षकों की भूमिका निभाने वाली संस्थाओं का विवरण देती है।

सत्र	साझेदार संस्था	दिवस	प्रशिक्षण स्थान
पहला भाग– आधारभूत खंड			
कार्यात्मक आई टी कौशल	डी.ई.एफ	12	आई.आई.एच.एम. आर.यू
कार्यात्मक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान	क्वेस्ट अलायन्स	6	आई.आई.एच.एम. आर.यू
परिप्रेक्ष्य विकास	विषय विशेषज्ञ	5	आई.आई.एच.एम. आर.यू
दूसरा भाग– विषयगत जानकारी खंड			
सहभागी भू–जल प्रबंधन,	ए.सी.टी	10	भुज
जल–संग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन	ए.के. आर.एस.पी	21	सायला
स्वच्छता	उत्थान	8	दाहोद
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व साझा संपत्ति संसाधन	एफ.ई.एस	12	उदयपुर
फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला अवधारणा 1–सम्पूर्ण फार्म अवधारणा	बायफ	12	लच्छाखेड़ी
गैर–फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला– पशुधन एवं मुर्गी पालन	बायफ	11	उरुलीकंचन
संस्था निर्माण 1 – महिला स्वयं सहायता समूह और आजीविका	चैतन्य	12	राजगुरु नगर
अधिकार एवं हक 1– वन आधारित आजीविका	मेंढा लेखा ग्राम पंचायत	3	मेंढा लेखा
संस्था निर्माण 2– ग्रामीण समुदाय उद्यम मॉडल एवं मूल्य श्रृंखला	उद्योगिनी	8	रांची
फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला अवधारणा 2 – गैर–रासायनिक कीटनाशक आधारित कृषि	प्राण	10	बोध गया
अधिकार एवं हक 2 – विकेन्द्रित शासन और लोक संस्थाएं	पानी संस्थान व सेतु	10	फैजाबाद
जेंडर और आजीविका	आनंदी	5	सायला

सीपीआरएल का पाठ्यक्रम और सीखने के सक्रिय दिवस

सीपीारएल के प्रशिक्षण स्थल व मार्ग का मानचित्र

सीपीआरएल के प्रमुख उद्देश्य

- राज्य सरकारों, एनजीओ एवं सीएसओ के लिए उच्च दक्षता व ज्ञानवान अग्रणी पेशेवरों (प्रोफेशनल) को तैयार करना।
- आदिवासी युवाओं के कैडर को तैयार करना, जो वैश्विक, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों के अपने वातावरण, पारिस्थितिकी, ग्रामीण रोज़गार के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों।
- स्थानीय इलाक़ों के सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर आधारित वैकल्पिक आजीविका की खोज के लिए आदिवासी युवाओं का क्षमता–निर्माण।
- आदिवासी युवाओं का क्षमता–निर्माण कर उन्हें अपने समुदायों को समझने में सहायता करना, उनकी स्वयं की क्षमता को अनुभव करते हुए उन्हें संगठित करना और इसका उपयोग उनके पर्यावरण तथा समाज की बेहतरी के लिए करना।
- आदिवासी क्षेत्र में ऊर्जावान पेशेवरों का निर्माण करना ताकि ग्रामीण समुदायों के विकास हेतु प्रतिबद्ध नैतिकवान नेतृत्व समूह की रचना हो सके।

संकाय/संसाधन व्यक्ति

क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ विभिन्न पाठ्यक्रम मॉड्यूल को अलग–अलग स्थानों में सिखाते हैं । ग्रामीण आजीविका के अनुभवी पेशेवरों का समूह जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आदिवासी विकास सहित आजीविका कार्यक्रमों की गहरी जानकारी रखता हो, संकाय या संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। विशेष सत्रों के लिए आवश्यकता अनुसार बाहर से भी फैकल्टी को आमंत्रित किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

इस योजना के लिए निम्नलिखित दो माध्यमों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे:

1. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार–पत्रों में तथा आईआईएचएमआरयू व बीआरएलएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर खुला विज्ञापन ;

2. राज्य सरकारों/राज्य आजीविका मिशन/ग्रामीण विकास विभागों/सीएसओ/ कॉरपोरेट समूहों/सेंट्रल इंडिया ट्राइबल बेल्ट में कार्यरत द्वारा नामांकन।

सीपीआरएल के लिए सर्वोत्कृष्ट अभ्यर्थियों की जांच एक सशक्त प्रक्रिया के माध्यम से हुई, जिसका चित्रण नीचे है:

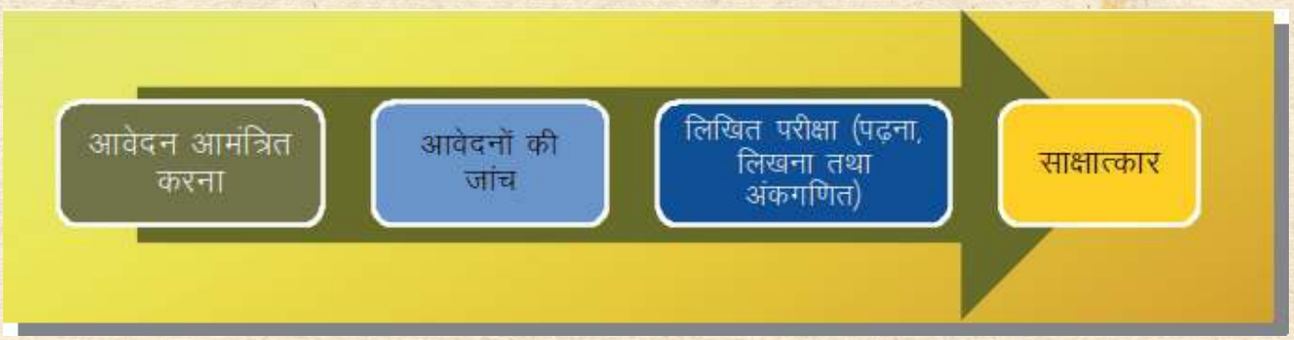

पात्रता

प्रतिभागियों के लिए

– अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति अथवा घुमंतू आदिवासी समुदायों से संबद्ध हो।
– अभ्यर्थी बीआरएलएफ के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
– अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
– अभ्यर्थी इस बात का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करे, कि उसके लिखने, पढ़ने तथा गणितीय क्षमता 10वीं कक्षा के समतुल्य हो। (इसकी जांच लिखित परीक्षा के दौरान की जाएगी)
– प्रतिभागी की आयु निश्चित रूप से 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

नामांकन करने वाली संस्थाओं के लिए

– बीआरएलएफ के कार्यक्षत्र के एसआरएलएम तथा राज्य ग्रामीण विकास विभाग
– संस्थान/संगठन आयकर की धारा 12–ए के तहत ग़ैर–लाभकारी (नॉट–फॉर–प्रॉफिट) के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
– संस्थान का फोकस आदिवासी विकास, विशेषकर आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण पर होना चाहिए।
– सांस्थानिक कामकाज का क्षेत्र बीआरएलएफ के कार्यक्षेत्र के अंदर होना चाहिए।

पहले बैच का प्रोफाइल

पहले बैच के लिए कुल 30 छात्रों का चयन किया गया था। स्वास्थ्य संबंधी कारणों सेएक छात्र को शुरुआत में ही कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। पहले बैच का प्रोफाइल इन चित्रों में दर्शाया गया है।

लिंग

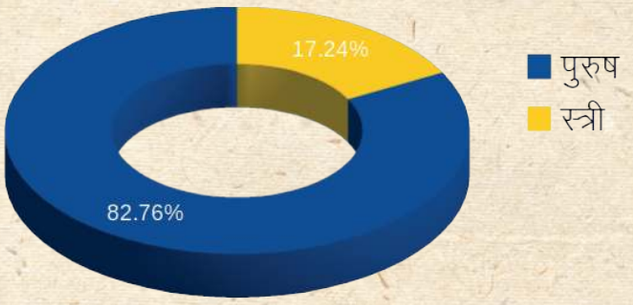

आयु

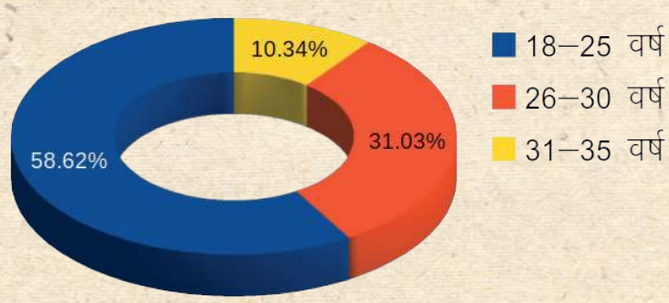

शिक्षा

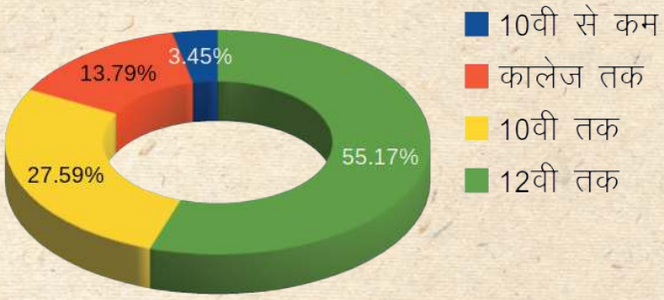

राज्य

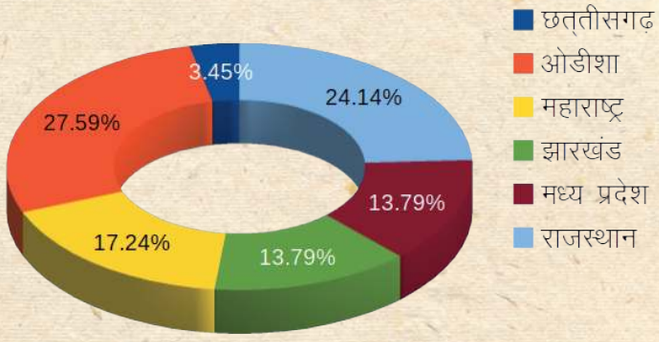

प्रशिक्षण के परिणाम

– प्रतिभागियों का ग्रामीण विकास के मुद्दों पर गहन ज्ञान अर्जित हुआ
– प्रशिक्षण के बाद काम करने का मौका, जहां वे व्यवस्था से व्यवहार के नए तरीके लागू कर सकते हैं और इन व्यवस्थाओं में कमियों को भी दूर कर सकते हैं।
– समुदाय के साथ जुड़ना, उनकी समस्याओं को समझना और समाधान ढंढने में उनकी मदद करने में प्रतिभागी अब ज्यादा सक्षम हो गए हैं।
– साथ–साथ किए गए सफर में उन्होने टीम प्रबंधन, संवाद, अंतर–व्यक्तिगत कौशल हासिल किया और साथ ही विवादों को सुलझाने, निर्णय लेने और समय के प्रबंधन को भी सीखा।
– बहु–सांस्कृतिक और बहु–भाषी दल में काम करना सीखा।
– सबने नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन की।
– प्रशिक्षण ने उनके अंदर छिपी हुई उद्यमिता को बाहर निकाला।
– सभी प्रशिक्षणार्थी कम्प्यूटर और इंटरनेट के उपयोग में दक्ष हो गए।
– रोल–प्ले, सामूहिक चर्चा, के अध्ययन, खेल आदि जैसे प्रशिक्षण के तरीकों से भलि–भांति वाकिफ हो गए।

प्रशिक्षणर्थियों की प्रतिक्रियाएं

''मैं सबकुछ जानता था'', और सब कुछ जानने का दावा कर–करके अपने अहम को मैने पाला था। इस छः महीने की यात्रा के अंत में, मैंने अपने अहंकार को छोड़ना और ''मैं नहीं जानता'' के रवैये के साथ चीजों का देखना सीख लिया। मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर व्यक्ति बन गया हूं!

ynxq mux fnf|` hjnmn%Y·

''कोर्स में मैं एक विशाल भावनात्मक मंथन से गुजरी! पहले हमेशा मुझे हर किसी से अलगाव की भावना महसूस होती थी (''मुझे सब अनजान लगते थे'')। पाठ्यक्रम ने मुझे मेरे आस–पास की सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता और जुड़ाव की भावना पैदा की। मैं अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करने के लिए घर लौटने और काम करने की प्रतीक्षा कर रही हूं।''

hnixgn PnPm` Anm^nP

''जब एक महिला ने मेरे गांव के ग्राम सभा में भाग लेने की कोशिश की, तो मुझे लगा था कि ग्रामसभा में बैठने के लिए इन महिलाओं की क्या आवश्यकता है और वे अपने काम से क्यों नहीं मतलब रखतीं? लेकिन अब मैं समझता हूं कि मेरा ऐसा महसूस करना कितना गलत था। मैं महिलाओं के विकास के लिए काम करना चाहता हूं, और अपने ही घर की महिलाओं से शुरू करूँगा!''

uXjnwk m{xnIn BnnP` hjnmn%Y·

''मुझे नेतृत्व की सकारात्मक शक्ति का एहसास हो गया है और मैं गांव लौट सरपंच बन पंचयात अधिनियम की शक्तियों को वास्तव में सक्रिय करने के कृत–संकल्प हूं।''

*>nh|n| hkxn` mnw0Inn x

''मैं पहले पुलिस या सेना में भर्ती होना चाहता था। अब मुझे लगता है कि मैं बदल गया हूं। जैसे जैसे मैं पाठ्यक्रम में आगे बढ़ा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की परिवर्तन संभावनाओं का पता चलता गया, मुझे जैसे अपना सार मिल गया। और मुझे इस बात का बहुत आभार महसूस हुआ कि मैं पुलिस या सेना में नहीं गया जो मुझे अपने समुदाय से दूर कर सकता था।''

ir|no ugnmnh Knn{nm` hjnmn%Y·

''एक आदिवासी होने के नाते असहाय और बेकार लगते ही मैं बड़ा हुआ। पाठ्यक्रम के अंत में, मुझे एक आदिवासी होने पर गर्व महसूस हुआ। देश भर के इतने सारे आदिवासी युवा परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। यह मेरे लिए एक बदलाव का मोड़ रहा।''

yhn| yniqrnok` h2> •q*n

''मैं सशक्त और बदला हुआ महसूस करता हूं। मैं अंतर्मुखी थी और किसी से भी बात नहीं करती अब मैं लड़कों के साथ भी बात कर सकती हूं। मैं हमेशा समुदाय के लिए काम करना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास समुदाय को अपनी बात सुनाने आवाज में पर्याप्त शक्ति नहीं थी। अब मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूं।''

|k|n 2nr|` QUunko{?

''मैं अपनी बहनों के बाहर काम करने या पढ़ने के पक्ष में नहीं था। जब मेरी बहनों ने मुझे उनके साथ परीक्षा केन्द्रों में जाने के लिए कहा तो मैंने कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे क्रोध और शर्म महसूस करता था कि मेरी बहनें दुनिया के सामने बाहर निकल रहीं थीं। लेकिन इस यात्रा से गुजरने के बाद मैं न केवल अपने परिवार की महिलाओं बल्कि उनकी विकास की यात्रा में अन्य महिलाओं की भी मदद करना चाहता हूं।

yw> 2nr|` h2> •q*n

मुझे लगता था कि अकेले मेरा ही गांव के सभी संसाधनों पर अधिकार हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह संसाधन समुदाय में हर किसी के हैं और न केवल मेरे।

i^nmo2n Knne|` yniP*nn

अब मैं अपनी पत्नी को मोबाइल फोन दूँगा। मेरे गांव में महिलाओं को सेलफोन देना मना है, लेकिन मेरी पत्नी के अधिकार के लिए मैं उस धारणा से लड़ने को तैयार हूं।

mnh=l hkxn` mnw0Inn x

एक यादगार सफ़र

छः महीने इन 29 प्रशिक्षणार्थियों ने साथ बिताया। कई जगह साथ गए और उनमें से कुछ जीवन में पहली बार – जैसे समुद्र और रगिस्तान। अलग–अलग राज्यों के लोगों से मिलना, उनका खाना खाना, और उनके जीवनशैली को समझना – इन सबसे हुआ उनका सफ़र यादगार।

कार्यक्षेत्र में कुओं की वस्तुसूचि बनाना और मानचित्रण सीखते छात्र

ए-फ्रेम (बाएं) का उपयोग सीखते और जल संरक्षण ढांचे के निर्माण पर पीआरए अभ्यास करते (ऊपर) सहभागी

वॉश पर सामुदायिक संवाद और पीआरए

गड्ढे खोदना तथा वाड़ी प्रबंधन

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद और सामुदायिक संघटन

मेंढालेखा ग्रामसभा में पेसा और वन अधिकार अधिनियम पर बातचीत तथा कंप्यूटर पर काम करते विद्यार्थी

क्षेत्र में गैर-रासायनिक कृषि प्रबंधन पर काम करते विद्यार्थी और नारी संघ के साथ बातचीत

जेंडर के बारे में प्रशिक्षण

सफर के दौरन कुछ मस्ती

मुख्य विषय क्षेत्र

सहभागी भू-जल प्रबंधन

आजीविका संबंधी कार्यक्रम में टिकाऊ भूजल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में और रोज़गार सृजित करने तथा आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस पृष्ठभूमि के साथ, बीआरएलएफ ने सहभागी भूजल प्रबंधन को अपने योजना–तंत्र के एक मुख्य तत्व के रूप में अपनाया है। एक्वाडेम अपने पीजीडब्ल्यूएम साझेदारों के साथ बीआरएलएफ से जुड़े संगठनों के सहयोग से सहभागी भूजल प्रबंधन संबंधी प्रयोगों को संचालित करने हेतु बीआरएलएफ का साझेदार है। तदनुसार, सात राज्यों के 14 ज़िलों में कुल 20 प्रमुख स्थानों पर पायलट की शुरुआत की गई है। आज, चार पीजीडब्ल्यूएम साझेदार – एक्वाडेम, पीएसआई, वासन तथा एसीटी – का नेटवर्क, बीआरएलएफ पीजीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य भारत आदिवासी बहुल क्षेत्र में 10 बीआरएलएफ साझेदारों के साथ पीजीडब्ल्यूएम पायलट पर कार्य कर रहे हैं।

सहभागी भूजल प्रबंधन के परिणाम, जल सुरक्षा, पेयजल योजनाओं तथा कृषि कार्यक्रमों पर केन्द्रित रहने वाले विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी कार्यक्रमों से जुड़े हैं। इस पद्धति के नतीजों को विभिन्न

सामुदायिक स्तर पर जल गुणवत्ता की जांच का प्रदर्शन

कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलाया जा सकता है। इससे अंततोगत्वा समुदाय को लाभ मिलेगा तथा संसाधनों की निरंतरता सुनिश्चित होगी। योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है मांग प्रबंधन, जो भूजल का न्यायसंगत एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। यह कार्य समुदाय के नेतृत्व में मसविदा बनाकर किया जाता है। स्थानीय अधिशासक संस्थाएं मसविदे को औपचारिक रूप देती हैं।

पायलट कार्यक्षेत्र

बीआरएलएफ योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है– मध्य भारत आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासियों के जीवन में रोज़गार उपायों के माध्यम से उचित बदलाव लाना। अतः भूजल प्रबंधन पायलट के लिए भी ऐसे क्षेत्र चुने गए जिनमें 20 फीसदी से ज़्यादा आदिवासी जन–संख्या है। वाकी, जामखेल और लेडापठार 3 स्थान हैं जो पूर्णतः आदिवासी हैं। 15 पायलट स्थल ऐसे हैं जहां कम से कम 20 प्रतिशत् आदिवासी हैं।

संस्थाओं एवं स्थानीय स्रोत व्यक्तियों का प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण

सहभागी भूजल प्रबंधन प्रणाली का एक प्रमुख पहलू है हितधारकों का क्षमता निर्माण। यह क्षमता निर्माण भूजल, उसकी निगरानी तथा उससे जुड़े उपायों की समझ निर्मित करने के लिए किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर इस तरह की क्षमता के निर्माण तथा स्थापना की आवश्यकता है। योजना के हिस्से के तहत पीजीडब्ल्यूएम पद्धति की बारीकियों एवं गतिविधियों पर बीआरएलएफ से संबद्ध संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

अब तक दो प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं– प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्तूबर 2015 में आयोजित किया गया तथा दूसरा प्रशिक्षिण/योजना–निर्माण कार्यक्रम 2016 में रांची में आयोजित किया गया।

lj|n li*n~n1n

– मुख्य उद्देश्यः सहभागियों के द्वारा एकत्रित किए जा रहे फील्ड स्तर के विभिन्न आंकड़ों के उद्देश्यों व नतीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताना।

– भूजल, संसाधन आधार जैसे, जलभृत तथा जल की गुणवत्ता के विभिन्न पक्ष, कुओं के जलस्तर की निगरानी, मौसम निगरानी एवं जलभृत मैपिंग प्रक्रिया की समझ विकसित करने हेतु प्रशिक्षण।

– सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाए जा रहे प्रयासों को बढ़ाना तथा इन्हें बीआरएलएफ साझेदार संगठनों की पारिस्थितिकी के साथ जोड़ना।

qomn li*n~n1n

– मुख्य उद्देश्य : क्षमता निर्माण

– स्थानीय संसाधन सेवियों का प्रशिक्षण, जो गांवों में कार्यरत हैं और, जहां बीआरएलएफ–पीजीडब्ल्यूएम योजना लागू की जा रही है।

– आंकड़े कैसे इकट्ठा करें?

– योजना के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं?

निगरानी तंत्र

प्रारंभिक स्थानों के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाता है, ताकि भूजल स्तरों एवं अन्य जलविज्ञान संबंधी मापदंडों में वर्ष भर में होनेवाले बदलावों को समझा जा सके। निगरानी तंत्र में शामिल हैं– भूजल स्रोत, जिनकी इलाक़े में बहुलता है; इनकी एक निश्चित आवृत्ति पर, जलविज्ञान संबंधी एक चक्र के अंदर निगरानी की जाती है। इसमें कुएं, चापाकल अथवा बोरवेल शामिल हैं। मानक व्यवहार को अपनाते हुए, तंत्र के संपूर्ण स्रोतों के 15 प्रतिशत की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। बड़ी संख्या में स्रोत वाले इलाक़ों, जैसे कोराकाटी ग्राम पंचायत (1663 स्रोत, 120 स्रोत), के 7 प्रतिशत स्रोतों की निगरानी फील्ड टीम एवं सीआरपी के द्वारा की गई। हालांकि, इस बात का ध्यान रखा गया कि चयनित निगरानी केंद्र पायलट क्षेत्र के अंदर हों।

जल की गहराई माप, मेतलीहाट ग्राम पंचायत, मेतली ब्लॉक, जलपाईगुड़ी (प्रसारी)

बैजापाली, ओडीशा (सेवा) में पंपिंग टेस्ट

संवाद, साझेदारी व वकालत

पीजीडब्ल्यूएम, अनेक प्रकार के सहभागियों के साथ सहकार्य पर आधारित है। अतः विभिन्न कर्ताओं जैसे, सरकारी विभागों एवं योजनाओं, गैर–सरकारी संगठनों के साथ संबंध निर्मित करने तथा भागीदारी को मज़बूत करने के प्रयास किए गए। पायलट स्थानों में समुदायों ही प्रमुख हितधारक हैं, और समुदायों को

कार्य प्रगति के बारे में सूचित करने तथा हितधारकों की धारणाओं को समझने के लिए, व्यवस्थित प्रयास की आवश्यकता होती है। इन प्रयासों को आगे ले जाने के लिए कई गांवों में बैठकों का आयोजन किया गया।

ठोस व तरल कचरा प्रबंधन

जल, स्वच्छता एवं आरोग्य (डब्ल्यूएएसएच – वॉश) सेवा में सुधार, संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। भारत में वॉश सेवाओं में सुधार हेतु भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को अपनाया है। स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रमुख अंग है ठोस व तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम)।

सीएसओ साझेदारों के बीच वॉश कार्यों को लागू करने के लिए बीआरएलएफ ने उत्थान संस्था के साथ एक तीन वर्षीय सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह सहमति ''वॉश कार्यक्रमों का समग्र और टिकाऊ प्रबंधनः क्षमता निर्माण और अमल में सहयोग'' नामक परियोजना को लागू करने के लिए है। सहमति (12 मई, 2016 को हस्ताक्षरित) के तहत, उत्थान 15 संस्थाओं के लिए क्षेत्र की सहयोग व क्षमता निर्माण के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा; मध्य भारत आदिवासी बहुल क्षेत्र में वॉश कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, योजना बनाने, लागू व मूल्यांकन करने की क्षमता वाले 330 ग्रामीण आदिवासी जमीनी प्रोफेशनल तथा 30 दक्ष प्रशिक्षकों को तैयार करेगा। इस तीन वर्षीय परियोजना के माध्यम से बीआरएलएफ परियोजना क्षेत्रों में फैले 15–20 गांवों के 3,000 परिवारों से जुड़े 15,000 लोगों को लाभ मिलना अपेक्षित है।

गैर-रासायनिक कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि

बीआरएलएफ का एक प्रमुख काम है टिकाऊ कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करना, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, मिट्टी, कीट–पतंग, जानवरों तथा जैव–विविधता की सुरक्षा हो, खाद्य व जल स्रोतों का बेहतर बचाव सुनिश्चित हो, बीआरएलएफ–सीएसओ साझादारों के अंतर्गत आनेवाले परिवार, गैर–रासायनिक कीटनाशक प्रबंधन कार्यों को अपनाने के लिए आगे आएं। गैर–रासायनिक आधारित कृषि को प्रोत्साहित करना सभी बीआरएलएफ अनुदेयी संस्थाओं के लिए एक आवश्यक शर्त है।

गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन के तहत प्राणमित्र की तैयारी, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल (दिगंबरपुर अंगिकार)

1954 से भारत में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। इस तरह से रासायनिक

गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन के तहत खाद निर्माण का प्रदर्शन, छत्तरपुर, झारखंड (विकास सहयोग केन्द्र)

कीटनाशकों (जिनमें से कइयों के उपयोग पर भारत में पाबंदी है) के खुले उपयोग से स्वास्थ्य और खेती व्यवस्था पर गहरा और प्रतिकूल असर पड़ा है, खास तौर से इसलिए की समय के साथ कीटों में इन कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो जाता है। गैर रासायनिक कीटनाशक पद्धति अभियान कृषकों को बिना रासायनिक कीटनाशक के फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस पद्धति से निकले उत्पादों की अलग पहचान बनाना और छोटे किसानों को बाज़ार व्यवस्था से जोड़ना भी इसके उद्देश्यों में है। गैर–रासायनिक कीटनाशक पद्धति से खेती उपयुक्त प्रबंधन तरीकों (जैसे, जैविक खाद, कृषि अवशेष का पुनःप्रयोग, तरल खाद, हरित खाद और तालाब के गाद का कृषि जमीन पर उपयोग) से मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ धीरे–धीरे रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करने पर बल देती है।

31 मार्च 2017 तक वर्ष 2016–17 में 7069 परिवारों ने इस पद्धति की खेती या संरक्षण खेती को अपनाया। इस तारीख तक कुल मिलाकर 10560 परिवार इस पद्धति से जुड़ चुके थे। क्षेत्रफल को देखें तों 2016–17 में 2339.48 हेक्टेयर और कुल मिलाकर 3336.99 हेक्टेयर इस पद्धति के तहत आ चुके हैं।

गैर-अधिसूचित एवं घुमंतू जनजातियां

ग़ैर–अधिसूचित जनजातियों (डीएनटी) और घुमंतू जनजातियों (एनटी) का सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन निरंतर जारी है। इसलिए, डीएनटी और एनटी के जीवन के समक्ष आने वाली परेशानियों को समझने और सही समाधान ढूंढने के लिए बीआरएलएफ ने ठोस क़दम उठाए हैं। 17 मार्च, 2016 को बीआरएलएफ की कार्यकारिणी समिति ने डीएनटी–एनटी पर एक उप–समिति का गठन किया। इसका गठन महाराष्ट्र के शोलापुर तथा ओस्मानाबाद ज़िलों के 50 गांवों में फैले पारधी एवं वदार समुदायों से जुड़े 500 से अधिक परिवारों की भूमि व जल आधारित आजीविका, शिक्षा अधिकार और पात्रता हेतु कार्य की रणनीति विकसित करने के लिए किया गया।

1 अप्रैल, 2017 को उप–समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में अनेक संगठन सम्मिलित हुए, जो परियोजना को लागू करने की संभावना रखते थे। यद्यपि, इन क्षेत्रों में जाने से पता चला कि आजीविका

संबंधी विषयों पर, डीएनटी/एनटी समुदायों के साथ काम करनेवाले संगठनों की संख्या इन इलाक़ों में काफी कम है। सेवावर्धिनी, विमुखता विकास परिषद तथा लोकधारा सरीखे संगठनों ने इस क्षेत्र में काम किया है। तथापि, सेवावर्धिनी का चयन, इलाक़े में उसकी मौजूदगी तथा कामकाज (उदाहरणार्थ, कौशल निर्माण) के कारण किया गया। काफी परिश्रम तथा विस्तृत विचार–विमर्श के बाद सेवावर्धिनी के चयन के उपरांत, परियोजना ''महाराष्ट्र के डीएनटी/एनटी समुदाय का सशक्तीकरण तथा उनकी आजीविका के अवसरों में वृद्धि को सुनिश्चित करना'' को अंतिम रूप दिया गया। इस तीन वर्षीय परियोजना के लिए बीआरएलएफ ने रु.91.76 लाख का अनुदान सेवावर्धिनी को स्वीकृत किया है। सेवावर्धिनी बीआरएलएफ के अनुदान के अलावा रु.37.70 लाख इस परियोजना हेतु अन्य स्रोतों से जुटाएगा।

पारधी घर। पारधी और इनकी तरह की अन्य जनजातियां भीषण ग़रीबी में जीती हैं

बीआरएलएफ कार्यकारिणी समिति सदस्य श्री गिरीश प्रभुणे द्वारा महाराष्ट्र में ग़ैर–अधिसूचित जनजाति क्षेत्र का दौरा

1 अप्रैल, 2017 को बीआरएलएफ ने परियोजना को लागू करने के लिए सेवावर्धिनी के साथ तीन वर्षीय सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत, सेवावर्धिनी का प्रयास रहेगा कि सरकार तथा अन्य दाताओं

पारधियों के द्वारा लकड़ी का काम

तैयार उत्पाद

से संसाधन जुटाकर विभिन्न कार्यक्रमों को नियोजित करे। परियोजना से यह अपेक्षा है कि वहः

– शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक सहयोग के जरिए डीएनटी तथा एनटी समुदायों को संगठित करेगी।
– विभिन्न कार्यों के ज़रिए लक्षित परिवारों की आजीविका विकास एवं वृद्धि;
– पारिस्थितिकी (भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विकास) को मजबूत बनाएगी
– एवं विशेष डीएनटी व एनटी समुदायों की आजीविका में सुधार पर आधारित ज्ञान के सृजन के माध्यम से किया जाएगा।

शोध एवं ज्ञान प्रबंधन

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन, बीआरएलएफ का एक विभाग है, जिसे विशेष रूप से मध्य भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, आजीविका पर एक राष्ट्रीय ज्ञान मंच बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस विभाग का ध्येय है क्षेत्र में बीआरएलएफ कार्य से प्राप्त सीखों को एक साथ लाना, उन्हें बड़े परिदृश्य से जोड़कर विश्लेषण करना ताकि सिफारिश की जा सके कि सरकार की नीति बेहतर परिणाम कैसे ला सकती है या सीएसओ क्या अलग कर सकते है।

विभाग स्वतंत्र अध्ययन या सर्वेक्षणों को भी संचालित कर सकता है, या विशिष्ट प्रश्नों को संबोधित करने के लिए सरकार या कुछ अन्य एजेंसी के निकट सहयोग में काम कर सकता है। यदि आवश्यक हो, तो यह विभाग बीएलएलएफ के बाहर से विशेषज्ञों को भी एक साथ लाकर विशिष्ट विषयों या मुद्दों पर शोध कर सकता है।

राजस्थान सरकार के लिए मनरेगा के संकुल सहयोग दल पर अध्ययन

राजस्थान सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर, बीआरएलएफ ने राज्य के 'अपना खेत अपना काम' योजना के विशिष्ट संदर्भ में, मनरेगा के तहत क्लस्टर फसिलिटिशन टीम (सीएफटी या संकुल सहयोग दल) पर एक अध्ययन किया।

अध्ययन का दायरा

- अपना खेत अपना काम के कार्यान्वयन में सीएफटी की भूमिका का मूल्यांकन।
- योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न व्यक्तियों/ संस्थाओं की प्रक्रियाएं और भूमिकाएं
- विभिन्न चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियां
- योजना के तहत बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें
- स्कीम के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के मॉडल को समझना।

शोध प्रश्न

अध्ययन ने मोटे तौर पर दो शोध प्रश्नों को देखाः

- सबसे पहले, क्लस्टर सुविधा टीम के समर्थन के साथ, अपना खेत अपना काम कार्यक्रम के तहत

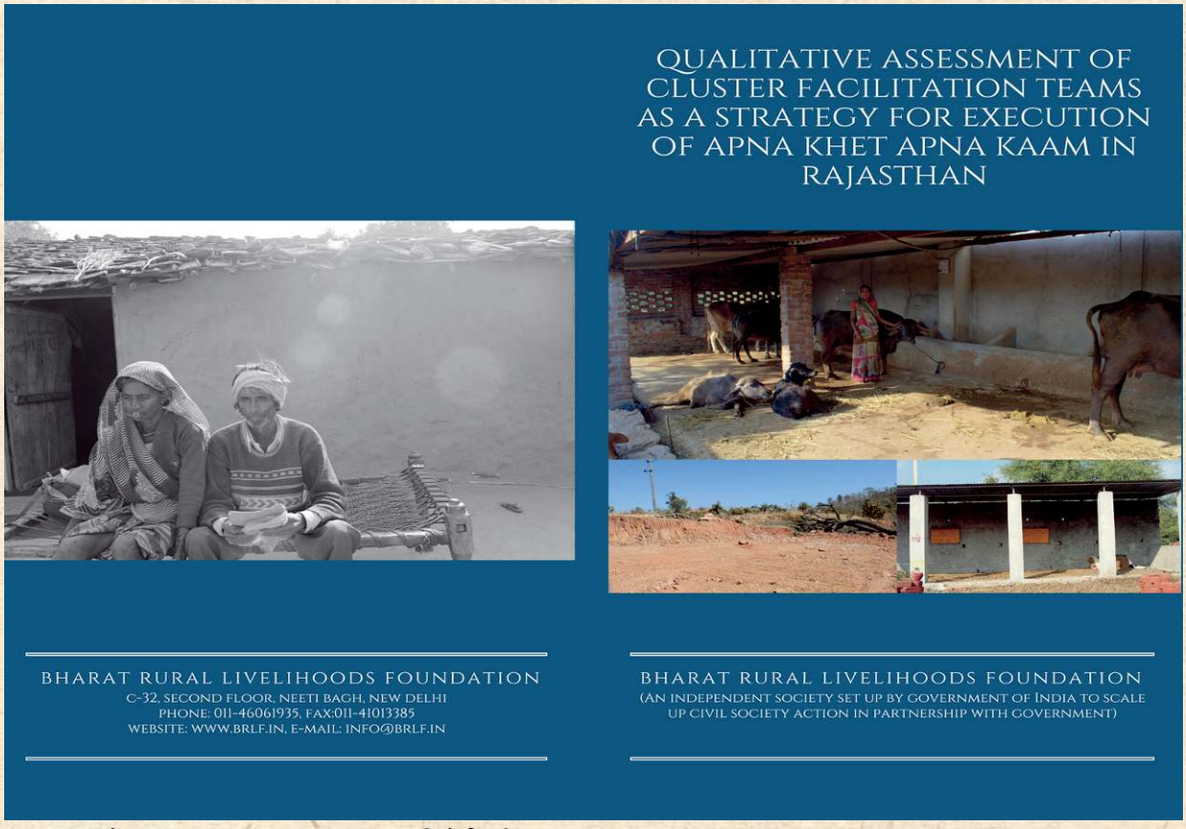

अपना खेत अपना काम पर अध्ययन रिपोर्ट की आवरण पृष्ठ

पीआरआई द्वारा बनाई गई व्यक्तिगत उत्पादक और गुणवत्ता संपत्ति की मौजूदा स्थिति क्या है

– दूसरा, रोजगार और उत्पादक और टिकाऊ समुदाय संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से मनरेगा कितनी हद तक आजीविका बढ़ाने में सफल रहा है।

क्रियाविधि

सामाजिक संरचना, एचडीआई रैंकिंग, भौगोलिक स्थान और सीएफटीज में भिन्नताों को देखते हुए दो ब्लॉक, झालावार जिले के बाकानी और डुंगरपुर जिले के झोंथ्री को अध्ययन के लिए चुना गया। प्रत्येक ब्लॉक में 266 परिवारों को सर्वेक्षण के लिए स्तरीकृत अनियमित नमूनाकरण के आधार पर चुना गया। दो ब्लॉकों में झोंथ्री (डुंगरपुर) और बकानी (झलावार) में कई हितधारकों (घरेलू, सरपंच, ग्राम सेवक, सीएएफटी, सीएएलएफ और डीईओ) के साथ साक्षात्कार भी आयोजित किए गए।

मुख्य निष्कर्ष

आजीविका स्थिति

– गांवों के आसपास काम के अवसरों की कमी।

– बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं जैसे सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जल निकासी लाइनों की अनुपस्थिति।

– सिंचाई और पीने के प्रयोजनों के लिए पानी की कमी

– निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों से सूचना का अभाव और खराब प्रतिक्रिया।

– झोंथ्री में बहुत कम विद्युतीकृत कनेक्शन और बाकानी में कुछ ही बिजली कनेक्शन

– गांवों से बैंकों की दूरी, बैंकिन्ग कौरेस्पोन्डेन्ट नियमित आधार पर उपलब्ध नहीं हैं और भुगतान के बाद उत्तरदाता के खाते में राशि जमा होने पर कोई संदेश नहीं भेजा जाता है।

सीएफटी योजना पर

– सीएफटी एक कानूनी ढांचे के भीतर काम कर रहे हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।
– सीएफटी की भूमिका एक सहयोगी के रूप में है, लेकिन उनसे पीआईए के काम करने की उम्मीद है।
– विभिन्न संस्थानों में भूमिका स्पष्टता नहीं है।
– पीआरआई और सीएफटी के बीच समन्वय की कमी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा है।
– ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के स्तर पर मानव संसाधनों की कमी के कारण योजना के कार्य में कई विलंब होता है। कई स्थान रिक्त हैं।
– हालांकि सीएफटी को वांछित परिणाम न प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, कई प्रशासनिक और संरचनात्मक मुश्किलों ने सीएफटी की प्रगति में बाधा पहुंचाई है।
– सुधार के पश्चात सीएफटी द्वारा मनरेगा के कार्यान्वयन में एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है जैसा कि बाकानी ब्लॉक में दिखाई दे रहा है।

प्रमुख सिफारिशें

– प्रशासन को इस योजना के तहत सीएफटी को हर कदम के संबंध में समयसीमा पर निर्देश जारी करना चाहिए।
– सीएसओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि अपेक्षित और अनुभवी स्टाफ को ही सीएफटी का हिस्सा बनाया जाए।
– योजना पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, अधिकारियों और ब्लॉक अधिकारियों के लिए संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।
– परिवार के स्तर पर जानकारी के प्रसार के लिए वार्ड/ग्राम स्तर पर बैठकों का आयोजन, द्वार से द्वार अभियान, नुक्कड़ नाटक आदि सहित व्यापक जागरूकता अभियान की आवश्यकता।
– प्रशासन को पंचायतों को सीएफटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट निर्देश भेजना चाहिए जिसमें सीएफटी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें सीएफटी के साथ समन्वय करने के लिए कहा गया हो।

अनुसंधान हेतु भावी कार्य

आदिवासी विकास रिपोर्ट

भारत में आदिवासी जनसंख्या का 75 प्रतिशत् मध्य भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र में निवास करता है। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट होगी, जो इस क्षेत्र में निवास करनेवाली आदिवासी जनसंख्या के बारे में वृहद् जानकारी प्रदान करेगी। रिपोर्ट के तीन व्यापक खंड, मानव विकास, आजीविका तथा कला एवं शिल्प, सामाजिक–आर्थिक संकेतकों के जरिए आदिवासियों की स्थिति को दर्शाएंगे।

– प्रत्येक खंड विषय–वस्तु विशेषज्ञों द्वारा लिखित आलेखों की श्रृंखला होगी।
– ''मानव विकास'' पहला खंड, अनुसूची 5 वाले क्षेत्रों में शासन–प्रणाली का अध्ययन प्रस्तुत करेगा। यह अध्ययन, मध्य भारत आदिवासी बहुल क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों

में विस्तार – पेसा) अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), भूमि, न्याय की प्राप्ति, जेंडर, स्वास्थ्य, पोषण के विशेष संदर्भ में किया जाएगा।

– दूसरा खंड ''आजीविका'' पर होगा, जिसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, ग़ैर–कृषि, सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन, पलायन तथा चारागाही, बाज़ार तथा व्यापारिक कौशल के बारे में विवरण होगा।

– अंतिम खंड का शीर्षक होगा ''कला एवं शिल्प'', जिसमें चुनिंदा जनजातियों की कला एवं शिल्प की हालत के बारे में जानकारी होगी। आलेखों की श्रृंखला के अलावा, इसमें सीआईटीबी के आदिवासियों तथा उनके सामाजिक–आर्थिक हालात पर रौशनी डाली जाएगी। रिपोर्ट में सीआईटीबी से संबद्ध अनेक प्रकार के सामाजिक–आर्थिक संकेतकों पर, व्यापक प्रतिनिधित्व वाले आंकड़े होंगे।

– रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2018 के आरंभ में अपेक्षित है।

सांख्यिकी केंद्र

सीआईटीबी के आदिवासी समुदायों पर सरकारी व गैर–सरकारी स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का संकलन होगा। यह जानकारी बीआरएलएफ वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, ताकि यह सामाजिक–आर्थिक, जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, पोषण एवं आदिवासी संबंधित अन्य संकेतकों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों, शिक्षाविदों, सीएसओ, सरकारी एजेंसियों अथवा संगठनों की पहुंच में हो।

सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री गिरीश प्रभुणे व पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पर रिपोर्ट

रिपोर्ट में, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ों, विशेषकर महाराष्ट्र में डीएनटी एवं एनटी के सशक्तीकरण पर गुरुकुलम के प्रभावकारी कार्य को दर्शाया जाएगा। पारधी – डीएनटी के उत्थान के लिए मराठी लेखक व कार्यकर्ता श्री गिरीश प्रभुणे के द्वारा गुरुकुलम की शुरुआत 2006 में की गई थी। अध्ययन का आधार साक्षात्कारों की एक श्रृंखला होगी। गुरुकुलम के संस्थापक, गुरुकुलम के शिक्षकों व कर्मचारियों, अभिभावकों और बच्चों के साथ साक्षात्कार किया जाएगा, ताकि उनके जीवन पर गुरुकुलम के प्रभाव को समझा जा सके। रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2018 के आरंभ में अपेक्षित है।

आजीविका एवं सामाजिक संगठनों पर अनुसंधान

शोध टीम, बीआरएलएफ के परियोजना कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चलाई जा रही मुख्य गतिविधियों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, विशेषकर सीआईटीबी के आदिवासी जीवन में बदलाव व प्रभाव के बारे में मौलिक अनुसंधान संचालित करेगी। अनुसंधान के बिन्दु होंगे– वॉटरशेड प्रबंधन, सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन, टिकाऊ रोज़गार, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, स्थानीय शासन तथा लोक संगठनों का क्षमता निर्माण, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुकता, जिनमें मनरेगा, कौशल विकास, स्वच्छ भारत आदि शामिल हैं।

संसाधन जुटाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ 13 जनवरी 2014 को हस्ताक्षरित सहमति–पत्र के अनुसार, भारत सरकार बीआरएलएफ की स्थापना के लिए 500 करोड़ रु. की धनराशि मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। यह धनराशि दो किश्तों में आवंटित की जाएगी। 200 करोड़ रु. की पहली किश्त केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। 300 करोड़ रु. की दूसरी किश्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वशर्त रखी है, जिसके अनुसार बीआरएलएफ को अन्य दानदाताओं के माध्यम से 100 करोड़ रु. अतिरिक्त जुटाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, बीआरएलएफ के मुख्यकोष पर प्राप्त ब्याज का उपयोग, अपने साझेदार सीएसओ को अनुदान देने तथा बीआरएलएफ के अन्य कार्यों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। मौजूदा संसाधनों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019 के अंत तक 7,00,000 ग्रामीण परिवारों तक बीआरएलएफ के द्वारा पहुंच बनाने की संभावना है। लेकिन बीआरएलएफ की योजना है कि वह अधिक गहरा प्रभाव उत्पन्न करे। इसके लिए वह अगले तीन वर्षों (वित्त–वर्ष 2017–19) में अपने लक्ष्य को दुगना करने तथा 14,00,000 परिवारों तक पहुंचने की इच्छा रखता है।

बीआरएलएफ ने निश्चित समयावधि में, अपने मुख्य कोष में वृद्धि करने तथा अपनी परियोजनाओं के सह–वित्तपोषण हेतु फंड इकट्ठा करने का निर्णय किया। बीआरएलएफ ने संसाधन जुटाने के लिए एक रणनीति विकसित की है, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी व निजी तथा अनुदान प्रदाता निकायों के माध्यम से संस्थानिक धन जुटाने पर केंद्रित होगी। बीआरएलएफ के कार्यकारी मंडल ने एक संसाधन मोबिलाइज़ेशन समिति का गठन किया है, जिसमें कार्यकारी मंडल के प्रमुख सदस्य शामिल हैं, और एक पूर्णकालिक पेशेवर को, संसाधन मोबिलाइज़ेशन विभाग के नेतृत्व के लिए नियुक्त किया है। निम्नलिखित तालिका में उन धनराशियों का उल्लेख है, जिन्हें वित्त–वर्ष 2016–17 में बीआरएलएफ के धन जुटाने के प्रयासों के माध्यम से तथा 13 बीआरएलएफ–सीएसओ साझेदारों के द्वारा सह–वित्त संरक्षित किए जाने के माध्यम सें इकट्ठा किया गया है।

बीआरएलएफ खाते में प्राप्त धनराशि		
एजेंसी का नाम	**राशि (करोड़)**	**उद्देश्य**
टाटा ट्रस्ट्स एन्डॉवमेंट फ़ंड	10.00	एन्डॉवमेंट फ़ंड
फोर्ड फाउंडे ान कॉर्पस फ़ंड	9.96	एन्डॉवमेंट फ़ंड
यूनाइटेड ने ांस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी)	0.90	सांस्थानिक व्यय हेतु
रचना क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	0.10	सामान्य चंदा
अर्घ्यम ट्रस्ट	0.22	अनुदान
13 बीआरएलएफ–सीएसओ साझेदारों के खाते में प्राप्त धनराशि		
13 बीआरएलएफ अनुदान साझेदारों के द्वारा खाते में सह–वित्त के बतौर जुटाई गई धनराशि	116.90	बीआरएलएफ प्रोत्साहित परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम समर्थन की लागत
कुल	**139.24**	

बीआरएलएफ द्वारा निवेश किया ₹1 ₹9 तक का लाभ देता है

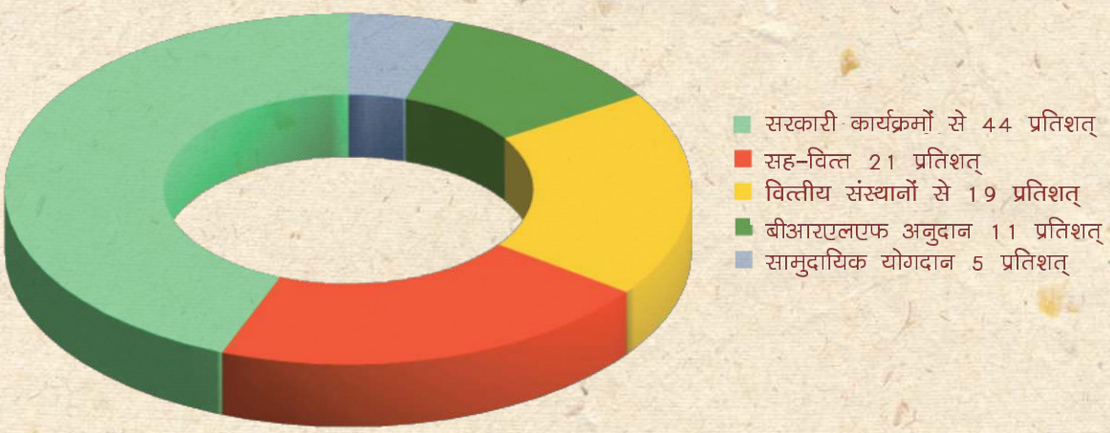

दानदताओं के लिए एक विशेष आकर्षण है कि एक रुपए का निवेश बहुत दूर तक जाता है

संसाधन जुटाने का लक्ष्य है बीआरएलएफ के लिए स्थायी, दीर्घकालिक, पूर्वानुमानुकूल आय के नियमित स्रोत बनाना है। जबकि संसाधन जुटाने का कुल उद्देश्य 1,400,000 आदिवासी परिवारों तक पहुंचना है, उसके विशिष्ट उद्देश्यों निम्नानुसार हैं:

– मौजूदा परियोजनाओं के नए अनुदान/सह–वित्तपोषण के लिए दाता आधार को बढ़ाना
– दीर्घकालिक टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए बीआरएलएफ के कॉरपस फंड को बढ़ाना

वित्तीय वर्ष (2016–2017) के दौरान इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

– 68 दानदाता संस्थानों की एक डायरेक्टरी बनाई गई, जिसमें एजेंसी का नाम, प्रकार, संपर्क विवरण–पता, वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर, संपर्क व्यक्ति – नाम, ईमेल, फोन नंबर, अनुदान के प्राथमिकता वाले क्षेत्र, भौगोलिक फोकस, अनुदान का आकार/2016–17 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय, बीआरएलएफ के लिए प्राथमिकता रैंकिंग (उच्च, मध्यम, निम्न) और संबंधित टिप्पणियां।
– वित्त वर्ष (2016–2017) में 40 संस्थानों को लक्षित किया गया है और नवंबर 2016 में उन्हें पुछताछ करते हुए पत्र भेजे गए थे। ये संस्थान बहु–पक्षीय, द्वि–पक्षीय एजेंसियों, फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी संगठन थे।
– 12 संभाव्य दाताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जहां बीआरएलएफ टीम ने प्रस्तुतियां कीं।
– आरएम के संचार के लिए ब्रोशर विकसित और मुद्रित किया गया
– दिसंबर, 2016 में तीन साल के लिए 4.7 मिलियन अमरीकी डालर के बजट के साथ 'मध्य आदिवासी क्षेत्र में एनपीएम को बढ़ावा देना' नामक प्रस्ताव को ओफिड में प्रस्तुत किया गया था।
– आरएफपी के जवाब में तीन साल तक 8 करोड़ (1.14 मिलियन यूरो) के बजट के साथ ईयू में 'झारखंड और मध्यप्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन को बदलने के लिए सिविल सोसाइटी की कार्रवाई को सुदृढ़ करने' पर अवधारणा नोट प्रस्तुत किया गया।

बीआरएलएफ के साझेदार संगठन

आगा ख़ान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (इंडिया)

आगा ख़ान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया, एक ग़ैर–सांप्रदायिक, गैर–सरकारी विकास संगठन है। एकेआरएसपीआई, स्थानीय समुदायों की गतिविधियों को सीधे प्रोत्साहित करने एवं टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन का उपयोग तथा मानव संसाधनों के विकास के मॉडल विकसित करने के माध्यम से, ग्रामीण समुदायों के विकास हेतु एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। एकेआरएसपीआई पिछले 25 वर्षों से, गुजरात के चार पर्यावरण के लिहाज से चुनौतीपूर्ण तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों में फैले 1,100 गांवों में काम कर रहा है। एकेआरएसपीआई मध्यप्रदेश तथा बिहार में भी कार्यरत है।

परियोजना की पहुंच	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	1	9
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	2	17
	परियोजना में शामिल ग्राम पंचायतों की संख्या	29	195
	परियोजना में शामिल गांवों की संख्या	41	398
	आजीविका संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत परिवारों की संख्या	10830	53329
	कुल महिला सहभागी	7869	27937
	कुल जनजातीय परिवार	10379	52878

संस्थानिक विकास	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	228	726
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	3125	10222
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	3125	10222
	कुल प्रोन्नत एफपीओ	3	6
	एफपीओ में कुल सदस्य	1433	6823
	एफपीओ में कुल जनजातीय परिवार	1433	6823

स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	कुल गठित अथवा जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	532	532
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	5719	5719
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	2307	2307
	स्वयं सहायता समूह सदस्यों की कुल संख्या	25787	25787
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	25787	25787
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	1075	1075
	स्वयं सहायता समूहों की बचत (लाख में)	71.66945	369.1
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	866	866
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	530.94	803
	सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	486	486

lim>nwxn gn xnh: प्रमुख ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के समन्वित नियोजन तथा कार्यान्वयन के माध्यम से आदिवासी आजीविका को बढ़ाना

lim>nwxn g h^> p”*>

– ज़मीनी स्तर पर सरकारी तंत्र को मजबुत करना।

– कृषि, पशुधन विकास तथा भूमि व जल संसाधनों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना।

– मध्य प्रदेश एवं गुजरात के छोटे सीएसओ तथा ज़मीनी स्तर के सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना।

गोरा बाई मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खलवा ब्लाक में एक गांव की हैं, जहां एकेआरएसपी–आई कई सालों से काम कर रहा है। वह स्वयं सहायता समूह की अवधारणा के शुरुआती अपनाने वालो में से एक हैं। उन्होंने आगे बढ़कर एक समूह बनाया – आशा स्वयं सहायता समूह। उन्हें समूह के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। गोरा बाई ने बकरी पालन, जैव–उर्वरकों का उत्पादन और अमृतपानी जैसे कीटनाशकों का उत्पादन आरंभ किया। वह एक बोतल 50 रुपये में बेचती हैं।

कृषि विकास	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	7024	8603
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	2876	5489
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	478.372	866.8
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	21	66
	एसडब्ल्यूआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	13	36
	एनपीएम / सीए अपनाने वाले कुल परिवार	3598	5542
	एनपीएम / सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1478	1958
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	46	146
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	10.2	50.2
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई / बागु) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	369	791.5
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	2540	2540
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	1484	2540
	उन्नत दलहन व तेलहन खेती से जुड़े कुल परिवार	1422	1562
	उन्नत दलहन / तेलहन / अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	134.4	162.4
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	4732	4732
	कोई अन्य गतिविधि (2015 16 के प्रारूप में पंक्तिबद्ध बुआई, किचेन गार्डेन, अनाज संबंधी उप–गतिविधियां सम्मिलित नहीं थीं)	0	7618
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	11489	21717

पशुधन विकास	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	दुग्ध–उत्पाद विकास के अंतर्गत कुल परिवार	31	356
	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	6416	10966
	मुर्गीपालन इकाई विकास के अंतर्गत कुल परिवार	391	411
	घर के पीछे मुर्गीपालन अपनाने वाले कुल परिवार	190	1390
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	8	8
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	12143	12143
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	18529	24524

क्षमता निर्माण	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	42	215
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	46	77
	विषय (कृषि / बागवानी / पशुधन / एनआरएम / आईजी / स्वयं सहायता समूह / सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी सांचालित कुल प्रशिक्षण / प्रदर्शन	1572	2094
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	51188	72409
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	27157	38627
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	123	240
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	894	1250

भूमि विकास	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	241
	वृक्षारोपण के तहत कुल लाभान्वित परिवार	0	504
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	45	296
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	365	1326
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	55	55
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	55	55
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	982	3112
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	4984	4984
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	131.64	131.64
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	1485	4895

अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	1578	2540
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	107	123
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	8	162
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	328	904
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	1010	1526
	ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रोत्साहित कुल परिवार	4434	4434
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	6501	6501
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	0	403

बाएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन

बायफ पेशेवर ढंग से चलने वाली ग़ैर–लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई। बायफ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन तथा पशुधन विकास, वॉटरशेड विकास व कृषि, बाग़वानी तथा वानिकी जैसी

आय पैदा करने वाली प्रमुख गतिविधियों द्वारा ग्रामीण ग़रीबों की टिकाऊ आजीविका के लिए प्रतिबद्ध है। बायफ अपने 4500 कर्मचारियों तथा 13 सहायक संगठनों के निष्ठापूर्ण प्रयत्नों के माध्यम से, देश के 16 राज्यों में फैले 60,000 गांवों में रहने वाले 45 लाख से अधिक परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

lim>nwxn gn xnh: मध्य भारत में आदिवासी आजीविका परियोजना (आदिवासी लाइवलीहुड प्रोजेक्ट इन सेंट्रल इंडिया)

18 दिसंबर 2014 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की पहली बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (अप्रैल 1, 2015 – मार्च 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 5.72 करोड़ रु. का अनुदान स्वीकृत किया गया। बायफ ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 5.92 करोड़ रु. का सह–वित्त सुनिश्चित किया है।

lim>nwxn g lh^n p"*>

– लक्षित परिवारों की कृषि आधारित आजीविका की स्थितियों में सुधार करना
– पशुधन प्रबंधन में सुधार करना
– वन आधारित आजीविका में सुधार करना
– गैर–कृषि उद्योगों को सामने लाना व विकास करना
– लक्षित परिवारों के प्राकृतिक संसाधनों का संवर्द्धन करना
– सामुदायिक स्वास्थ्य कामकाज में सुधार करना

	विवरण / पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	7
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	0	10
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	10	66
	परियोजना में शामिल कुल गांव	16	253
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	21789	38114
	कुल महिला सहभागी	3375	7615
	कुल जनजातीय परिवार	15481	31281

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	5	61
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	0	4
	विषय (कृषि / बागवानी / पशुधन / एनआरएम / आईडी / स्वयं सहायता समूह / सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण / प्रदर्शन	123	141
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	2052	2152
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	1466	1495
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	82	100
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	346	464

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	65	97
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	691	1065
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	402	402
		4398	4398
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	682	682
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	5	5
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	9.14	21.288
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	73	73
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	5	21.27
	नए सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	30	30

कृषि विकास	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	2226	5794
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	248	460
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	44.2	111.8
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	15	18
	एसडब्ल्यूआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	6.6	201.6
	एनपीएम / सीए अपनाने वाले कुल परिवार	711	1355
	एनपीएम / सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	315.4	523.6
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	646	1699
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	204.3	440.5
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई / बाग) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	33	33
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	284.4	685.2
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	711	711
	अनाज की खेती में पंक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले कुल परिवार	711	1713
	पंक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	209	4270
	उन्नत दलहन व तेलहन की खेती से जुड़े कुल परिवार	83.6	2510.72
	उन्नत दलहन / तेलहन / अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1085	4780
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	434	1849.8
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	1139	1139
	कोई अन्य गतिविधि (2015–16 के प्रारूप में पंक्तिबद्ध बुआई, किचेन गार्डेन, अनाज संबंधी उप–गतिविधियां शामिल नहीं थीं)	0	160
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	2341	5909

बाएफ मध्य प्रदेश में तूर बुआई की धारवाड़ विधि को बढ़ावा दे रहा है। परंपरागत पद्धति के बजाय, यह पोलीबैग में पौधों को उगाने और एक महीने के बाद उन्हें खेतों में रोपाई पर जोर देता है ताकि बेहतर पैदावार प्राप्त की जा सके

संगठन निर्माण	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	कुल गठित अन्य वीएलआई / सीबीओ	4	175
	अन्य वीएलआई / सीबीओ में कुल सदस्य	116	1365
	वीएलआई / सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	90	1339
	कुल प्रोन्नत एफपीओ	15	21
	एफपीओ में कुल सदस्य	180	2027
	एफपीओ में कुल जनजातीय परिवार	180	1985

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पशुधन विकास	दुग्ध–उत्पाद विकास के अंतर्गत कुल परिवार	1891	3277
	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	92	115
	घर के पिछवाड़े में मुर्गीपालन अपनाने वाले कुल परिवार	37	187
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	386	458
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	2494	5588
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	2311	3484

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	92
	वृक्षारोपण के तहत कुल लाभान्वित परिवार	0	613
	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	698	4162
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	726	789
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	1394	2360
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	95	258
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	129	790
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	596	1217
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	438.2	438.2
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	123	123
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	769	1817

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	एफआरए के अंतर्गत कुल लाभान्वित परिवार	172	922
	एफआरए संबंधी निपटाए गए दावों की संख्या	7	7
	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	4308	9533
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	154	3693
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	287	895
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	3645	9321
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	405	2408
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	1705	1705
	प्रधानमंत्री आवास योजना के परिवारों की संख्या	123	123
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल परिवार	1190	1190
	ग्रामीण पेयजल योजना/स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	3646	5735
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	1413	1413
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	820	820
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	1802

कलेक्टिव्स फॉर दी इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स (सीनी)

वर्ष 2007 में सोसायटी ऍक्ट के अंतर्गत पंजीकृत, सीनी टाटा ट्रस्ट की एक नोडल एजेंसी है, जो मध्य भारत में कार्यरत है। इसका उद्देश्य लक्षित जनजातीय समुदायों के मध्य ऐसे मुद्दे आधारित हस्तेक्षेपों का निर्माण करना है, जो कि जनजातीय समुदायों के लिए लंबे समय के लिए प्रभावकारी हो।

''लखपति'' किसान बनाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, सीनी द्वारा जल संचयन पर जोर दिया गया है। यह कुआं इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है

परियोजना की पहुंच	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	11
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	0	18
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	63	268
	परियोजना में शामिल कुल गांव	188	809
	आजीविका कार्यक्रमों के तहत कुल परिवार	64332	64332
	कुल महिला सहभागी	64332	64332
	कुल जनजातीय परिवार	20282	59972

क्षमता निर्माण	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	186	602
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	70	226
	विषय (कृषि/बागवानी/पशुधन/एनआरएम/आईडी/स्वयं सहायता समूह/सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण/प्रदर्शन	6438	6438
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	68489	68489
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	68489	68489
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	602	602

स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	कुल गठित अथवा जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	1549	1549
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	21806	68489
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	1549	5328
	स्वयं सहायता समूह सदस्यों की कुल संख्या	68489	68489
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	59972	59972
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	1922	2389
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	711.18	874.84
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	790	2357
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	425.24	401.33
	सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	121	125

संस्थानिक विकास	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	40	189
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	663	3639
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	514	2989
	कुल प्रोन्नत एफपीओ	28	28
	एफपीओ में कुल सदस्य	314	314
	एफपीओ में कुल जनजातीय परिवार	314	314

कृषि विकास	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	63832	63832
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	31860	31860
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	7326.48	7326.48
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	21385	21385
	एसडब्ल्यू आई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	7433.72	7433.72
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	43670	43670
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	4772.96	4772.96
	उन्नत सब्ज़ी खेती के लिए विकसित किए गए शेड नेट की संख्या	2199	2226
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	925.73	945.15
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	2662	2805
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	2662	2805
	उन्नत दलहन व तेलहन खेती से जुड़े कुल परिवार	4098	4098
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	619.7	619.7
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	56	56
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	60426	60426

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पशुधन विकास	दुग्ध–उत्पाद विकास के अंतर्गत कुल परिवार	3671	3671
	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	3528	3528
	घर के पिछवाड़े में मुर्गीपालन अपनाने वाले कुल परिवार	248	248
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	37	37
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	3528	3528
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	7617	7617

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	2949	2949
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	970	1415
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	3340	32535
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	366.2	765.03
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	2843	4369.
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	209.75	281.38
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	888	1626

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	एफआरए के अंतर्गत कुल लाभान्वित परिवार	35	35
	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	10256	11454
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	6973	7315
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	6939	7198
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	30489	30489
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	400	1945
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत कुल परिवार	23121	24780
	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल परिवार	802	945
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल परिवार	3939	4049
	ग्रामीण पेयजल योजना / स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	472	972
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	23232	24912
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	19782	20171

दिगंबरपुर अंगिकार

वर्ष 2000 में स्थापित दिगंबरपुर अंगिकार (डीए), पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाक़े में कार्यरत है। संस्था महिलाओं, बच्चों तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के सशक्तीकरण के लिए राहत, पुनर्वास एवं विकास कार्यों को संचालित करती है।

lim>nwxn gn xnh: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना ज़िले में संदेशखली ब्लॉक 1 और 2 में आदिवासियों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण (सोशियो–इकॉनोमिक एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल पीप्ल संदेशखाली 1 एंड 2 ब्लॉक्स इन नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल)। 8 सिंतबर 2015 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की दूसरी बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (नवंबर 1, 2015 – अक्तूबर 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 2 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। डीए ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 9 लाख रु. का सह–वित्त सुनिश्चित किया है।

lim>nwxn gk lh^n {iuiri2n>n

–विकेंद्रीकृत योजना तथा अभिसरण के लिए पीआरआई के साथ नज़दीकी साझेदारी विकसित करना।

– आदिवासी महिला समुदाय को स्वयं–सहायता समूहों में संगठित करने के लिए, उन्हें विभिन्न योजनाओं और आजीविका के विकास के अवसरों के बारे में संवेदनशील बनाना।

– कृषि, बागवानी, पशुपालन व मत्स्य पालन तथा उनकी आजीविका विकास के लिए अन्य आय निर्माण

गतिविधियों पर आदिवासी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। – लक्षित क्षेत्र में स्वच्छता एवं गैर–रासायनिक कृशि आधारित कृशि संबंधी प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य घोशित कार्यक्रमों के तहत सभी लक्षित प्रतिभागियों को शामिल करना।

दिगंबरपुर अंगिकार के द्वारा गैर–कीटनाशक प्रबंधन के साथ–साथ एसआरआई पद्धति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खेत में एक पीला ट्रैप दिख रहा है

	विवरण / पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	1
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	0	1
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	0	6
	परियोजना में शामिल कुल गांव	0	30
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	357	1011
	कुल महिला सहभागी	357	1011
	कुल जनजातीय परिवार	190	800

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	0	8
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	0	3
	विषय (कृषि / बाग़वानी / पशुधन / एनआरएम / आईडी / स्वयं सहायता समूह / सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण / प्रदर्शन	23	27
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	262	382
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	141	261
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	12	20
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	120	120

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	63	63
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	655	655
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	83	83
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	855	855
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	811	811
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	4	4
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	0.9	0.9
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	15	15
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	2.25	2.25
	नए सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	240	240

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पषुधन विकास	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	100	100
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	140	140
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	240	240
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	240	240

कृषि विकास	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	410	530
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	65	65
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.8	0.8
	एनपीएम/सीए अपनाने वाले कुल परिवार	109	109
	एनपीएम/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.5	0.5
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	410	460
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1.5	1.8
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग़) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	2.6	2.6
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	24	24
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	24	24
	अनाज की खेती में पंक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले कुल परिवार	51	51
	पंक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	17	17
	उन्नत दलहन व तेलहन की खेती से जुड़े कुल परिवार	41	41
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1.5	1.5
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	440	560

अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	0	34
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	1759	1759
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	4216	4216
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	32	32
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	52	52
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	73	73
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	43

फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस)

फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) वर्ष 2001 से वन, चारागाह, राजस्व बंजर भूमि तथा जल संरचनाओं के पारिस्थितिक पुनर्जीवन के माध्यम से सामूहिक भूमि के संरक्षण व सुधार पर ज़ोर देता है। यह ग्रामीण समुदायों की सहभागिता एवं सामूहिक प्रयासों के ज़रिए सार्वजनिक भूमि के प्रबंधन और प्रशासन में दक्ष है।

कृषि कार्य पर ग्रामीण सभा में विचार-विमर्श। घटंजलि ब्लॉक, यवतमाल जिला, महाराष्ट्र

इसका काम देश के छः पारिस्थितिकी क्षेत्रों में फैला है तथा, आठ राज्यों– आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडीशा और राजस्थान में 30 ज़िलों के 5,323 ग्रामीण संस्थानों से संबद्ध 28.9 लाख लोगों तक पहुंच रहा है।

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	6
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	0	7
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	2	126
	परियोजना में शामिल कुल गांव	123	439
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	4877	19191
	कुल महिला सहभागी	6171	9900
	कुल जनजातीय परिवार	2922	16068

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	74	157
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	15	23
	विषय (कृषि/बागवानी/पशुधन/एनआरएम/आईडी/स्वयं सहायता समूह/सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण/प्रदर्शन	79	201
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	4680	7261
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	746	1447
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	45	100
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	1064	1988

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	327	327
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	3533	3549
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	396	396
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	4362	4362
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	1205	1205
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	203	203
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	28.835	31.26
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	166	166
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	27	27
	नए सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	10	10

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
संस्थानिक विकास	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	85	425
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	4861	19175
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	2922	16069
	कुल प्रोन्नत एफपीओ	1	2
	एफपीओ में कुल सदस्य	114	129
	एफपीओ में कुल जनजातीय परिवार	88	100

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	247.55
	वृक्षारोपण के तहत कुल लाभान्वित परिवार	0	1553
	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	0	45
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	115	381
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	1887	3241
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	17	31
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	53	249
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	412.27	797.83
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	670	670
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	300	300
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	889	2360

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
कृषि विकास	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	4064	8142
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	763	1069
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	107	149.4
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	0	24
	एसडब्ल्यूआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	8
	एनपीएम/सीए अपनाने वाले कुल परिवार	251	561
	एनपीएम/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	28	85.25
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	188	716
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	27	71.7
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	85	100
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	110	110
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	850	1560
	अनाज की खेती में पंक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले कुल परिवार	298	486
	पंक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	55	156.83
	उन्नत दलहन व तेलहन की खेती से जुड़े कुल परिवार	148	826
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	89	110
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	965	965
	कोई अन्य गतिविधि (2015–16 के प्रारूप में पंक्तिबद्ध बुआई, किचेन गार्डेन, अनाज संबंधी उप–गतिविधियां सम्मिलित नहीं थीं)	0	397
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	3256	7847

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पशुधन विकास	दुग्ध–उत्पाद विकास के अंतर्गत कुल परिवार	0	17
	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	6058	10788
	मुर्गी पालन के परिवारों की संख्या	658	372
	घर के पीछे मुर्गीपालन अपनाने वाले कुल परिवार	498	2518
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	1070	3785
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	8377	22648

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	2084	2259
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	461	744
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	239	239
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	2518	4862
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	672	754
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	2623	2623
	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल परिवार	76	76
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल परिवार	79	79
	ग्रामीण पेयजल योजना/स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	82	82
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	3665	3665
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	5545	5545
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	2126

लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन

लूपिन मानव कल्याण और अनुसंधान फाउंडेशन (एलएचडब्ल्यूआरएफ) एक पुरस्कार विजेता ग़ैर–सरकारी संगठन है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए समग्र ग्रामीण विकास गतिविधियों को पूरा करने और टिकाऊ आजीविका पैदा करने के लिए कार्यरत है। 1988 से गरीब परिवारों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लूपिन का मुख्य ज़ोर, भूमि आधारित कार्यक्रम, पशुधन विकास, उद्यम प्रोत्साहन और अन्य

आजीविका संबंधी गतिविधियों पर रहा है।

lim>nwxn gn xnh: अभिसरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन विकास व आजीविका संवर्द्धन (नेचुरल रिसोर्सेज़ डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोमोशन थ्रू कन्वर्जेन्स)। 8 सितंबर 2015 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की दूसरी बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (नवंबर 1, 2015 – अक्तूबर 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 2.5 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। लूपिन ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 3.2 करोड़ रु. का सह–वित्त सुनिश्चित किया है।

निर्मित केटी बांध, गांव– तलेरन, ब्लॉक– जुन्नार, जिला– पुणे (बाएं) व जन धन योजना बैंक खाता खुलवाओ मेला, गांव– गोपालपुर, ब्लॉक– पुनरवासन, जिला– नंदरबार (दाएं)

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	4
	परियोजना में शामिलअंचलों की संख्या	0	8
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	0	96
	परियोजना में शामिल कुल गांव	0	191
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	6443	9057
	कुल महिला सहभागी	1393	2444
	कुल जनजातीय परिवार	6522	9057

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	52	116
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	676	1417
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	665	665
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	6675	6675
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	6675	6675
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	97.12	121.92
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	208	208
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	107.62	144.62
	नए सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	1370	1370

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
संस्थानिक विकास	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	24	64
	अन्य वीएलआईरुसीबीओ में सदस्यों की संख्या	240	640
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	240	640
	कुल प्रोन्नत एफपीओ	0	4
	एफपीओ में कुल सदस्य	625	2662
	एफपीओ में कुल जनजातीय परिवार	249	1676

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
कृषि विकास	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	454	954
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	300	300
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	132	132
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	20	30
	एसडब्ल्यूआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	8	12
	एनपीए/सीए अपनाने वाले परिवारों की संख्या	213	433
	एनपीए/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	79.6	169.6
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	105	167
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	34.6	45.6
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	208	1176.83
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	514	2907
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	541	2958
	अनाज की खेती में पक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	245	1745
	उन्नत दलहन व तेलहन खेती से जुड़े कुल परिवार	72	287
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	68.6	215.16
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	632	3349

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पषुधन विकास	दुग्ध–उत्पाद विकास के अंतर्गत कुल परिवार	28	34
	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	91	91
	मुर्गी पालन अपनाने वाले परिवारों की संख्या	24	44
	घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन करने वाले परिवारों की संख्या	10	10
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	4	4
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	140	140
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	92	118

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	170
	वृक्षारोपण के तहत कुल लाभान्वित परिवार	0	437
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	64	75
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	350	555
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	70	106
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	109	187
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	84.52	417.27
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	412.38	412.38
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	115.2	115.2
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	343	1290

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	32	32
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	**509**	**659**
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	195	440
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	**889**	**1304**
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	637	637
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	**61**	**61**
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	197	197

कंसोर्टियम परियोजनाः परहित समाज सेवी संस्थान (मुख्य साझेदार)

यह परिसंघ (कंसोर्टियम) परियोजना परहित समाज सेवी संस्थान द्वारा तीन अन्य साझेदार संगठनों– कल्पतरु विकास समिति, निस्वार्थ सार्थक प्रयास एवं परिवार कल्याण समिति, और धरती ग्रामोत्थान एवं

सहभागी ग्रामीण विकास समिति के साथ भागीदारी में क्रियान्वित की जा रही है। ये समस्त सिविल सोसायटी संगठन मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, गुना, मुरेना, श्योपुर, और शिवपुरी जिले में वर्ष 1996 से कार्यरत हैं। ये संगठन मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पंचायती राज प्रतिनिधियों और अन्य समुदाय आधारित संगठनों के क्षमता–निर्माण, जल–स्वच्छता और साफ–सफाई, महिला सशक्तिकरण व बच्चों की शिक्षा आदि मुद्दों पर कार्य करते आ रहे हैं।

मनरेगा में तालाब निर्माण

पल्टपुरा में कृषक प्रशिक्षण

lim>nwxn gn xnh: ग्वालियर–चंबल क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए सहरिया जनजातियों के बीच खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना (एन्श्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अमंग सहारिया ट्राइब्स थ्रू एफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन ग्वानियर–चंबल रीजन)। 18 दिसंबर 2014 को आयोजित बीआरएलएफ प्रोजेक्ट ग्रांटी सेलेक्शन कमिटी की पहली बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (अप्रैल 1, 2015 – मार्च 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 5.4 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। परहित ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 37 लाख रु. का सह–वित्त संरक्षित किया।

lim>nwxn g h^> p"½>

– टिकाऊ आजीविका के उपायों और विकल्प के निर्माण के जरिए सहारिया समुदाय को सशक्त बनाना।
– लघु वन उत्पाद संग्रह के तरीकों और एमएफपी के बाजारों के साथ संबंध बढ़ाना।
– लक्षित गांवों में 60 प्रतिशत महिलाओं तक पहुंच कर, स्वयं–सहायता समूहों के गठन के जरिए सहारिया महिलाओं को संवेदनशील बनाना।
– सरकारी कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को विस्तारित करने के लिए पीआरआई और सीबीओ को सुदृढ़ बनाना ।
– विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।

परियोजना की पहुंच	विवरण / पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष *(2016–2017)* में प्रगति	अभी तक कुल प्रगति
	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	3
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	0	4
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	26	93
	परियोजना में शामिल कुल गांव	82	212
	आजीविका संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत परिवारों की संख्या	10908	17833
	कुल महिला सहभागी	10908	15258
	कुल जनजातीय परिवार	10908	17833

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित अथवा जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	319	385
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	3958	4750
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	436	436
	स्वयं सहायता समूह सदस्यों की कुल संख्या	5419	5419
	एसएचजी में एसटी परिवारों की कुल संख्या	5419	5419
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	315	357
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	11.034	12.60
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	78	78
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	6.52	6.52
	सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	9	9

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
संस्थानिक विकास	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	313	487
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	4713	6801
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	4713	6801

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
कृषि विकास	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	344	364
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	31	31
	एसडब्ल्यूआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	5.26	5.26
	एनपीएम/सीए अपनाने वाले कुल परिवार	415	415
	एनपीएम/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	53.82	53.82
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	15	317
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	2.43	3.24
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग़) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1.21	3.21
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	5	5
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	2613	2633
	उन्नत दलहन व तेलहन खेती से जुड़े कुल परिवार	191	201
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	34.40	36.42
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	2064	2064
	कोई अन्य गतिविधि (2015–16 के प्रारूप में पंक्तिबद्ध बुआई, किचेन गार्डेन, अनाज संबंधी उप–गतिविधियां सम्मिलित नहीं थीं)	0	10
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	2613	2888

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पशुधन विकास	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	27	29
	मुर्गीपालन इकाई विकसित करने वाले कुल परिवार	10	10
	घर के पिछवाड़े में मुर्गीपालन अपनाने वाले कुल परिवार	1412	1460
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	0	0
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	1236	1236
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	1449	1499

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	707	707
	कुल गठित एमएफपी संग्रह केंद्र	6	6
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	51	53
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	1650	1652
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	16	49
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	24	796
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	162	182
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	153.38	153.38
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	72.03	72.03
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	579	629

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	एफआरए के अंतर्गत कुल लाभान्वित परिवार	201	313
	एफआरए संबंधी निपटाए गए दावों की संख्या	201	201
	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	3464	3596
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	2763	2810
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	506	3277
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	4763	7289
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	1730	1730
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	5276	5276
	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल परिवार	625	625
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल परिवार	727	727
	ग्रामीण पेयजल योजना / स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	2587	2810
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	7332	8590
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	7440	14365
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	187

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	2241	2339
	विषय (कृषि / बागवानी / पशुधन / एनआरएम / आईडी / स्वयं सहायता समूह / सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण / प्रदर्शन	1213	1270
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	139	945
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	7086	11283
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	4900	6622
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	59	120

प्रोफेशनल एसिसटेंस फॉर डेवलपमेंट ऍक्शन (प्रदान)

प्रदान द्वारा प्रोत्साहित श्रीविधि – एसआरआई

प्रदान की स्थापना वर्ष 1983 में दिल्ली में अनुभवी एंव प्रोफेशनल व्यक्तियों के एक समूह द्वारा की गई थी। प्रदान की स्थापना के पीछे इन अनुभवी व्यक्तियों की सोच यही थी कि ज्ञान संसाधन युक्त व्यक्तियों और हाशिये पर खड़े लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों को एक जुट हो कर जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ काम करना चाहिए ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें। प्रदान में अनुभवी और कुशल व्यक्तियों की 57 टीमे हैं जो कि देश के 7 गरीबतम राज्यों के 5,766 गांवों के 374,008 परिवारों की बेहतरी के लिए सक्रिय हैं। प्रदान के कार्यक्षेत्र में शामिल परिवारों में अधिकांश परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

	विवरण / पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	6
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	1	15
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	77	192
	परियोजना में शामिल कुल गांव	438	1492
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	30210	102503
	कुल महिला सहभागी	30310	102503
	कुल जनजातीय परिवार	13027	60022

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	2817	4593
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	32503	53948
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	8388	8388
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	102503	102503
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	0	60022
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	285	978.5
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	522	1748.83
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	1748.83	196.45

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
संस्था निर्माण	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	74	472
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	6310	72704
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	0	44258
	कुल प्रोन्नत एफपीओ	0	1
	एफपीओ में कुल सदस्य	60	342

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
कृषि विकास	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	344	364
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	14332	27471
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1524	2930
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	3288	5708
	एसडब्ल्यूआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	196	372
	एनपीएम/सीए अपनाने वाले कुल परिवार	150	180
	एनपीएम/सीए के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर)	30.96	33.76
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	33558	56757
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	2956	4389.1
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	347	712.2
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	3251	5089
	अनाज की खेती में क्रमबद्ध बुआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	24590	37729
	क्रमबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	2930	4336
	उन्नत दलहन व तेलहन की खेती से जुड़े कुल परिवार	19754	34536
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1970	3483.45
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले परिवारों की संख्या	70999	70999
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	47216	78921

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पषुधन विकास	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	4030	5647
	मुर्गी पालन विकास इकाई के अंतर्गत परिवारों की संख्या	54	792
	घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन करनेवाले परिवारों की संख्या	3117	3328
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	6105	7954

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (एच में)	656	1228
	वृक्षारोपण के माध्यम से लाभान्वित परिवारों की संख्या	2256	4388
	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	4586	8091
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	1326	1924
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	3674	6829
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	44	88
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	366	688
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	228	512
	भूमि विकास उपायों के माध्यम से लाभान्वित परिवारों की संख्या	1610	4335

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	2086	3806
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	622	1172
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	2715	7540
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	9313	18107
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	17808	40429
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	2386

राजारहाट प्रसारी (प्रसारी)

2007 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत प्रसारी (कानूनी नाम : राजारहाट प्रसारी), ने पश्चिम बंगाल के दो जिलों उत्तर 24 परगना और जलपाईगुड़ी में अपने एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 7,000 ग्रामीण परिवारों के साथ कार्यरत है।

lim>nwxn gn xnh: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के चार ब्लॉक और उत्तरी 24 परगना के एक ब्लॉक में रहने वाले परिवारों की स्थायी आजीविका और खुशहाली को बढ़ावा देना। (प्रोमोटिंग ससटेनेब्ल लाइवलीहुड्स एंड वेलबींग ऑफ हाउसहोल्ड्स लिविंग इन फ़ोर ब्लॉक्स ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड वन ब्लॉक इन नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल)

8 सितंबर 2015 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की दूसरी बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (नवंबर 1, 2015 – अक्तूबर 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 2.4 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। प्रसारी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 28 लाख रु. का सह–वित्त सुनिश्चित किया है।

परियोजना का उद्देश्य है– पश्चिम बंगाल में सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, संसाधनों पर अधिक से अधिक पहुंच और नियंत्रण तथा बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन और पोषण सुरक्षा में सुधार।

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	2
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	2	4
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	9	16
	परियोजना में शामिल कुल गांव	41	53
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	7058	8397
	कुल महिला सहभागी	4536	5875
	कुल जनजातीय परिवार	2873	3502

बीआरएलएफ के तहत वीआरपी अनुस्थापन कार्यक्रम में समूह चर्चा, सुल्कापाड़ा ग्राम पंचायत, नागराकाटा ब्लॉक, दूर्स

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	5	109
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	132	1202
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	1202	1202
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	11260	11260
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	56	56
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	0	142.04

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
संस्था निर्माण	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	34	36
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	943	970
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	382	395

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	127	195
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	115	183
	विषय (कृषि/बागवानी/पशुधन/एनआरएम/आईडी/स्वयं सहायता समूह/सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण/प्रदर्शन	226	289
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	5161	6158
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	3102	4043
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	9	16
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	129	189

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
कृषि विकास	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	5771	6037
	एसआरआई अपराने वाले परिवारों की संख्या	2218	2283
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	244.81	253.31
	एसडब्ल्यूआई अपनाने वाले कुल परिवार	0	13
	एसडब्ल्यूआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	2.6
	एनपीएम/सीए अपनाने वाले कुल परिवार	238	238
	एनपीएम/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	56	56
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	1811	1901
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	321.39	321.39
	उन्नत सब्ज़ी की खेती क लिए विकसित शेड नेट की संख्या	45	45
	अनाज की खेती में पंक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले कुल परिवार	525	525
	पंक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	40	40
	उन्नत दलहन व तेलहन की खेती से जुड़े कुल परिवार	82	82
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	82	82
	कोई अन्य गतिविधि (2015–16 के प्रारूप में पंक्तिबद्ध बुआई, किचेन गार्डेन, अनाज संबंधी उप–गतिविधियां सम्मिलित नहीं थीं)	5.86	5.86
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले परिवारों की संख्या	8	8
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	3802	4068

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पषुधन विकास	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	107	107
	घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन करने वाले परिवारों की संख्या	247	247
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	1444	1444
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	1459	1459

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	8	8
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	8	8
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	6	6
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	41	41

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
विविध गतिविधि	शून्य गेहूं खेती अपनाने वाले परिवारों की संख्या	17	17
	भूमिरहित बागवानी अपनाने वाले घरों की संख्या	371	371
	अति–निर्धन गतिविधि के अंतर्गत परिवारों की संख्या	302	302

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	539	539
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	200	284
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	1005	1347
	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या	7	7
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	13	13

सोशल एडुकेशन फॉर विमेन्ज़ अवेयरनेस (सेवा)

1991–92 में स्थापित, सेवा ओडिशा के झारसुगुड़ा और संबलपुर जिलों में ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के बीच उनकी आजीविका और स्वशासन हेतु काम करता है।

lim>nwxn gn xnh(एकीकृत आजीविका समर्थन परियोजना (इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट)।

18 दिसंबर 2014 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की पहली बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (अप्रैल 1, 2015 – मार्च 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 1.6 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। सेवा ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 7 लाख रु. का सह–वित्त संरक्षित किया।

lim>nwxn gk h^> {iuiri2n>n

– खाद्य उत्पादन प्रणाली का विकास, पारंपरिक खाद्य फसलों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों में सुधार, पशुधन विकास, मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण
– स्कूल छोड़ने वालों, बेरोजगार युवाओं और वंचित तथा गरीब परिवारों से आनेवाली किशोर बच्चियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
– अधिशेषों की इनपुट आपूर्ति और विपणन के लिए समर्थन सेवाएं विकसित करना।

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्श *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	2
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	0	3
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	0	20
	परियोजना में शामिल कुल गांव	86	106
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	10033	13056
	कुल महिला सहभागी	5293	6746
	कुल जनजातीय परिवार	4241	6231

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्श (अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017) में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
संस्थानिक विकास	कुल गठित अन्य ग्राम संगठन/क्षमता वर्द्धन संगठन	139	159
	अन्य ग्राम संगठनों/क्षमता वर्द्धन संगठनों में कुल सदस्य	3865	4432
	ग्राम संगठनों/क्षमता वर्द्धन संगठनों में कुल जनजातीय परिवार	2235	2569
	कुल प्रोन्नत किसान उत्पादक संगठन	1	2
	किसान उत्पादक संगठनों में कुल सदस्य	2168	2240
	किसान उत्पादक संगठनों में कुल जनजातीय परिवार	1616	1688

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	949	981
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	12337	12707
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	1037	1037
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	13323	13323
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	3904	4007
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	240	240
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	299.23	301.53
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	356	356
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	196.44	205.75
	नए सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	357	357

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	942	942
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	53	53
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	1002	1002
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	27	49
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	27	49
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	8	18
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	54	54
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	35	35
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	35	45

कृषि विकास	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	3185	3624
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	315	350
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	57	68
	एनपीएम/सीए अपनाने वाले कुल परिवार	581	670
	एनपीएम/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	28	39
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	433	807
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	106	135
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग़) करने वाले परिवारों की संख्या	45	45
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग़) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	43	110
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	103	103
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	90	144
	अनाज की खेती में पंक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले कुल परिवार	394	1448
	पंक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	98	656.4
	उन्नत दलहन व तेलहन की खेती से जुड़े कुल परिवार	209	662
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	85	161
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	1920	1920
	कोई अन्य गतिविधि (2015–16 के प्रारूप में पंक्तिबद्ध बुआई, किचेन गार्डेन, अनाज संबंधी उप–गतिविधियां सम्मिलित नहीं थीं)	0	880
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	3185	4239

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	827	949
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	343	343
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	59	59
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	856	1672
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	1043	1196
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या	355	355
	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या	227	227
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या	826	826
	ग्रामीण पेयजल योजना/सैनिटेशन द्वारा समर्थित परिवारों की संख्या	790	790
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	297	297
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	4254	4428

सेल्फ-रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट ऍक्शन (सृजन)

सृजन एक राष्ट्रीय स्तर की पेशेवर संस्था है जो कि ग्रामीण निर्धनों के लिए आजीविका संवर्धन हेतु कार्य करती है। यह राज्य व केंद्र सरकारों के साथ समन्वय से कार्य करते हुए अपने क्षेत्र के कार्य अनुभवों एवं सीख को विभिन्न नीतियों में सुधार हेतु बांटती है। एक विकास एजेंसी होने के नाते, सृजन विकास के सतत और आत्म–निर्भर प्रतिमान को प्रोत्साहन देने के लिए संकल्पबद्ध है। सृजन का कार्य पांच राज्यों के 18 जिलों में फैला हुआ है और वर्तमान में यह आजीविका संवर्धन एवं समुदाय स्तरीय संस्थाओं के विकास के माध्यम से 40,000 परिवारों (लगभग 200,000 जनसंख्या) की आय में बढ़ोत्तरी के लिए कार्यरत है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करते हुए कृषि, पशुधन, और बागवानी इसके तीन मुख्य आजीविका मुद्दे हैं।

lim>nwxn gn xnh: ज्योतिर्गमय (विकास की रौशनी)

18 दिसंबर 2014 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की पहली बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (अप्रैल 1, 2015 – मार्च 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 5.6 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। जनवरी 2016 में एक्सिस बैंक फाउंडेशन, सृजन और बीआरएलएफ ने एक विशाल और संयुक्त कार्यक्रम की संभावनाओं पर विचार किया। सृजन ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 8.1 करोड़ रु. का सह–वित्त सुनिश्चित किया है। यह परियोजना चार राज्यों– राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडीशा और छत्तीसगढ़ में चल रही है।

Lnim>nwxn gk h^> {iuiri2n>n

– संस्था का निर्माण और समुदाय की क्षमता का निर्माण, पीआरआई और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना।
– भूमि आधारित आजीविका गतिविधियों के लिए किसान की भूमि और जल संपत्ति का विकास करना।
– खेती उत्पादकता में वृद्धि कार्यक्रम
– बागवानी आधारित आजीविका जैसे कि अनार, आम, अमरूद, सीताफल का विकास करना।
– सीताफल की उत्पादकता बढ़ाना और सीताफल मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना।

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
संस्थानिक विकास	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	87	230
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	3332	12433
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	2375	10885
	कुल प्रोन्नत एफपीओ	1	5
	एफपीओ में कुल सदस्य	488	3689
	एफपीओ में कुल जनजातीय परिवार	402	2977

सृजन ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक शरीफा प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है। ऊपर दिख रहीं महिलाएं गराई के लिए भेजे जाने से पहले शरीफों की छंटाई करती हुईं...

..छांटे गए शरीफे गराई के लिए भेजे जाते हैं। गराई का काम हाथों से किया जाता है...

...मशीन के माध्यम से भारीफे के गूदे को निकाला जाता है; मशीन बीजों को भी छांटकर अलग कर देती है

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल ज़िले	0	9
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	1	20
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	84	250
	परियोजना में शामिल कुल गांव	219	661
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	10336	33874
	कुल महिला सहभागी	10196	30141
	कुल जनजातीय परिवार	4404	17898

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	975	1135
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	940	996
	विषय (कृषि/बागवानी/पशुधन/एनआरएम/आईडी/स्वयं सहायता समूह/सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण/प्रदर्शन	788	1339
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	13850	22982
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	13531	20579
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	230	252
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	37	37

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	1097	1950
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	21	21
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	264	264
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	22	22
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	19	19
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	4	254
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	12	12
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	6	6
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	27	435

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पशुधन विकास	दुग्ध–उत्पाद विकास के अंतर्गत कुल परिवार	600	1448
	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	477	855
	घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन करने वाले परिवारों की संख्या	0	7
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	2	2
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	250	250
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	360	1593

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
कृषि विकास	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	12346	24147
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	280	1357
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	116	218
	एनपीए/सीए अपनाने वाले परिवारों की संख्या	157	157
	एनपीए/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	38.2	38.2
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	641	1037
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	38.3	45.42
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग़) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	231.72	884.44
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	261	384
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	680	3017
	अनाज की खेती में पक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	561	652
	पक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	14.4
	उन्नत दलहन व तेलहन खेती से जुड़े कुल परिवार	5575	17785
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1138.91	4191.41
	किचेन गार्डन करने वाले परिवारों की संख्या	97	97
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	8485	20118

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	7452	8685
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	300	650
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	300	325
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	7909	8364
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	850	975
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	821	821
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबद्ध परिवारों की संख्या	300	300
	ग्रामीण पेयजल योजना/स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	739	1314
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	3151	3151
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	871

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	862	1437
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	9864	16968
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	2630	2630
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	16968	16968
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	2768	14454
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	730	1289
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	219	472
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	221	228
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	34	406.9

विकास सहयोग केंद्र (वीएसके)

1990 के दशक में पलामू जिले में जल संसाधन और सूखा रोधी गतिविधियों (सूखा मुक्ति अभियान) पर एक बड़े अभियान से विकास सहयोग केंद्र (वीएसके) का जन्म हुआ। वीएसके प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक निवेश और कल्याणकारी लाभों के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के तहत, विकास संबंधी गतिविधियां संचालित करता है, जो आदिवासियों और दलितों की आजीविका में योगदान करती हैं। इस दृष्टिकोण में प्राथमिक हितधारकों को आम हित समूहों में संगठित करने और सशक्त बनाने, सामूहिक रूप से संसाधनों तक पहुंचने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कई स्तरों पर उनके विशिष्ट समर्थन मंचों की स्थापना करना शामिल है। यह मनरेगा के तहत मजदूरी के अधिकार को सुगम बनाने के लिए भी काम करता है, पीडीएस के अंतर्गत खाद्य पात्रता प्रदान करता है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अधिकारों को सुनिश्चित करता है तथा प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के विकास में सहायता करता है। यह हितधारक समूहों/यूनियनों और प्रशासन के बीच संवाद एवं तंत्रों के निपटान की स्थापना में सरकार के साथ संपर्क–सूत्र की भूमिका निभाता है।

Lim>nwxn gn xnh: झारखंड के पालमू और लातेहार जिलों के छतरपुर और मणिका ब्लॉक में आजीविका के अवसर और अधिकारों की सुरक्षा का संवर्द्धन। (एन्हांसिंग लाइवलीहुड अपॉरच्युनिटीज़ एंड एंटाइट्लमेंट सिक्योरिटी इन छतरपुर एंड मणिका ब्लॉक ऑफ पलामू एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड)

8 सिंतबर 2015 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की दूसरी बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (नवंबर 1, 2015 – अक्तूबर 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 1.9 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। वीएसके ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 61 लाख रु. सह–वित्त संरक्षित किया।

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष (अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017) में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	13	65
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	156	780
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	256	256
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	3072	3072
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	1591	1591
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	204	204
	स्वयं सहायता समूहों की बचत (लाख में)	47.5	78
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	204	204

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
संस्थानिक विकास	कुल गठित अन्य ग्राम संगठन/क्षमता वर्द्धन संगठन	0	213
	अन्य ग्राम संगठनों/क्षमता वर्द्धन संगठनों में कुल सदस्य	3692	6372
	ग्राम संगठनों/क्षमता वर्द्धन संगठनों में कुल जनजातीय परिवार	3198	3823
	कुल प्रोन्नत किसान उत्पादक संगठन	0	2
	किसान उत्पादक संगठनों में कुल सदस्य	197	826
	किसान उत्पादक संगठनों में कुल जनजातीय परिवार	124	680

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित व जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	13	65
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	156	780
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	256	256
	स्वयं सहायता समूहों की कुल सदस्य संख्या	3072	3072
	स्वयं सहायता समूहों में कुल जनजातीय परिवार	1591	1591
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	204	204
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	47.5	78
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	204	204

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्श (अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017) में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	15	58
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	4	17
	विशय (कृशि/बागवानी/प ुधन/एनआरएम/आईडी/स्वयं सहायता समूह/सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण/प्रदर्शन	63	96
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	1675	1745
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	967	995
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	8	22
	कुल प्रशिक्षित पंचायती राज संस्थान सदस्य	73	286

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्श (अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017) में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
भूमि विकास	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	2
	वृक्षारोपण के तहत कुल लाभान्वित परिवार	0	32
	लघु वन उपज मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	0	301
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (चेक बांध, नहर, एलआई, फार्म तालाब आदि)	887	1419
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	1774	2838
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	46	46
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	46	46
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	44	44
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	18	18

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्श (अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017) में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
पशुधन विकास	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	1252	4500
	मुर्गीपालन इकाई विकास के अंतर्गत कुल परिवार	3294	5200
	घर के पीछे मुर्गीपालन अपनाने वाले कुल परिवार	101	1210
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	0	4238
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	2000	2000
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	0	3248

lim>mwxn g lh^n p"*>

– आय पैदा करने के लिए टिकाऊ अवसरों को प्रोत्साहित करना।
– उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में महिला और पुरुष किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की एजेंसियां बनाना।
– कमजोर समूहों को सूचना और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में स्थानीय प्रशासन और पीआरआई की क्षमता और उत्तरदायित्व को प्रभावी बनाना।
– सामुदाय आधारित योजना, निगरानी और जवाबदेही संबंधी गतिविधियों की स्थापना और सार्वजनिक सेवाओं व योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
– किसानों की क्षमता का निर्माण करना।

अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष (अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017) में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
	वन अधिकार अधिनियिम केअंतर्गत कुल लाभान्वित परिवार	238	409
	निपटाए गए वन अधिकार अधिनियम दावों की संख्या	238	409
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	0	460
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	210	715
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	0	115
	मनरेगा के अंतर्गत परिवारों की संख्या	13624	13624
	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल परिवार	351	351
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल परिवार	360	360
	ग्रामीण पेयजल योजना/स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	167	242
	अन्य प्रमुख योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	230	230
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, रा ान कार्ड, पें ान, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	3000	3000
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	4135

कृशि विकास	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष (अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017) में प्रगति	परियोजना के आरंभ से लेकर अभी तक कुल प्रगति
	उन्नत कृशि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत कृशि अभ्यास, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	0	2551
	श्री विधि अपनाने वाले कुल परिवार	285	1257
	श्री विधि के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	89	200.6
	श्री विधि से गेहूं उत्पादन अपनाने वाले कुल परिवार	29	579
	श्री विधि से गेहूं उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	1	92.62
	गैर–रासायनिक कृशि प्रबंधन/सतत कृशि अपनाने वाले कुल परिवार	60	60
	गैर–रासायनिक कृशि प्रबंधन/सतत कृशि के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	11	11
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाल परिवारों की संख्या	0	202
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	60
	बागवानी प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	15	17
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	4	6
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	33	65
	अनाज की खेती में पंक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले परिवारों की संख्या	0	573
	पंक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	89.6
	उन्नत दलहन व तेलहन खेती से जुड़े कुल परिवार	0	799
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	192.3
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले कुल परिवार	800	800
	कृशि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	0	3751

प्रमुख साझेदार - लोकदृष्टि (पश्चिम ओडीशा एनआरईजीएस कंसोर्टियम)

इस परियोजना को सात सिविल सोसायटी संगठनों के परिसंघ द्वारा मिलकर ओड़िसा के बोलंगीर और नुआपाड़ा जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परिसंघ की भागीदार संस्थाएं लोकदृष्टि (प्रमुख भागीदार), आंचलिक जन सेवाअनुष्ठान, अधिकार, बोलंगीर ग्रामोद्योग समिति, जनमुक्ति अनुष्ठान, श्रमिक शक्ति संगठन, और विकल्प हैं। इन सिविलसोसायटी संगठनों के मुख्य लक्षित समूह लघु और सीमान्त कृषक, बेघर, विधवा मुखिया वाले परिवार, दिव्यांग सदस्यवाले परिवार, भूमि रहित परिवार, कृषि और असंगठित मजदूर हैं।

lim>mwxn gn xnh: पीपल्स ऍक्शन इन डेवलपमेंट

8 सिंतबर 2015 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की दूसरी बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (नवंबर 1, 2015 – अक्तूबर 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 3.68 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। लोकदृश्टि– डब्ल्यूओएनसी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 25 लाख रु. का सह–वित्त संरक्षित किया। यह परियोजना ओडीशा में संचालित की जा रही है। यह परियोजना टिकाऊ कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से प्रतिभागियों की स्थायी आजीविका और खाद्य व पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	अभी तक कुल
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल जिले	0	2
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	0	7
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	0	25
	परियोजना में शामिल कुल गांव	0	138
	आजीविका संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत परिवारों की संख्या	1120	11620
	कुल महिला सहभागी	0	7000
	कुल जनजातीय परिवार	0	8912

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	0	60
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	0	9
	विषय (कृषि/बागवानी/पशुधन/एनआरएम/आईडी/स्वयं सहायता समूह/सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण/प्रदर्शन	461	486
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	12141	12637
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	5460	5612
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	38	42
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	110	194

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	अभी तक कुल
संस्थानिक विकास	कुल गठित अन्य वीएलआई/सीबीओ	168	235
	अन्य वीएलआई/सीबीओ में कुल सदस्य	2700	3995
	वीएलआई/सीबीओ में कुल जनजातीय परिवार	1485	2197

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
पशुधन विकास	दुग्ध–उत्पाद विकास के अंतर्गत कुल परिवार	71	339
	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	196	801
	मुर्गीपालन इकाई विकसित करने वाले कुल परिवार	1640	1640
	घर के पिछवाड़े में मुर्गीपालन अपनाने वाले कुल परिवार	900	1640
	मत्स्य पालन से जुड़े कुल परिवार	103	280
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	267	267
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	267	1007

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित अथवा जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	25	110
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	298	298
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	638	723
	स्वयं सहायता समूह सदस्यों की कुल संख्या	7289	7289
	एसएचजी में एसटी परिवारों की कुल संख्या	417	3410
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	30	30
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	9	92.2
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	66	66
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	73.6	156.8
	सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	112	112

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0	46
	वृक्षारोपण के तहत कुल लाभान्वित परिवार	0	80
	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	372	1999
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	118	128
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	822	944
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	40	40
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	40	40
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	96	96
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	455	455
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	46	46
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	115	115

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
कृषि विकास	उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध परिवर्तन, उन्नत पीओपी, बीज प्रबंधन आदि) से जुड़े कुल परिवार	3460	4585
	एसआरआई अपनाने वाले कुल परिवार	1388	2294
	एसआरआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	588	1086
	एनपीएम/सीए अपनाने वाले कुल परिवार	366	608
	एनपीएम/सीए के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	156	301
	उन्नत सब्ज़ी की खेती करने वाले कुल परिवार	1556	2937
	उन्नत सब्ज़ी खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	167	282
	बागवानी (डब्ल्यूएडीआई/बाग़) प्रोत्साहन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	67	150
	विकसित की गई कुल बागवानी इकाइयां	57	150
	बागवानी प्रोत्साहन से जुड़े कुल परिवार	57	286
	अनाज की खेती में पंक्तिबद्ध बुआई अपनाने वाले कुल परिवार	2947	4197
	पंक्तिबद्ध बुआई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	768	1278
	उन्नत दलहन व तेलहन की खेती से जुड़े कुल परिवार	1245	1245
	उन्नत दलहन/तेलहन/अनाज की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	267	492
	किचेन गार्डेन अपनाने वाले परिवारों की संख्या	273	273
	कृषि प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	3204	4585

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	निपटाए गए एफआरए दावों की संख्या	183	505
	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	2075	2075
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	3785	3785
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	3343	3343
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	6950	8450
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	1165	1165
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	5520	5520
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल परिवार	560	560
	ग्रामीण पेयजल योजना/स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	227	745
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	2070	2070
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	1273	1273
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	0	965

यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स (वाईसीडीए)

वाईसीडीए एक गैर सरकारी संगठन

जो 1993 और 1997 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम और विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत पंजीकृत है। वाईसीडीए, हाशिए के समुदायों के सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में स्थायी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ओडिशा में काम करती है। समयानुसार, इसने विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, घरेलू खाद्य सुरक्षा और सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनांस), स्थायी कृषि, आजीविका और सुशासन से संबद्ध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

lim>mwxm gm xmh: ओडीशा में बौध और बोलांगीर ज़िलों के आदिवासी समुदाय को सक्षम बनाना। (इनेबलिंग ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ बौध एंड बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट्स, ओडीशा)

8 सिंतबर 2015 को आयोजित बीआरएलएफ परियोजना अनुदेयी चयन समिति की दूसरी बैठक के माध्यम से पांच वर्षीय परियोजना (नवंबर 1, 2015 – अक्तूबर 31, 2020) को स्वीकृत किया गया। बीआरएलएफ की ओर से 1.6 करोड़ रु. का अनुदान अनुमोदित किया गया। वाईसीडीए ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 15 लाख रु. का सह–वित्त सुनिश्चित किया है।

	विवरण/पहुंच संकेतक	मौजूदा वित्त–वर्ष *(अप्रैल 1, 2016–मार्च 31, 2017)* में प्रगति	अभी तक कुल
परियोजना की पहुंच	परियोजना में शामिल कुल जिले	2	4
	परियोजना में शामिल कुल ब्लॉक	2	4
	परियोजना में शामिल कुल ग्राम पंचायत	10	22
	परियोजना में शामिल कुल गांव	54	106
	आजीविका कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल परिवार	3585	5157
	कुल महिला सहभागी	5595	7047
	कुल जनजातीय परिवार	1876	2882

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
क्षमता निर्माण	कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति	0	60
	कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	0	9
	विषय (कृषि/बागवानी/पशुधन/एनआरएम/आईडी/स्वयं सहायता समूह/सूक्ष्म उद्योग आदि) संबंधी संचालित कुल प्रशिक्षण/प्रदर्शन	461	486
	कुल प्रशिक्षित कम्युनिटी सदस्य	12141	12637
	कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	5460	5612
	कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	38	42
	कुल प्रशिक्षित पीआरआई सदस्य	110	194

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रग
पशुधन विकास	बकरी पालन के अंतर्गत कुल परिवार	16	16
	मुर्गीपालन इकाई विकसित करने वाले कुल परिवार	21	21
	टीकाकरण, चारा प्रबंध, आवास, नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रोत्साहित कुल परिवार	394	394
	पशुधन प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल परिवार (ओवरलैप छोड़कर)	314	314

	विवरण/पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगा
विविध गतिविधि	स्थापित किए गए अनाज बैंकों की संख्या	43	43

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
भूमि विकास	वृक्षारोपण के अंतर्गत क्षेत्र (एच में)	38.4	38.4
	वृक्षारोपण के माध्यम से लाभान्वित परिवारों की संख्या	101	101
	एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कुल परिवार	354	354
	स्थापित किए गए एमएफपी संग्रह केंद्र की संख्या	16	16
	कुल निर्मित जल संरक्षण–ढांचे (यथा चेक बांध, नहरें, एलआई, फार्म तालाब आदि)	26	26
	निर्मित जल संरक्षण–ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	1300	1300
	कुल निर्मित कुओं की संख्या	161	161
	निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	161	161
	भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी आदि)	260	260
	सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	128.8	128.8
	विकसित की गई बंजर भूमि का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	260	260
	भूमि विकास उपायों से कुल लाभान्वित परिवार	371	371

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रग
स्वयं सहायता समूह तथा सूक्ष्म उद्योग	कुल गठित अथवा जोड़े गए नए स्वयं सहायता समूह	37	47
	नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य	385	505
	मार्च 2017 तक कुल स्वयं सहायता समूह	275	275
	स्वयं सहायता समूह सदस्यों की कुल संख्या	3058	3058
	एसएचजी में एसटी परिवारों की कुल संख्या	1493	1493
	एनआरएलएम से संबद्ध कुल स्वयं सहायता समूह	133	133
	स्वयं सहायता समूहों की बचत(लाख में)	20	40
	बैंकों से जुड़े कुल स्वयं सहायता समूह	21	21
	बैंकों व अन्य संस्थानों से स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋण (लाख में)	26.05	26.05
	सूक्ष्म उद्योग आरंभ करने वाले कुल परिवार	208	208

	विवरण / पहुंच संकेतक	वर्तमान प्रगति	कुल प्रगति
अधिकार एवं पात्रता की प्राप्ति	एफआरए के अंतर्गत कुल लाभान्वित परिवार	68	73
	निपटाए गए एफआरए दावों की संख्या	68	68
	प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से संबद्ध कुल परिवार	181	306
	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	504	522
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	70	90
	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबद्ध कुल परिवार	784	856
	प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से संबद्ध कुल परिवार	350	350
	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत परिवारों की संख्या	299	299
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल परिवार	248	248
	ग्रामीण पेयजल योजना / स्वच्छता द्वारा प्रोत्साहित कुल परिवार	0	181
	अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध कुल जनजातीय परिवार	1042	1042
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सीएम स्कीम्स आदि के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार	1126	1126
	अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से कुल लाभान्वित परिवार (कृपया योजनाओं के नाम का उल्लेख करें)	102	224

प्याज की खेती को प्रोत्साहन, गांव– कपानी खरबहाली, ब्लॉक– बेलपाड़ा, जिला– बोलांगीर, ओडीशा

सामाजिक संघटन – दिगंबरपुर अंगिकार

परिशिष्ट

1. बीआरएलएफ का पंजीयन प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/ND/ 351 /2013

I hereby certify that "BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)" Located at 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi has been registered* under SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860.

Given under my hand at Delhi on this 10th day of December Two Thousand Thirteen.

Fee of Rs. 50/- Paid

Seal

Registrar of Societies
New Delhi District

(PRADEEP KUMAR)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

2. ग्रामीण विकास मंत्रायल, भारत सरकार, के साथ सहमति पत्र

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA
AND
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

This MoU is being entered into between:

The Ministry of Rural Development, Government of India (to be called MoRD hereafter)

And

Bharat Rural Livelihoods Foundation, an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860 having registration number S/ND/351/2013 and registered office at 38-A Krishi Bhawan, New Delhi (to be called BRLF hereafter)

On this 13th day of January (month) in the year 2014

Whereas the Government of India has decided to

A. Set up Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) as an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860
B. Release Rs. 500 Crore for creating the corpus of the new Society, in two tranches subject to conditions laid down by Expenditure Finance Committee

Whereas BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women, particularly in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning.

Whereas MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes.

एस. एम. विजयानन्द/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Whereas through setting up of BRLF, the MoRD desires to look at a new model of partnership wherein Government proactively engages with private philanthropies, public and private sector undertakings (as part of their corporate social responsibility) as well as other stake-holder groups to raise resources to support and scale up proven interventions ofCivil Society Organisations.

And whereas the Government of India decided that the first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be provided to BRLF at the time of its formation and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be provided after two years subject to fulfilment of certain conditions.

NOW THE MoU STANDSAS FOLLOWS:

1. The first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be released to BRLF by the MoRD immediately upon signing of this MoU between the two parties and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be released after two years on fulfillment of the following conditions:.

1. The corpus must be managed by BRLF and invested following prudential financial norms under competent advice. No expenditure should be made from the corpus itself and only the income arising out of the corpus can be utilized to fulfill the objectives of BRLF

2. In the initial years, BRLF may focus on blocks that have at least 20 percent tribal population from the tribal regions of Central India, with preference where possible to areas of higher tribal population. However, BRLF should be open for pan-India implementation also, in later years.

3. BRLF needs to frame its corpus management policy, grant making policy, human resources policy etc. within a definite time frame and well before release of the second tranche.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. To achieve the objectives of BRLF for upscaling civil society action in collaboration with the Government, the most important component of the grant support to Non-Government Organisations /Civil Society Organisations by BRLF will be to meet their cost of additional professionals and institutional costs of supporting the professionals. In this respect, BRLF should bear no more than 80% of the costs. The rest has to be sourced by the grantee NGO/CSO from own or other sources. A cap on the proportion of funds to be spent on administrative matters should be placed by BRLF (other than salary of professionals).

5. The evaluation criteria for assessing the impact of BRLF should be firmed up at the beginning itself so as to enable an independent assessment of the impact at the end of the XII Five Year Plan. The Government will undertake a review of BRLF after five years and in case the outcomes are not forthcoming as projected, the Government will be free to take back the grant and advise dissolution of BRLF.

6. One of the expectations from BRLF is that the experiences of resolving the problems of the tribal and other poor communities should throw up recommendations to the Government on the changes required in programmes and policies. BRLF will periodically send its recommendations to the Government in appropriate ways.

7. For the release of the 2nd tranche of corpus fund amounting to Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore), the following are the conditions to be met by BRLF in addition to the above:

   a. Completion of the process of hiring of the CEO and other core staff
   b. Formulation of basic operating policies, including grant approval & monitoring, HR policy etc
   c. Conclusion of agreements with States regarding flow of programme funds to projects
   d. Selection of first batch of projects and start of work on ground

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

e. The CSOs supported by BRLF should be able to reach out to at least 1,00,000 families

f. At least Rs. 100 Crore (Rupees One Hundred Crore) of private contribution should be mobilized either through corpus contribution or through annual grants or through co-financing by other donors

g. Improvement in scheme delivery should be documented

h. Regularity of Board meetings in accordance with the letter and spirit of Byelaws of BRLF

i. Proper management of Corpus with competent advice

2. Through this MoU, the MoRD commits to provide the following support to BRLF:

1. Immediately upon signing of this MoU, MoRD will transfer first tranche of its corpus support of Rs. 200 crore to BRLF
2. MoRD will make every endeavor to foster and facilitate effective working relationship between the State Governments, BRLF and Civil Society Organisations supported by BRLF
3. MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes
4. MoRD will support BRLF's endeavor to raise financial resources from non-government sources including private philanthropies, public and private sector undertakings, CSR initiatives etc.
5. Upon fulfilment of conditions laid down in this MoU, MoRD will transfer second tranche of its corpus support of Rs. 300 crore to BRLF

3. Reporting:

BRLF will report to the MoRD on an annual basis by submitting its audited financial report; corpus/other funds mobilization, investment and utilization report and narrative annual report.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. Visibility:

BRLF should mention the following in its communications and on its letter-head:

"An independent society set up by the Government of India to upscale civil society action in partnership with Government"

5. Indemnity

BRLF and MoRD shall fully indemnify each other of all statutory liabilities arising due to their own failure to comply with statutory obligations. In addition to this general indemnity, BRLF and MoRD shall completely absolve each other from any other liability issues that may be raised against it by any of its clients /customers /partners

6. Force majeure

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure' means an event which is beyond the reasonable control of a party, either BRLF or MoRD and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably, to be considered impossible in the circumstances and includes, but is not limited to war, riots, civil/disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood and other adverse weather conditions, strikes lock-outs of other similar action which are not within the power of the party invoking "force majeure" to prevent confiscation or any other action by the other party.
2. The failure of any party, either BRLF or MoRD, to fulfill any of its obligations hereunder shall not be considered to be breach of, or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the party affected by such event should take all reasonable precautions due care and reasonable alternative measures to the satisfaction of the other party, all with the objectives of carrying out the terms and conditions of this MoU.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

3. In the event of a force majeure, BRLF and MoRD shall consult with each other, with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

7. Disputes and arbitration:

Any dispute between BRLF and MoRD on any matter that has relevance to the smooth and effective functioning of BRLF and achieving the purposes for which BRLF is set up, shall be settled through mutual discussion. In case they are not able to resolve the dispute among themselves, the Secretary, Rural Development, Government of India will act as the Arbitrator.

Signed on 13 th day of January in the year 2014 by

Designated Official on behalf of

Bharat Rural Livelihoods Foundation

Signature:

Name: T. Vijay Kumar

Seal CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Witness

Signature:

Name: Naval Kishor Gupta

Address: 19/414, Sundaram Khand
Sector-19, Vasundhara,
Ghaziabad, UP-201012

Designated Official on behalf of

Ministry of Rural Development

Government of India

Signature

Name एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary

Seal ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Witness

Signature:

Name: P.S. PRASANNA KUMAR

Address: पी एस प्रसन्ना कुमार
P. S. Prasanna Kumar
निजी सचिव/Private Secretary
ग्रामीण विकास मंत्रालय/Min. of Rural Development
भारत सरकार/Govt of India
कृषि भवन नई दिल्ली-1/Krishi Bhavan, New Delhi-1

3. 12–ए प्रमाण पत्र

Office of the
Director of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NQ.DIT (E) I 2014-15/ DEL - BR23932 - 08092014 3849 Dated 08/09/2014

NAME &. ADDRESS:		BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF] 38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001
Legal Status	:	Society
PAN NO	:	AACAB2971N
GIR NO	:	B-1662

Sub:-ORDER OF REGISTRATION U/S 12A. READ WITH SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT. 1961

1. An application in Form No. I0A seeking Registration u/s 12A was filed on ....12/03/2014....
2. The Trust / Society / Non profit company was constituted by deed of trust, memorandum of association / instrument dated 10/12/2013 indicating its object.
3. After considering the material available on record, the applicant trust / society / company is granted registration as '...General Public Utility' Trust / society / company and the provisions of Sections 11 and 12 shall apply in the case from A. Y. ---2014-15------. The trust/society/NPO is registered at S. No. ....DEL - BR23932 - 08092014 of the register maintained in this office. The registration is granted subject to the following conditions :

Conditions:

I. Order u/s 12A(1)(a) read with section 12AA(1) (b) does not conform any right of exemption upon the applicant u/s 11, 12 and 13 of the Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provision of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act1961.

II. The Trust/Society/Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these audited in accordance with the provision of section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in memorandum shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered / Designated Office of the Organization.

III. Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of the Income Tax Act 1961.

IV. The trust/Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the act.

V. The trust/Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

VI. The registration u/s. 12AA of the I.T. Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction/s. 80G.

VII. This certificate cannot be used as a basis for claiming non - deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/Institution.

VIII. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account and such Bank Account Number shall be communicated to this office.

IX. No change in the terms of Deed of the Trust shall be effected without due procedure of law i.e. by order of the jurisdictional High Court and its intimation shall be given immediately to this office.The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.

X. No asset shall be transferred without the knowledge of the undersigned to anyone, including to any Trust / Society / Non profit Company etc.

XI. The registred office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the national capital territory, Delhi except with the prior approval of the DIT(E), Delhi.

XII. If later on it is found that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the Registration so granted is liable to be cancelled as per provisions u/s section 12AA(3) of the Act.

XIII. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time, if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/Institution are no genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/Institution.

Director of Income Tax (Exemptions)
26th Floor, E2, Pratyaksh Kar Bhawan
Civic Centre, New Delhi-110002

(SUNITA PURI)
Director of Income Tax (Exemption)
DELHI

Copy to:

1 The applicant as above
2. The Assessing Officer

(M.K.SHARMA)
Income Tax Officer(Exemp)(HQ)
For Director of Income Tax (Exemption) DELHI

Pratyaksh Kar Bhawan,
Civic Centre, J. L. Nehru Marg,
New Delhi-110002

4. 80-जी प्रमाण पत्र

Office of the
Commissioner of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NQ.CIT (E) I 2015-16/ DEL - BE26004 - 15052015/6275 Dated 15/05/2015

NAME & ADDRESS: BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF]
38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001

Legal Status : Society

PAN NO : AACAB2971N

GIR NO : B-1662

Sub:-ORDER UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

On verification of the facts stated before me/hearing before me, I have come to the conclusion that this organization satisfies the conditions u/s 80G of the Income Tax act, 1961. The institution/Fund is granted approval subject to the following conditions.-

(i) The Donee institution shall forfeit this benefit provided under the law, if any of the conditions stated herein are not complied with/abused/whittled down or in any way violated.

(ii) This exemption is valid for the period from **A.Y.2015-16 onwards till it is rescinded** and subject to the following conditions

Conditions:

(i) You shall maintain your accounts regularly and also get them audited to comply with sec. 80G (5)(iv) read with section 12A(1)(b) and 12A(1)(c) and submit the same before the assessing officer by the due date as per section 139(1) of the Income tax Act 1961.

(ii) Every receipt issued to donor shall bear the number and date of this order and shall state the date up to which this certificate is valid. **A.Y.2015-16 onwards till it is rescinded.**

(iii) No change in the deed of the trust/association shall be affected without the due procedure of Law and its intimation shall be given immediately to this office.

(iv) The approval to the institution/fund shall apply to the donations received only if the fund/institution, established in India for charitable purpose, fulfills the conditions as laid down in section 80G5(i), (ii), (iii), (iv), (v) & (5B) of the Income Tax Act 1961.

(v) This office and the assessing officer shall also be informed about the managing trustees or Manager of your Trust/Society/Non Profit Company and the places where the activities of the Trust/Institution are undertaken/likely to be undertaken to satisfy the claimed objects.

(vi) You shall file the return of income of your fund/institution as per section 139(1)/(4A)/(4C) of the Income Tax Act, 1961.

(vii **No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.**

(SUNITA PURI)
Commissioner of Income Tax (Exemptions)
DELHI

Copy to:
1. The applicant as above
2. The Assessing Officer

Commissioner of Income Tax(E)
Room No. 2602, Block-E2
Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre
New Delhi-110002

(PANKAJ SACHAN)
ACIT(Exemp)(HQ)
For Commissioner of Income Tax (Exemptions) DELHI

Asstt. Commissioner of Income Tax
(Exemptions) (Hqrs.) Room No. 2620
26th Floor, Block-E-2,
Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre
J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

5. अंकेक्षित लेखा रिपोर्ट वित्ताय वर्ष 2016–2017

AVA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

4F, Gopala Tower, 25, Rajendra Place
New Delhi -110 008 (India)
Tel. : +91-11-25868593 - 94
Fax : +91-11-45040855
E-mail : ava@avaca.in

Independent Auditors' Report

To The Members of
Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2017, the Income and Expenditure Account, Receipt and Payment Account for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Society in accordance with the accounting practices followed as per the guidelines prescribed by the Government of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Society's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Society's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

We further report that we have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit. In our opinion proper books of accounts have been kept by the Society as far as appears from our examination of those books. We also report that the annexed statements of accounts are in agreement with the said books of accounts.

We also made an attempt to examine the transactions on test basis for regularity, reasonability, prudence and also the impact of various laws or underlying grant conditions with a view to appraise the propriety of expenditure. In our opinion and according to the information and explanation given to us, having regards to the explanation that certain items purchased/ services procured are of special nature for which suitable alternative sources do not exist for obtaining comparative quotations and in view of exigencies of operations; and, for which appropriate management approvals have been obtained, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the society.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with the schedules thereon give a true and fair view in accordance with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2017.
b. In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus of the period ended on that date.
c. In the case of Receipt and Payment Account, of the cash flows during the period.

Further we report that:

a. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
b. In our opinion proper books of accounts as required under Societies registration Act, 1860 has been kept by the society so far as appear from our examination.
c. the Balance Sheet, Income & Expenditure account and Receipt & Payment Account dealt with this report are in agreement with the books of account.
d. In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure account and Receipt & Payment Account, comply with the relevant accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

For AVA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 004017N

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

(CA Avineesh Matta)
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 26.07.2017

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2017

Amount in Rs.

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2016-17	2015-16
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	205,297,782	104,628,636
Grant-in-Aid	C	511,401	612,766
Reserve & Surplus	D	286,995,839	280,705,315
Current Liabilities & Provisions	E	1,432,573	1,498,765
Total (Rs.)		**2,494,237,595**	**2,387,445,482**
ASSETS			
Fixed Assets	F	1,793,209	1,426,085
Investments	G	2,160,000,000	2,150,000,000
Investment of Endowment Fund	H	201,926,172	101,050,000
Current Assets			
Cash & Bank Balance	I	44,042,983	47,511,067
Other Current Assets	J	86,475,231	87,458,330
TOTAL (Rs.)		**2,494,237,595**	**2,387,445,482**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even dated attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN : 004017N

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 26/07/2017

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

Amount in Rs.

INCOME	Sch	2016-17	2015-16
Grants, Subsidies & Donations	K		
Grants		3,331,514	898,350
Other Income	L	194,622,304	188,738,234
TOTAL		**197,953,818**	**189,636,584**
EXPENDITURE			
Expenditure			
Program Expenses	M	172,334,466	97,570,867
Establishment Expenses	N	17,011,724	14,982,191
Other Administrative Expenses	O	1,626,313	1,659,333
Depreciation	F	690,791	679,957
		191,663,293	114,892,348
Excess of Income over Expenditure		6,290,525	74,744,236
TOTAL		**197,953,818**	**189,636,584**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN:004017N

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 26/07/2017

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017

(Amount in Rs.)

Receipts	2016-17	2015-16	Payments	2016-17	2015-16
Opening Balance			**Investments in Bank Fixed Deposits**		
Cash	-	6,534	- from Income from MORD Corpus Fund	10,000,000	150,000,000
Bank	47,511,067	174,451,283	- from TATA Endowment Fund	1,300,000	1,050,000
			- from Ford Foundation Fund	99,576,172	-
			Fixed Assets Purchased		
Ford Foundation Trusts Endowment fund	**99,576,172**	-	- from Income from MORD Corpus Fund	968,390	118,587
Grant from ARGHYAM	2,173,000		- from UNDP Sponsor Project	-	-
Grant from UNDP	-	898,350	- from Tata Trust Endowment fund	89,525	670,303
Interest received on Saving Bank Account	4,950,129	7,947,765	TDS deducted	1,898,547	2,062,621
Interest received on Fixed Deposit with Banks (Net of TDS)	141,102,896	139,076,545	Employees Providend fund	642,088	710,323
Sponsorship Fee for CPRL Course	340,000	-			
			Expenses Paid		
Misc Receipts	800	1,200	Program Expense	159,382,228	112,978,524
Interest accrued on Fixed Deposits	48,939,277	13,154,014	Establishment Expense	17,385,765	11,953,143
			Other Administrative Expense	1,707,388	1,525,883
			Tata Trust Endowment Fund	7,600,315	6,955,239
			Closing Balance		
			a) Cash		-
			b) Bank	44,042,983	47,511,067
TOTAL	344,593,341	335,535,691	TOTAL	344,593,341	335,535,691

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN : 004017N

CA Avineesh Matta
(Partner)
M. No. : 083054
Place: New Delhi
Date: 26.07.2017

Dr. Mihir Shah
President

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

Schedule F.

Schedule F-a

MoRD - FIXED ASSETS as on 31.03.17

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2016	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2017
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	42,248		908,400		950,648	297,869	652,779
Office Equipment	15%	83,083		59,990		143,073	16,962	126,111
Furniture & Fixture	10%	215,459				215,459	21,546	193,913
Sub Total						1,309,180	336,376	972,804
INTANGIBLE								
Computer Software	33%	22,086				22,086	7,288	14,798
Sub Total						22,086	7,288	14,798
Total						1,331,266	343,665	987,601

UNDP Sponsor Project - FIXED ASSETS as on 31.03.17

Schedule F-b

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2016	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2017
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	194,083				194,083	116,450	77,633
Office Equipment	15%	125,750				125,750	18,863	106,888
Furniture & Fixtures	10%	287,816				287,816	28,782	259,034
Sub Total						607,649	164,094	443,555
INTANGIBLE								
Software	33%	5,117				5,117	1,689	3,428
Sub Total						5,117	1,689	3,428
Total						612,766	165,783	446,983

TATA Sponsor Project - FIXED ASSETS as on 31.03.17

Schedule F-C

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2016	0		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2017
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	226,486		47,270		273,756	150,073	123,683
Office Equipment	15%	50,737	42,255			92,992	13,949	79,043
Furniture & Fixtures	10%	173,220				173,220	17,322	155,898
Sub Total						539,968	181,343	358,625
INTANGIBLE								
Software	33%	-				-	-	-
Sub Total						-	-	-
Total						539,968	181,343	358,625

TOTAL TANGIBLE	**2,456,797**	**681,814**	**1,774,983**
TOTAL INTANGIBLE	**27,203**	**8,977**	**18,226**
GRAND TOTAL	**2,484,000**	**690,791**	**1,793,209**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(Amount - Rs.)

PARTICULARS		AMOUNT (2016-17)		AMOUNT (2015-16)
SCHEDULE A - Corpus Fund				
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund		2016-17		2015-16
(i) Ford Foundation Endowment fund (FCRA Funds)				-
Grant recived during the year		99,576,172		
Add: Interest (Gross) earned during the year	1,084,182			
Less: TDS	64,510			
Less:-Interest accrued but but not due and received	283,797			
Net Interest received	735,875			
Less: Available for Utilization as income fer the year (90% of net interest received)	662,287.10			
Balance interest accumulated in the fund		73,587		
Closing balance of Ford Foundation Endowment Fund		99,649,760		
(ii) Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance		104,628,636		102,854,104
Interest Earned (Gross) during the year	8,619,701		8,783,635	
Less: TDS	131,589		347,647	
Less: Interest accrued but not due and received	757,707		120,652	
Net Interest	7,730,405		8,315,336	
Less: Utilization during the year				
- Human Resource / Personnel Cost	886,584		534,510	
- Aid 360 Software & Server Expenses	170,544		963,084	
- Program Expenses	3,249,914		1,854,914	
- Travel Cost	2,561,645		2,896,187	
- Office Running Cost	730,628		760,408	
Total Utilization	7,600,315		7,009,103	
		130,090		1,106,233
Closing Balance of Endowment Fund		104,758,726		104,160,337
Add: Adjustments for				
TDS	131,589		347,647	
Interest Accrued	757,707		120,652	
Prepaid Expenses	-		-	
		889,296		468,299
Closing Balance of Tata Trust Endowment Fund		105,648,022		104,628,636
Grand Total		**205,297,782**		**104,628,636**

Note: 15% of the annual interest income earned on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly against Rs.7730405/- an amount of Rs.11,80,000/- has been deposited in Bank FDR on 21.04.2017

SCHEDULE C - Grant in Aid		2016-17		2015-16
Capital Grants				
United Nations Development Programme				
Opeing Balance	612,766			950,583
Received during the year	-			-
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	165,783	446,984		347,817
		446,984		612,766
Other Grants				
ARAGHYAM				
Interest earned Reinvested		64,417		-
		511,401		**612,766**

SCHEDULE D - Reserve & Surplus		2016-17		2015-16
Surplus				
Opening Balance		280,705,315		205,961,079
Add: Surplus of Income over Expenditure for the year		6,290,525		74,744,236
Closing Balance		**286,995,839**		**280,705,315**

SCHEDULE E - Current Liabilities & Provisions		2016-17		2015-16
i. Current Liabilities				
TDS Payable		251,292		228,396
PF Payable		110,626		-
Expenses Payable		454,191		232,201
Payable to staff		2,791		26,904
ii. Provisions				
Employee Benefits				
- Long Term Defined Benefits Plan (Earned Leave)		252,742	478,554	
- Long Term Defined Benefits Plan (Gratuity)		259,000	339,000	
- Short Term Benefits (Encashment of Leave)		101,931	193,710	1,011,264
Total		1,432,573		1,498,765

SCHEDULE G - Investments		2016-17		2015-16
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		-
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Invested out of interest on above		160,000,000		
Investments in FDR with Yes Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		-		2,000,000,000
Investments in FDR with Bandhan/Indusind Bank				
Invested out of interest on above		-		150,000,000
Total		2,160,000,000		2,150,000,000

SCHEDULE H - Investments of Endowment Fund		2016-17		2015-16
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		-
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Invested out of interest on above		2,350,000		-
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Funds)				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		99,576,172		-
Investments in FDR with Indusind Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		100,000,000
Investments in FDR with Yes Bank				
Invested out of interest on above		-		1,050,000
Total		201,926,172		101,050,000

SCHEDULE L. Other Incomes		2016-17		2015-16
Saving Bank Interest	4,950,129		7,947,765	
Less:				
- 10% reinvested to Ford foundation Endowment Fund	43,908			
- Transfer to ARAGHYAM	64,417			
- Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	38,620	4,803,184	366,782	7,580,983
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	186,687,402		180,808,235	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,581,082		8,416,853	
- Ford foundation endowment fund	645,097			
Total	195,913,581		189,225,088	
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	29,679			
Less: Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	8,581,082	187,302,820	8,416,853	180,808,235
Interest earned by the Grant Partners		1,929,717		-
Miscellaneous Income (Depreciation on assets of capital grant)		166,583		349,016
Sponsorship Fee For CPRL Course		340,000		-
Reversal of excess provision of Grauity		80,000		-
Total		194,622,304		188,738,234

SCHEDULE M. Program Expenses		2016-17		2015-16
Ground Water Management Project with ARGHYAM				
Expenses incurre from ARGHYAM Grand				
Field Facilitation for Implementing Partner (ARGHYAM)	2,863,046			-
Implementation Support for PGWM (ARGHYAM)	416,612			-
Partners Meeting (program planning & review) (ARGHYAM)	51,856	3,331,514		-
MoRD Program Cost				
Grant to Civil Society Organisation (CSO's)		151,772,463		90,683,495
Grant to Technical Resource Organasagion		9,596,917		733,146
Policy Strategy & Partnership Development		-		59,826
Organisation Development training to staff		226,928		-
Consultancy & Evaluation Fees		464,315		609,182
Information, Education and Comrsunication Material		105,250		172,300

SCHEDULE I - Cash & Bank Balances		2016-17		2015-16
Cash in Hand		-		-
Bank Balances in Savings Accounts with YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch				
Account No. 000393900000039 (FCRA Designated Account)	735,875			
Account No. 000394600000384	40,943,339		45,815,846	
Account No. 000394600000391	1,921,815		1,901	
Account No. 000394600000443	441,954	44,042,983	1,693,320	47,511,067
Total		44,042,983		47,511,067

SCHEDULE J - Other Current Assets		2016-17		2015-16
Grant to Civil Society Organisation (CSO) - Unutilized		8,665,154		16,001,941
Interest Accrued on Fixed Deposits with Badhan Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, GOI	53,104,777		48,818,624	
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	757,707	54,146,281	120,652	48,939,276
Interest Accrued on Fixed Deposits with Yes Banks				
-Ford Foundation Endowment fund	283,797			
Advance Recoverable		194,517		64,127
Prepaid License Fees		-		806,625
Grant receivable from ARGHYAM		1,158,514		
Security Deposit (Rent)		200,000		200,000
Tax Deducted at Source (2014-15)		19,994,301		19,994,301
Tax Deducted at Source (2015-16)		1,452,060		1,452,060
Tax Deducted at Source (2016-17)		664,405		-
Total		86,475,231		87,458,330

SCHEDULE K. Grants, Subsidies & Donations		2016-17		2015-16
Grant From ARGHYAM		3,331,514		-
Grant From United Nation Development Program		-		898,350
Total Grants		3,331,514		898,350

AVA & ASSOCIATES Chartered Accountants NEW DELHI

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Event, Meetings and Workshop Expenses		427,087		817,650
Capacity Building Expense		3,124,452		-
State Govt Partnership		39,804		-
Expenditure on TCS Aid 360 & Server		2,758,383		3,353,811
Travel Expenses		487,353		1,141,457
Total		**172,334,466**		**97,570,867**

SCHEDULE N. Establishment Expenses		2016-17		2015-16
Salary		13,929,523		12,526,815
Earned Leave Expenses		474,326		505,720
LTA Expenses		-		33,072
Medical and Mediclaim expenses		140,776		177,305
Books and Periodicals		20,844		24,278
Vehicle Running & Maintainance Expenses		622,917		483,325
Employer Contribution to Provident Fund		765,549		703,963
EPF Admin Charges		55,965		51,698
Grauity Expenses		-		339,000
Consulting Fee for PF Calculation		2,300		-
Recruitment Expenses		936,844		17,015
Relocation Expenses		62,680		120,000
Total		**17,011,724**		**14,982,191**

SCHEDULE O. Other Administrative Expenses		2016-17		2015-16
Audit Fees		143,694		67,830
Equipment Maintenance Expenses		-		167,608
Misc Expenses		10,356		-
Office Expenses		60,718		62,622
Postage & Courier		-		198
Stationary Expenses		15,768		14,370
Office Rent		1,300,000		1,320,000
Telephone & Internet Expenses		72,357		20,415
Water & Electricity Expenses		23,420		6,290
Total		**1,626,313**		**1,659,333**

AVA & ASSOCIATES Chartered Accountants NEW DELHI

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

SCHEDULE-P

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. **Legal Status and Operation:**

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

2. **Corpus Fund:**

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India has released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores will be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. **Summary of Significant Accounting policies:**

3.1 **Accounting Convention**

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

3.2 **Basis of preparation**

The financial statement has been prepared following accrual basis of accounting except interest on saving banks.

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

3.3 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.4 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as per AS-12 – Accounting for Government Grants issued by Institute of Chartered Accountants of India.

i. Grants are recognized only when there is reasonable assurance that BRLF will comply with the conditions attached to them and grants will be received.
ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.
iii. Grants received for specific purposes are utilized for the purpose of its release.
iv. Grants utilized to the extent of and in accordance with the grant conditions and project objectives are treated as Income in the Income & Expenditure Account.
v. Unutilized grants are treated as Liabilities in the Balance sheet.
vi. Grant related to specific depreciable Fixed Assets treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged.

3.5 Income Recognition

Interest on Fixed deposit with banks is recognized on accrued basis and that on saving banks is recognized on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets include inward freight, duties & taxes (non refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

A. Tangible Assets

a. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.
b. Depreciation of Assets purchased out of Capital Grant-in-Aid have been treated as Non Operating income and shown under "Miscellaneous Income".

B. Intangible Assets

AVIA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

C. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investment

a. Investment: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds considered as long term and disclosed under investment.

b. Investment of Endowment Fund: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term and classified under Investment of Endowment Fund.

c. Other investments: Other fixed deposit with banks shall be classified as cash and cash equivalent because of readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits

Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan

The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the profit and loss account on accrual basis

iii. Defined Benefits Plan

a. The provision in relation to Gratuity is made through Actuarial Valuation.

b. Provision on employee discontinuance basis, in relation to Earned Leaves is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to maximum 66 days in aggregate, beyond which employee may make encashment.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value is use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. **Contingent Liability and Assets**

AVA & ASSOCIATES Chartered Accountants NEW DELHI

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society shall fulfill the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah	**Pramathesh Ambasta**	**Sharad Bhargava**
President	**Chief Executive Officer**	**Chief Finance Officer**

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

SCHEDULE-Q

CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the management, Current Assets are approximately of the value stated if realized in the ordinary course of business except otherwise stated.

a. BRLF had received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships'. As per the grant conditions the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year society has earned interest of Rs. 86,19,701/- against Endowment Grant received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs. 76,00,315/- has been utilized during the year 2016-17 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

b. BRLF had received Rs. 9,95,76,172/- ($ 1,500,000) from Ford Foundation as Endowment Fund. As per grant condition, BRLF would be permitted to utilize a maximum of 90 percent of revenue earned from the Endowment Fund for the purpose to meet the operational cost and the remaining 10% of the Fund's income shall be re-invested in the Fund in annual fixed deposit.

During the year society has earned interest of Rs. 10,84,182/- against the Endowment grant received from Ford Foundation. Out of total interest an amount of Rs. 73,587/- is to be re-invested in the fund in annual fixed deposit by BRLF.

c. BRLF has entered into MOU with ARGHYAM a registered public charitable trust to widen and deepen practice on groundwater management and sanitation. An amount of Rs. 33,31,514/- has been spent against ARGHYAM grant during the year whereas BRLF spent Rs. 36,14,552- under various verticals (CSO grants, monitoring & evaluation and Capacity Building initiative grouped under MoRD Program Cost) on participatory groundwater management. BRLF received Rs. 21,73,000/- first instalment on signing of MOU against expenses incurred Rs. 33,31,514/-. Balance amount Rs 11,58,514/- disclosed as receivable from ARGHYAM in Schedule – J (Other Current Asset).

II. Fixed assets purchased having written down value of Rs. 6,12,766/- from grant of United Nations Development Program (UNDP) now vest with BRLF as per the condition of grant term.

III. BRLF has been issued with a certificate of lower deduction of Tax at source by the Income tax department.

IV. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2017

AIVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

V. Figures have been rounded off to nearest rupees.

VI. Previous year figures have been regrouped or rearranged wherever necessary.

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah	**Pramathesh Ambasta**	**Sharad Bhargava**
President	**Chief Executive Officer**	**Chief Finance Officer**

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

भारत रूरल लाइवलिहुड्स फाउन्डेशन
सी–32 नीति बाग, नई दिल्ली 110049
www.brlf.in
info@brlf.in
+91-11-46061935; 41013385 (फैक्स)

उबून्टू सिस्टम पर स्क्राइबस में डिजाइन किया गया। चित्रों को गिम्प पर तैयार किया गया

PRASHANT